खण्ड-163, अंक-5
शुक्रवार, 2 पौष, शक संवत् 1877
(23 दिसम्बर, 1955 ई0)

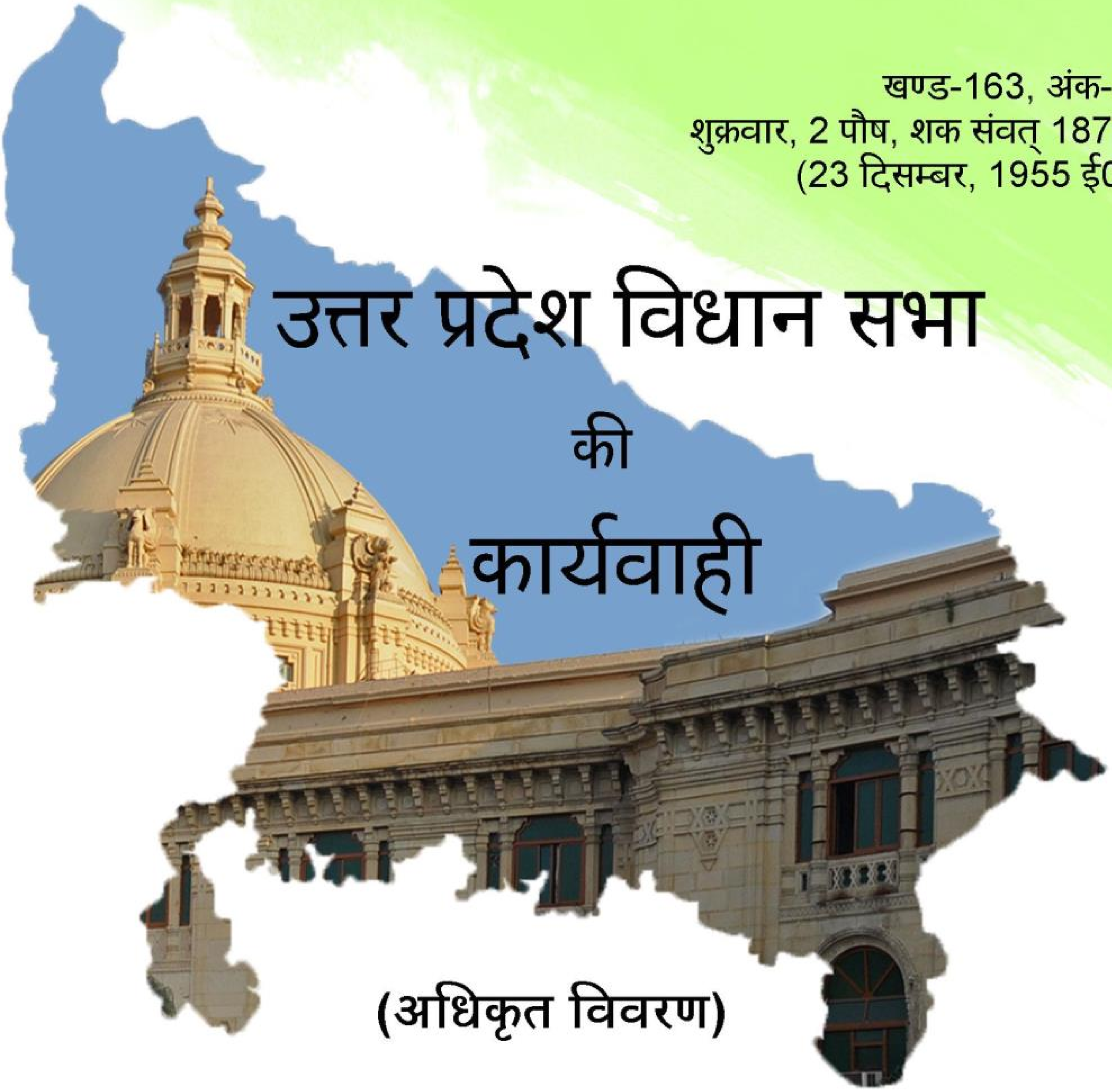

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 163 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LIBRARY
22 MAY 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी,श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववच नराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हीतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में सरजू नदी पर पुल-निर्माण योजना

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में सरजू नदी पर पुल बनाने की योजना के बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—पुल का आगणन तैयार किया जा रहा है जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति होने पर पुल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के खर्च का तखमीना क्या है ?

श्री राममूर्ति—इस योजना में लगभग ९१·४ लाख रुपये खर्च होने की आशा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगणन सरकार के पास भेजा जायगा ?

श्री राममूर्ति—इस संबंध में काफी काम हो गया है और उम्मीद की जाती है कि शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पुल के निर्माण में जो व्यय होगा क्या सब खर्चा केंद्रीय सरकार देगी ?

श्री राममूर्ति—उसका कुल खर्चा केंद्रीय सरकार देगी, और पुल बन जाने के बाद जो उसका रखरखाव का खर्चा होगा वह भी देगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पुल जो बनेगा क्या उसमें रेल पथ भी होगा और यातायात के लिये और मार्ग होगा ?

श्री राममूर्ति—जैसे साधारण पी० डब्लू० डी० के पुल होते हैं, जिसमें सवारियां और लोग आ जा सकें, वैसा ही होगा। रेल से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बन जाने पर इस पर कोई टोल टैक्स लगाने का भी आयोजन है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं; इस वक्त तक कोई योजना ऐसी नहीं है।

आमी नदी के बालूसासन घाट पर पुल-निर्माण योजना

**३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान आर्थिक वर्ष में आमी नदी के बालूसासन घाट पर पुल बनना शुरू हो जायगा ? अब तक इस पुल के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री राममूर्ति---जी हां ।

पुल का आगणन सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है ।

श्री राजाराम शर्मा---"आगणन" शब्द का क्या अर्थ है, इसको मंत्री महोदय बतला दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इसका अर्थ जानना चाहिये ।

श्री राममूर्ति---"एस्टीमेट" कहते हैं, और उर्दू में "तखमीना" कहते हैं ।

श्री राजाराम शर्मा---क्या पुल के लिये टेंडर मांगा गया था ? कितने टेंडर हुये और कम से कम कितना था और ज्यादा से ज्यादा कितना ?

श्री राममूर्ति---टेंडर मांगे गये हैं और अभी कम और ज्यादा का तस्फिया नहीं हुआ ?

श्री राजाराम शर्मा---कब टेंडर मांगा गया ?

श्री राममूर्ति---इसके लिए नोटिस की जरूरत है । मुझे समय ठीक मालूम नहीं है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पुल के बनाने के लिये कितने रुपये का एस्टीमेट है ?

श्री राममूर्ति---३,२७,००० रुपया ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि मौजूदा बजट में कितना रुपया सैंक्शन हुआ है इस पुल के निर्माण के लिये ?

श्री राममूर्ति---५०,००० रुपया ।

पंचायती अदालतों के चुनाव में जिलाधीशों की सहायतार्थ समितियों का निर्माण

**४---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय अदालतों के पंचों का चुनाव करने के संबंध में जिलाधीश को सुझाव देने के लिये जिलों में कुछ कमेटियों के बनाने का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---जी हां, जिले में एक कमेटी जिलाधीश को सम्मति देने के लिये बनाई गयी है जिसमें सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, धारा सभा के स्थानीय सदस्य तथा अध्यक्ष, जिला बोर्ड सम्मिलित किये गये हैं । यह समिति उप समितियों में भी सब-डिवीजनों के अनुसार विभाजित की जा सकती है, और सब-डिवीजनों में इस प्रकार स्थापित उप समितियों के चेयरमैन संबंधित सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट होंगे । इन उप समितियों में धारा सभा के संबंधित सदस्य तथा अध्यक्ष जिला बोर्ड सम्मिलित होंगे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सब-डिवीजन की कमेटियां होंगी उनके चेयरमैन अध्यक्ष जिला बोर्ड हों, इस संबंध में सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---विचार करने के पश्चात् आदेश प्रसारित किये गये हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कमेटियां हैं उनके पास विचार करने के लिये नाम माल के कर्मचारियों द्वारा या पंचायत के कर्मचारियों द्वारा भेजे जायेंगे, और वे किस संख्या में भेजे जायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जो लोग भी गांव सभा से पंचायत में चुने जायेंगे वे सब नाम उन कमेटियों के समक्ष होंगे, और उन कमेटियों को उनमें से सिफारिश करने का अधिकार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जो जिलाधीश महोदय को सुझाव देने के लिये समितियां और उपसमितियां बनायी गयी हैं, इनका न तो अधिनियम में कोई विधान है और न नियमों में ही कोई विधान है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न्याय पंचायत के सदस्यों को चुनेगी। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जिलाधीश को रखा गया है और उनको सलाह देने के लिये इन समितियों और उपसमितियों का निर्माण किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री के उत्तर का अर्थ यह है कि यह समितियां और उपसमितियां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परिभाषा के अन्दर ही मानी जायंगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी तो जिलाधीश है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन समितियों द्वारा जो सुझाव दिये जायेंगे, जिलाधीश उनके अनुसार काम करने के लिये बाध्य होगा?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, बाध्य नहीं होंगे। ये समितियां तो परामर्श देने के लिये हैं।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में जिला बोर्ड नहीं है वहां की समितियों का अध्यक्ष कौन होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्लानिंग कमेटी के वाइस-चेयरमैन।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितने नाम चुने जायेंगे उतने ही ये समितियां जिलाधीश को भेजेंगी या कुछ अधिक नाम भेजने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—कम से कम दो नाम, और जितने अधिक भेजना चाहें उतने भेज सकती हैं।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार ऐसे विधान सभा के सदस्यों के लिये शामिल करने की कृपा करेगी जो वहां रहते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, इसकी विशेष आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर दस नाम चुने जाना है तो दस ही नाम की कमेटी सिफारिश करेगी या ज्यादा नाम भेजने का नियम बनाया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यदि दस नाम चुने जाना है तो कमेटी २० नाम तो भेजेगी ही, और ज्यादा भी भेज सकती है।

लोहे पर नियंत्रण से गृह-निर्माण में असुविधा

**५—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोहे पर नियंत्रण कब से और किन परिस्थितियों के कारण लगाया गया है, और क्या मंत्री जी ने मध्यवर्गीय गृह योजना पर उसके होने वाले प्रभाव पर विचार किया ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—लोहे की कमी के कारण भारत सरकार ने १५ नवम्बर, १९५५ से इस पर फिर नियंत्रण लगा दिया है। इस से होने वाले प्रभाव पर राज्य सरकार यथासंभव विचार करेगी।

**६---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मकान बनाने में लोहे और सीमेंट मिलने में कठिनाई न हो, इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---लोहा और सीमेंट बिना परमिट के नहीं मिलता। जिलाधीश अपने जिले के कोटे के अनुसार मकान बनाने वालों को यथासंभव परमिट देते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रण लगाने के पूर्व उन्होंने क्या व्यवस्था की जिससे लोहा अंडरग्राउन्ड न चला जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसके लिये प्रान्तीय लोहा और इस्पात नियंत्रक ने जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिये हैं। उसके अनुसार जो लोहा १५ तारीख को मौजूद रहा होगा उसकी जाँच-पड़ताल कर ली गई होगी।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इस नियंत्रण से लो-हाउसिंग स्कीम में लोगों को दिक्कत पैदा हो गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह भारत सरकार ने किया और इन सभी बातों पर उसने विचार कर लिया होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस संबंध में भारतीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से सलाह ली ? यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार ने क्या सलाह दी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---भारतीय सरकार को प्रदेशीय सरकार से इस मामले में सलाह लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा की स्त्री शाखा के प्रिंसिपल के ९ पदों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछतांछ

**७---श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार ९ सितम्बर, १९५५ के प्रश्न संख्या ४२ व ४३ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (स्त्री शाखा) के प्रिंसिपल के ९ पदों के antecedents की enquiry जो हो रही थी वह पूरी हो गई या नहीं ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी हां enquiry पूरी हो गई है।

**८---श्री भगवानसहाय---क्या सरकार बतायेगी कि यह एक Public Service कमीशन द्वारा सिफारिश की गई महिला candidate कब तक Principal के पद पर नियुक्त कर दी जायेंगी ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय होने पर नियुक्तियां शीघ्र ही हो जायेंगी।

श्री भगवानसहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ९ प्रिंसिपल की पोस्ट्स के लिये जो सेलेक्शन हुआ है वह डिपार्टमेंटल सेलेक्शन हुआ है या डाइरेक्ट ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---९ डाइरेक्ट हैं, और डिपार्टमेंटल सेलेक्शन कमेटी से भी हैं, और कुछ डाइरेक्ट में डिपार्टमेंटल सेलेक्शन कमेटी के लोग भी आ गये हैं। तो इस वजह से कुछ दिक्कतें इसमें हो गई हैं जिसकी लिखा-पढ़ी उनसे हो रही है।

श्री भगवान सहाय---क्या मंत्री जी बतला सकते हैं कि यह मामला १२ महीने से पेंडिंग पड़ा रहा इसकी क्या वजह है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस मामले में पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखा-पढ़ी हो रही है।

श्री भगवानसहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पी० एस० सी० से जब सिफारिश आ गई और सरकार ने मंजूर करली तो फिर किस बात के ऊपर लिखा-पढ़ी हो रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसमें कुछ तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लोग आये हैं और कुछ डिपार्टमेंटल प्रोमोशन से लोग आये हैं। जब यह मालूम हो जाय कि कितने आदमियों की पदोन्नति पब्लिक सर्विस कमीशन मंजूर कर लेता है तो इन की पूर्ति होगी डायरेक्ट रिक्रूमेंट्स से, और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी ने जो सिफारिश की थी उस पर पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखा-पढ़ी हो रही है।

लखनऊ, इलाहाबाद व आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का कथित विचार

**९--श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि सरकार लखनऊ, आगरा व इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम में कोई संशोधन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

अल्प-बचत योजना पक्ष का मनाया जाना

**१०--श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो अल्प-बचत योजना पक्ष मनाया जा रहा है उसके लिये किस जिले का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? और बाढ़पीड़ित क्षेत्रों की आर्थिक कठिनाइयों पर विचार करके क्या वहां उसे अभी स्थगित रक्खा जायेगा ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--अल्प-बचत योजना पक्ष के लिए निर्धारित प्रत्येक जिले के लक्ष्य का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अल्प बचत योजना पक्ष का मनाया जाना स्थगित नहीं किया गया है। बाढ़ पीड़ित जिलों की ओर से भी योजना पक्ष को स्थगित करने के लिए, कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०१-४०२ पर)

श्री रणंजयसिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लक्ष्य निर्धारित करते समय बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अधिकारियों से विचार विनिमय किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या अब परिस्थिति के संबंध में उनसे परामर्श किया जायगा ?

श्री फूल सिंह--लक्ष्य निर्धारित करते समय कुल साल का १/१० हिस्सा निश्चित किया गया था और बाढ़ पीड़ित जिलों से जो रुपया इकट्ठा हुआ इस योजना में वह काफी संतोषजनक मालूम होता है।

राज्य के भूमि हीन खेतिहर मजदूरों की तालिका की मांग

**११--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके पास ग्राम, परगना, तहसील अथवा जिलावार कोई ऐसी तालिका है जिससे राज्य के अन्तर्गत खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की संख्या ज्ञात हो सके ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--जी नहीं।

**१२--श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सूची की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न नहीं उठता।

**१३—श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्या सरकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही एक ऐसी तालिका निर्मित करवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी सरकार ऐसी तालिका निर्मित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं समझती ।

विलीन काशी राज्य के नागरिकों को वन विभाग से सुविधा देने के लिए आदेश

**१४—श्री रामलखन (जिला बनारस)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मंत्री वन विभाग, चकिया (बनारस) के दौड़े के समय वे विलीन काशी राज्य के नागरिकों को जंगल विभाग से सुविधा देने के बारे में कोई आदेश वहां के सरकारी अधिकारियों को दे आये थे ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां ।

**१५—श्री रामलखन—क्या इस संबंध में वन विभाग से कोई शासकीय आदेश भी जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस संबंध में सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किये । हां, चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स ने इस सम्बन्ध में आदेश अवश्य जारी किये हैं ।

श्री रामलखन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चीफ कंजरवेटर ने किन-किन बातों की सुविधा देने का आदेश दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मकान छाने के लिये फूस, जो आवश्यक है वह फ्री दे दिया जाय, और सरबोझ जलाने के लिये लकड़ी, अगर कोई आदमी लेना चाहे, तो फ्री मिल जायगा । बाड़ के लिये जो कांटे वगैरह होते हैं वह उनको फ्री दिया जाय और रेता, स्लेट इत्यादि जो हैं वह नाम मात्र की रायल्टी पर दे दिया जायगा । मोटी-मोटी बातें यही हैं ।

श्री रामलखन—क्या माननीय मंत्री जी चीफ कंजरवेटर के आदेश की एक प्रति मुझे देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, दिला दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय उप मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जब वह चकिया गये थे तो उन्होंने कौन-कौन सी सुविधायें देने का आदेश दिया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चीफ कंजरवेटर मेरे साथ में थे, और बजाय इसके कि गवर्नमेंट से आदेश जाते, मैंने उनसे कह दिया कि वह इन आदेशों को डिपार्टमेंटल हेड की तरफ से दे दें । सिर्फ एक बात इसमें थी और वह यह कि अगर किसी गांव में जलाने की लकड़ी या चारे के लिये भूमि नहीं है तो अगर वह इस बात की शर्त दें कि वे अपने लिये चारे और जलाने की लकड़ी का रिजर्व बना लेंगे तो उसके लिए उनको डिपार्टमेंट कुछ जमीन देने पर विचार कर सकता है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी जो सुविधा काशी राज्य के नागरिकों को उस जंगल से है वह आस-पास के दूसरे जिलों को भी सुविधा मिलेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ये सुविधा हम प्रान्त भर में जितने जमींदारों से जंगल आये हैं, करीब-करीब सब को दे रहे हैं ।

आजमगढ़ जिले की विभिन्न टाउन एरियाओं से सहायता की मांग

**१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक टाउन एरिया को वित्तीय वर्ष ५३–५४, ५४–५५ और ५५–५६ में कितनी-कितनी और किस-किस मद में सहायता प्रदान की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—आजमगढ़ जिले में मुहम्मदाबाद टाउन एरिया को वित्तीय वर्ष १९५३–५४ में ५,२५० रुपये का अनुदान सड़क के लिये दिया गया ।

वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में आजमगढ़ जिले की किसी टाउन एरिया को अनुदान नहीं दिया गया ।

वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष ५४–५५ में आजमगढ़ के किसी टाउन एरिया को अनुदान क्यों नहीं प्रदान किया गया जब कि प्रत्येक टाउन एरिया से विभिन्न मदों में काम करने के लिये अनुदान मांगा गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—५४–५५ में कोई आवेदन-पत्र अनुदान के लिये उस जिले के जिलाधीश ने सिफारिश करके नहीं भेजा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष ५५–५६ में आजमगढ़ जिले में टाउन एरिया से कुछ मांग आयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, आयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किस टाउन एरिया से कितनी मांग आयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—७ टाउन एरिया से मांग आयी है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं सबको पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—आप सबका टोटल दे सकते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—टोटल तो मेरे पास नहीं है ।

मुबारकपुर टाउन एरिया को नगरपालिका में परिणत करने की मांग

**१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुबारकपुर टाउन एरिया के नागरिकों की ओर से टाउन एरिया को नगरपालिका के रूप में परिवर्तित करने के लिये आवेदन-पत्र और प्रस्ताव आये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं । गत दो वर्षों के अन्दर मुबारकपुर टाउन एरिया को नगरपालिका में बदलने का कोई प्रस्ताव या आवेदन-पत्र नहीं आया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मुबारकपुर टाउन एरिया से नगरपालिका बदलने के लिये कोई प्रस्ताव आये तो उस पर विचार सरकार करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जब प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए गाजीपुर जिला बोर्ड को अनुदान

**१८—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि पिछले तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने जिला बोर्ड,गाजीपुर को कितना धन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खर्च करने को दिया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—पिछले वित्तीय वर्ष में जिला बोर्ड, गाजीपुर को २०,००० रुपये का अनुदान बाढ़ से क्षतिग्रस्त बोर्ड की सड़कों तथा इमारतों की मरम्मत के लिये दिया गया था ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुछ नहीं दिया गया है ।

विलीन रियासतों से प्रदेशीय वन विभाग में लिए गए कर्मचारियों की सीनियारिटी

**१९—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जंगलात विभाग के वे कर्मचारी जो विलीनीकृत-रियासतों से प्रदेशीय जंगल विभाग में (रेंजर आदि पद पर) लिये गये हैं, उनकी वहां की service वर्तमान में count की जा रही है अथवा नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस विषय पर सरकार ने नियम बना दिये हैं, जिनकी एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०३—४०६ पर)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह रेन्जर रियासतों में काम करते थे उनकी ट्रेनिंग जिस प्रकार की थी उसी प्रकार की ट्रेनिंग हमारे प्रदेश के अन्दर रेन्जर को दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न ट्रेनिंग के बारे में नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से पेन्शन के लिये इन रेन्जर्स की सर्विसेज यहां पर काउन्ट की गयी हैं तो क्या कारण है कि उनकी सीनियारिटी एप्वाइंटमेन्ट के हिसाब से यहां पर नहीं काउन्ट की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो मैंने नहीं कहा । मैंने कहा कि नियमों के मुताबिक जो साथ में है, कार्य होगा ।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रियासतों के रेन्जर्स की सीनियारिटी यू० पी० में विलीन होने पर कहां रखी गई थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसके लिये अलग-अलग नियम हैं। कई कारण हैं कि किस तरह से फिक्स की जाय। हर इन्डिविजुअल केस में अलहदा-अलहदा डिसाइड होगा।

डोईवाला शुगर मिल की अव्यवस्था की शिकायत

**२०—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि डोईवाला शुगर मिल के अब तक न चलने का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—डोईवाला शुगर मिल लगभग दस दिन हुए चालू हो गई है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सही है कि इस मिल के समय पर न चलने का एक कारण गन्ने की दर का न तय होना था ?

श्री फूलसिंह---नहीं, बल्कि गन्ने की दर कुछ कम तय होना था।

श्री दीनदयालु शास्त्री--- क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष इस मिल की अव्यवस्था के कारण सहारनपुर जिले के किसानों को गन्ना देने और उसका रुपया पाने में दिक्कत होती है ?

श्री फूलसिंह---सहारनपुर के काश्तकारों को तो गन्ना देने से सुविधा है चूंकि देहरादून के नहीं दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि डोईवाला शुगर मिल को ठीक प्रकार से चलाने के लिये, और दो आने प्रति मन गन्ने की कटौती न देने के लिये मिल मालिक राजी हैं, और उन्होंने सरकार से इस बारे में पत्र-व्यवहार भी किया है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिल मालिक के विषय में एक हमारे साथी ने लिखा था कि उन्हें यह मिल दे दी जाय, और वह २ आने मन कम न देंगे बल्कि जितनी और जगह गन्ने की कीमत मिलती है उतनी कीमत वह देने के लिये उद्यत रहेंगे। परन्तु सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे एक व्यक्ति से मिल छीन कर बिना कोई कानूनी कार्यवाही किये हुये वह किसी दूसरे व्यक्ति को दे सके। जिन व्यक्ति की यह सिफारिश की गई थी, जितना थोड़ा बहुत मुझे अनुमान है, वह व्यक्ति उनके भाई थे जो किछा में फैक्ट्री चलाते थे। किछा वालों का बहुत अच्छा अनुभव हमारा नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति का कभी नाम भी आता तो हम हमेशा ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करने के लिये जरा सोचते। अगर वह २ आने ज्यादा देने की भी बात करते तो भी शायद उन्हें दिलाने की सिफारिश करने के लिये हम तैयार न होते।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में इन्डस्ट्री डेवलपमेंट रेग्यूलेशन ऐक्ट, नाम का एक कानून केन्द्र ने बना रखा है और उसका प्रयोग भी समय-समय पर इस प्रकार के केसेज में हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिस ऐक्ट का जिक्र किया गया है वह इसके लिये बना हुआ है। उसमें पहले फैक्ट्री का इनवेस्टीगेशन कराया जाता है, फिर अथोराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति का सिलसिला आता है। ऐसी कोई कार्यवाही इस साल इस मिल के बारे में नहीं की गई है। जो सिफारिश अभी आई थी, उस व्यक्ति के बारे में, जिसका जिक्र पहले हो चुका है वह १०-१२ दिन हुये हमारे एक साथी ने सिफारिश की थी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---जिस समय डोईवाला फैक्ट्री अथराइज्ड कंट्रोलर-शिप में दी गई थी उस वक्त लोगों को यह मालूम था कि जो गन्ना खरीदा जायगा उसकी कीमत २ आने मन कम देनी होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वहां अभी कोई अथराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हुई है। जिसकी मिल है वही उसे चलाता है।

तराई क्षेत्र में गन्ने के दामों में कमी

२१---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि तराई क्षेत्र में गन्ने के दामों में दो आने प्रति मन की कमी कर दी गई है ? अगर हां, तो क्यों और कहां-कहां ?

श्री फूलसिंह---जी हां। यह कमी तराई क्षेत्र में पैदा होने वाले गन्ने की किस्म को ध्यान में रखते हुये की गई है। इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रेस नोट की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें नैनीताल तथा देहरादून के संबंधित क्षेत्रों का विवरण दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

**२२---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार तराई क्षेत्र के गन्ने में "रिकवरी" (चीनी की मात्रा) कम होने के कारणों पर विचार करने के हेतु कोई विशेषज्ञ-समिति नियुक्त कर रही है?

श्री फूलसिंह---जी नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

**२३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रश्न पर "शुगरकेन बोर्ड" से भी राय ली है?

श्री फूलसिंह---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह २ आने की कटौती मिल मालिकों की मांग पर हुई या सरकार ने स्वतः कर दी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मिल मालिकों की तरफ से भी इस बात की मांग थी, और जो वास्तविक वहां के गन्ने की हालत थी वह भी सरकार के सामने विचार का विषय थी। सरकार ने जानकारी की बुनियाद पर विचार करके किसानों के हित में और गन्ने के उत्पादकों के हित में यह निर्णय किया कि अगर २ आने प्रतिमन कम कीमत पर गन्ना इन मिलों को दिया जाय तो कदाचित् वह सारा गन्ना जो कि उन क्षेत्रों में होता है पिरवाया जा सकता है, वरना प्रदेशीय सरकार के सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी रहती जो आज है उस मिल के हट जाने के कारण जो किछा में स्थित थी और हट गई है। गन्ना बहुत मात्रा में पैदा हो जाने के कारण अन्य मिलें बिना गन्ने की कीमत हटाये पेरने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि भारतीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार की सलाह से पिछले साल सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ के सीजनों के लिये १ रुपया ७ आने मन गन्ने की कीमत तय कर दी थी, और इस कीमत को देखते हुये तराई क्षेत्र के किसानों ने गन्ना लगाया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बहरहाल, यह ठीक ही है कि केन्द्रीय सरकार ने एक वर्ष पूर्व प्रदेश के सारे स्थानों में जो गन्ना पैदा होता है, उसके लिये कीमत निर्धारित कर दी थी और इसकी सूचना क्षेत्र के निवासियों और उत्पादकों को भी रही होगी कि अगले वर्ष गन्ने की कीमत १ रुपया ७ आने मन होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रेस नोट में लिखा है कि अगर एग्रीगेट रिकवरी ९.६ से कम नहीं होगी तो दाम फिर २ आने बढ़ा दिये जायंगे, इसकी जांच के लिये कि रिकवरी ९.६ से कम तो नहीं है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपने विशेषज्ञों को जानकारी के लिये भेजेगी। जहां तक प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है, उसके दो विशेषज्ञों, श्री वर्मा और श्री पराश्री, जो शुगर टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट से सम्बन्ध रखते हैं, की रिपोर्ट नैनीताल तराई के बारे में प्राप्त है, और अभी कोई कारण नहीं है कि सरकार इस रिपोर्ट पर विश्वास न करे। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो रिकवरी

बतलाई गई है वह कम है उस एवरेज रिकवरी से जो अन्य स्थानों में मिलती है। इसलिये प्रदेशीय सरकार तो अभी किसी और ढंग से अन्य जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न में नहीं है जब तक कि उसके पास एक रिपोर्ट विशेषज्ञों की मौजूद है।

श्री गेंदासिंह---क्या जो आदेश केन्द्रीय सरकार ने कीमत कम करने के दिए हैं उसके लिए क्या राज्य सरकार की ओर से सिफारिश गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- जी हां, उन्हीं गन्ना उत्पादकों के प्रस्ताव के अनुसार और उन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---यहां के गन्ने में सूक्रोज का परसेंटेज कितना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- जहां तक डोईवाला का सम्बन्ध है वहां पर कदाचित् ८ प्रतिशत है। किसी किसी स्थान पर गन्ने की रिकवरी ८.६ और ८.५ के नजदीक आती है। मैं निश्चित फिगर नहीं बता सकता, यह मैं अपनी याददाश्त से कह रहा हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सही है कि रायवाला हरद्वार के बीच गन्ने की रिकवरी वैसी ही है जैसी कि सहारनपुर में है ?

श्री फूलसिंह---जांच करने के बाद यदि रिकवरी अच्छी पायी जायगी तो दाम बढ़ा दिये जायंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बतायेगी कि मिल चलने के पहले ही मिल मालिकों ने यह रिप्रेजेन्टेशन किया कि ९ प्रतिशत से कम रिकवरी नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तराई क्षेत्र में कौन सी किस्म का गन्ना पैदा होता है जिसकी वजह से दामों में रिडक्शन किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- वहां जो किस्म पैदा होती है उसका पता तिवारी जी को तथा उनके साथियों को है, और उन व्यक्तियों को भी है जो उत्पादकों की तरफ से उनकी हिमायत में इस प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं ?

पूर्वी जिलों में पंचायती चुनाव का स्थगन

**२४---श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या स्वायत शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों में पंचायत चुनाव नहीं होने जा रहे हैं ? इसका कारण क्या है और कब तक उनका चुनाव सम्पन्न होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती और देवरिया जिलों में भीषण बाढ़ के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इन जिलों में अगले फरवरी मास में चुनाव कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिन जिलों में चुनाव स्थगित किया गया है क्या उन जिलों के जिलाधीशों ने यह मांग की थी कि चुनाव स्थगित किये जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां। जिन जिलों में भीषण बाढ़ आयी थी और जहां पर चुनाव होने में कठिनाई थी, और जहां के जिलाधीशों ने यह लिखा था कि इस समय चुनाव करना ठीक न होगा, उन जिलों में चुनाव स्थगित किए गए थे।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी फरवरी-मार्च को किसानों के खेती के काम के दिन समझ कर चुनावों को आगे के लिए स्थगित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—आगे तो सम्भवतः किसानों को और भी अधिक काम रहता है, किन्तु यदि माननीय सदस्य कोई अच्छा सुझाव देंगे जिसमें चुनावों को अधिक टालने की बात न होगी, तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार इन जिलों के चुनावों को फरवरी में सदन बैठने के पहले कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—सदन कब से बैठेगा इसकी तिथि तो अभी नियत नहीं हुई है, अभी प्रस्ताव विचाराधीन है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जब सदन बैठेगा उससे पहले चुनाव होंगे या नहीं ?

**२५—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किया गया।]

मूक और बधिर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार ऐसे मूक और बधिरों को, जो मूक और बधिर स्कूलों में शिक्षा पाते हैं, कुछ छात्रवृत्ति देने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, ऐसी संस्थाओं के छात्रों को एक निश्चित धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में बांटी भी जा चुकी है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन मूक, बधिरों के हेतु कितनी धनराशि दी जाती है, और चालू वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि किन-किन संस्थाओं को दी गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—पिछले वर्षों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, उसके लिए सूचना चाहिए, लेकिन इस वर्ष ५,००० रु० की धनराशि निश्चित की गई थी और वह दी गई है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि वह किन-किन संस्थाओं को दी गई ?

आचार्य जुगल किशोर—वह ४३ विद्यार्थियों को दी गई है। संस्थाओं के नाम यह हैं—भातखंड संगीत विद्यालय, लखनऊ; उदासीन संस्कृत विद्यालय, बनारस; अन्ध विद्यालय, भदैनी, बनारस; मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद; मूक बधिर विद्यालय, बनारस; दुनिया जूनियर हाई स्कूल, देहरादून; शार्प मेमोरियल अन्ध विद्यालय, देहरादून; लालसिंह भानसिंह इंडस्ट्रियल ब्लाइंड स्कूल, मैनपुरी; मूक बधिर विद्यालय, बरेली; दयालु संस्कृत विद्यालय, बनारस; काशी सेवा समिति अन्ध विद्यालय, बनारस; मूक बधिर विद्यालय, पीलीभीत।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि छात्रों को यह छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी जाती हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—उनकी आवश्यकताओं के अनुसार।

*३-५—श्री रामेश्वरलाल—[स्थगित किए गए।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत स्थापित समाज-कल्याण केन्द्रों का कार्य

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में समाज-कल्याण केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये गए हैं और उनके अन्तर्गत अब तक क्या-क्या विशेष कार्य किए जा चुके हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--राज्य सरकार की महिला-मंगल-योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित स्थानों पर महिला-मंगल केन्द्र स्थापित किये गये हैं :--

१--मनारबोझ,
२--कुचई,
३--हाजीपुर,
४--खुनखुनवा
५--कसारा,
६--फैजुल्लापुर,
७--शाहपुर,
८--बुधवल, तथा
९--नदवल ।

इन केन्द्रों पर ग्राम सेविकाओं द्वारा बहुत से कार्य सिखाये जाते हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं :--

१--बालबाड़ी,
२--प्रौढ़ शिक्षा,
३--सिलाई,
४--चर्खा,
५--फल-संरक्षण,
६--बागवानी,
७--सांस्कृतिक कार्यक्रम
८--संतानोत्पत्ति के पूर्व तथा पश्चात् माताओं की देखभाल ।
९--स्वास्थ्य तथा सफाई
१०--मनोविनोद ।

*७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में समाज-कल्याण केन्द्रों पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

आचार्य जुगलकिशोर--महिला-मंगल-योजना, आजमगढ़ जिले में सन् १९५० में खोली गई है। तब से सरकार प्रत्येक वर्ष पूरे जिले के समस्त केन्द्रों तथा जिला संयोजिका के कार्यालय के लिये २,५६० रु० के प्रासंगिक व्यय की स्वीकृति देती है। इसी रुपये से जिला संयोजिका तथा ग्राम सेविकाओं के वेतन व भत्ता के सिवाय केन्द्रों तथा जिले का पूरा खर्च वर्ष भर चलाया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को विदित है कि ये जो महिला मंगल केन्द्र स्थापित किए गए हैं, ये केवल कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स में खोले गए हैं, सारे जिले में नहीं ?

आचार्य जुगल किशोर--ज्यादातर नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स में हैं ।

*८--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--[स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले के सर्वोत्तम हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए विचाराधीन अनुदान

*९--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर जिले के सबसे उत्तम हायर सेकेंडरी स्कूल के नाते १५,००० रु० का ग्रान्ट वह किस स्कूल को देने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सीताराम--मामला विचाराधीन है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह जो सिफारिश मांगी गई थी वह आई या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--अभी नहीं आई है ।

फीरोजाबाद की समस्त ग्लास फैक्टरियों पर फैक्टरीज ऐक्ट न लागू होना

*१०—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि फीरोजाबाद में ऐसी ग्लास फैक्टरीज हैं जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट लागू नहीं है ? यदि हां, तो कितनी और उन पर क्यों यह कानून लागू नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर—फीरोजाबाद के जितने कांच के कारखाने 'फैक्टरी' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं उन सब पर फैक्टरीज ऐक्ट लागू हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी फिरोजाबाद में उन फैक्टरीज की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट लागू हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—वह फैक्टरीज, जहां पर २० से कम कारीगर काम करते हैं १०२ हैं, जहां पर २० से ज्यादा काम करते हैं वह ६४ हैं और कुछ ऐसे कारखाने भी हैं जहां पर फैक्टरी ऐक्ट लागू किया जा सकता है और यह कार्य गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है कि वहां पर लागू किया जाय या न लागू किया जाय, वह ६० हैं और कुछ ऐसी फैक्टरीज भी हो सकती हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिन ६० फैक्टरियों के लिए सरकार ने कहा है कि वहां पर फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं है, वहां पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मैंने अभी सूचना दी है कि ऐसी ६० फैक्टरियां हैं जिन पर लागू किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी ने अभी ऐसी फैक्टरीज की सूचना पढ़ी जिन पर सरकार को डिस्क्रीशन है कि लागू करे या न करे ? तो ऐसे कितने पर लागू किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मैंने अभी बतलाया है कि ऐसी ६० हैं जिन पर लागू किया जा चुका है।

फीरोजाबाद ग्लास फैक्टरीज के मजदूरों का मांग-पत्र

*११—श्री झारखंडेराय—क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि उनके फीरोजाबाद जाने के समय जब मजदूर प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, तो उसने उनके सम्मुख क्या मांगें प्रस्तुत की थीं और उस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रतिनिधि मंडल की मांगों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यवाही की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०८–४०९ पर)

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मांग पत्र में नम्बर दो की मांग जो है उसमें सायरन सीटी लगाने के सम्बन्ध में बताया गया है कि फैक्टरियों के मालिक इस पर राजी नहीं हुए। तो मैं जानना चाहता हूं कि राजी न होने के उन्होंने क्या कारण बतलाए ?

आचार्य जुगलकिशोर—शायद इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि एक समय पर फैक्टरी खोलने के लिए वह तैयार नहीं थे। आध घंटे के नियम के लिए तो तैयार हैं परन्तु एक ही समय पर फैक्टरी खुले, इसके लिये वह तैयार नहीं थे ?

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मांगपत्र में जो आखिरी मांग है कि क्वार्टर मजदूरों को कम कराये पर दिये जायं, उसके सिलसिले में क्या बताने का कष्ट करेंगे कि कितने मजदूरों के रहने की व्यवस्था इस हाउसिंग स्कीम के मातहत सरकार की ओर से की जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---फीरोजाबाद के मजदूरों के रहने के लिए इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्दर मकान बनाये जा रहे हैं। उनका किराया मजदूरों के हित के मुताबिक उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि आप कितने मकान बनाना चाहते हैं।

आचार्य जुगलकिलोर---इसकी तो मुझे इस वक्त में सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मांग नं० २ से सम्बन्धित; क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि फीरोजाबाद में केवल नाइट शिफ्ट का काम होता है; वहां साइरन लगाने की महती आवश्यकता है, कोई लेजिस्लेशन लाने की कृपा करेंगे कि जिससे फीरोजाबाद की फैक्टरी के मालिक साइरन मजबूरी से लगायें ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। परन्तु मुझे मालूम होता है कि इसमें काफी दिक्कत होगी।

जौनपुर जिले के मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान न मिलना

*१२---श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में शिक्षा विभाग द्वारा सन् १९५१ से अब तक कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दी गई ?

डाक्टर सीताराम---६ विद्यालयों को।

*१३---श्री बसन्तलाल---इन मान्यता प्राप्त किन-किन शिक्षण संस्थाओं को कितनी कितनी वार्षिक राज्य सहायता प्राप्त होती है ?

डाक्टर सीताराम---वर्ष १९५५-५६ में गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल, उरई जालौन को ३,९३२ रु०, और जनता हायर सेकेंडरी स्कूल को १,२३६ रु० अनुदान स्वीकृत हुआ है।

श्री बसन्तलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय उन चार मान्यता प्राप्त विद्यालयों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको कोई राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई ?

डाक्टर सीताराम---उसमें ६ में से दो को हो गयी है। चार को जिनको नहीं हुई उनके नाम ये हैं---अभिमन्यु हायर सेकेंडरी स्कूल, क्योलारी, जालौन; कर्नल ईश्वरी सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, शेखपुर बुजुर्ग, जालौन; बुन्देलखंड हायर सेकेंड्री स्कूल, कोटरा, जालौन; जवाहर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोहन, जालौन।

श्री बसन्तलाल---इन मान्यता प्राप्त चार शिक्षण संस्थाओं को कोई राजकीय सहायता आज तक प्राप्त नहीं हुई इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अनुदान की लिस्ट पर कंडीशंस फुलफिल नहीं की हैं, इस वजह से अभी नहीं आये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दी जाती है, क्या यह आवश्यक हो जाता है कि उनको सरकारी सहायता भी दी जाय। और अगर जरूरी है तो कितने साल के बाद दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह आवश्यक तो नहीं है क्योंकि शायद मान्यता प्राप्त करने के लिये जब आवेदन-पत्र दिया जाता है तो उसमें वह लिख ही देते हैं कि ३ वर्ष तक हम कोई ग्रान्ट-इन-एड नहीं मांगेंगे। तो ३ वर्ष के बाद ही अमूमन वह कन्सीडर होता है, और अगर उसके बाद भी कन्डीशन्स नहीं फुलफिल किये रहते तो उनको अनुदान नहीं मिलता।

आजमगढ़ तथा इलाहाबाद जिलों से राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित छात्रों को सहायता

*१४---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसके पास सन् १९५३-५४ तथा ५४-५५ में कितने प्रार्थना-पत्र आजमगढ़ तथा इलाहाबाद जिलों से राजनैतिक पीड़ितों के आश्रित छात्रों की सहायता के लिये आये थे ?

*१५---क्या सरकार बतायेगी कि उनमें से कितनों को मासिक छात्रवृत्ति तथा कितनों को पुस्तक का दाम दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१० पर)

गाजीपुर जिले में हरिजन विद्यार्थियों को सहायता

*१६---**श्री शिवपूजन राय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सन् १९५४-५५ में कितने हरिजन बालकों को छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सन् १९५४-५५ में ४१२ हरिजन बालकों और २१ बालिकाओं को छात्रवृत्ति तथा ६९ हरिजन बालकों को अन्य सहायता दी गई।

*१७---**श्री शिवपूजन राय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले के मुहम्मदाबाद तहसील के किन-किन स्कूलों में हरिजन बालकों को सहायता दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जिन स्कूलों के हरिजन बालकों को सहायता दी गई है उन स्कूलों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४११ पर)

*१८---**श्री नारायण दत्त तिवारी**---[स्थगित किया गया।]

नैनीताल जिले में हरिजनों को पीने के पानी की सुविधायें देने के कार्य

*१९---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले की सभी तहसीलों में हरिजनों को पीने का पानी सुलभ किये जाने हेतु विगत दो वर्षों में क्या-क्या कार्य किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---विगत दो वर्षों में नैनीताल की जिन तहसीलों में पानी सुलभ किये जाने हेतु डिग्गियों, नौला, गुल, कुएं, तथा पाइप लाइन बनवाई गई हैं उनका विवरण विस्तार से संलग्न तालिका में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४१२ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या संलग्न तालिका में शहरी क्षेत्रों के हरिजनों में भी जो अनुदान दिये गये हैं, वे भी इसमें शामिल हैं ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये सूचना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र, जिला नैनीताल में इसलिये अनुदान हरिजनों को नहीं दिया जा सका कि चूंकि जिला हरिजन सहायक समिति ने शहरी क्षेत्रों के हरिजनों को ग्रांट देने की मनाही की है ?

डाक्टर सीताराम---हां, इसके लिये तो मनाही अवश्य है। लेकिन अगर उसके नेबरिंग गांव में अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो दे देते हैं उसको आप शहर में इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि हरिजनों को पानी पीने के लिये जो सुविधायें दी जाती है उसमें हरिजनों से आधी कीमत ली जाती है और आधी कीमत सरकार देती है ?

डाक्टर सीताराम---हां, बात सही है। लेकिन जो हरिजन रुपया नकद देना चाहें वे दे सकते हैं, लेकिन नकद नहीं दे पाते हैं, वे श्रम के रूप में दे देते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों को आधा नहीं बल्कि दो-तिहाई भाग देना पड़ता है जिसकी वजह से हर जिले का भाग बच जाता है ?

डाक्टर सीताराम---आदेश तो आधे के लिए चले गये हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि स्टेट हरिजन बोर्ड की मीटिंग जो नैनीताल में हुई थी उसमें इस प्रकार का एक प्रस्ताव आया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों के हरिजनों को कुएं के पानी का अनुदान दिया जाना चाहिये। वह नियम लागू हुआ या नहीं ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रस्ताव आया होगा लेकिन इसकी सूचना सरकार को कोई नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार नियमों में कोई ऐसा संशोधन करने जा रही है जिससे कि हरिजन ग्रामीण क्षेत्रों को आधे के स्थान पर पर दो-तिहाई अनुदान सरकार दे सके ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आधे का तो हो गया है। अभी तो गवर्नमेंट एक-तिहाई देती थी, दो-तिहाई उसको देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट आधा ही देगी।

दारानगर हाई स्कूल, जिला इलाहाबाद की मान्यता

*२०---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दारानगर हाई स्कूल, जिला इलाहाबाद के हाई स्कूल की अस्थाई मान्यता ले ली है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---ऐसी कोई मान्यता अभी प्रदान नहीं की गई है, अतः वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वहां के अधिकारियों ने स्कूल की मान्यता के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हो सकता है दिया होगा । इसकी सूचना हमारे यहां नहीं आती है ।

ग्राम करारी स्कूल, जिला इलाहाबाद की मान्यता

*२१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला इलाहाबाद ग्राम करारी स्कूल को कितने वर्ष से मान्यता प्राप्त है ?

डाक्टर सीताराम---इस संस्था को सन् १९३३ से "हिन्दी मिडिल स्कूल" के रूप में और १० दिसम्बर, १९५४ से जूनियर हाई स्कूल अंग्रेजी मिडिल स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

तहसील सिराथू मकनपुर, जिला इलाहाबाद के मान्यताप्राप्त स्कूल

*२२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील सिराथू मकनपुर, जिला इलाहाबाद में उन स्कूलों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है ?

डाक्टर सीताराम---६७ ।

गवर्नमेंट कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन, इलाहाबाद के शेड्यूल्ड कास्ट उम्मीदवार को छात्रवृत्ति न मिलना

*२३---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---क्या यह सही है कि गवर्नमेंट कालेज आफ फिजीकल एजूकेशन, इलाहाबाद के लिए चुने गये शेड्यूल्ड कास्ट उम्मीदवार को स्वीकृत छात्रवेतन वृत्ति १९५०-५१ की अब तक भी नहीं प्राप्त हो सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, क्योंकि महासंख्यानक उत्तर प्रदेश ने अभी तक बिल पास नहीं किया है । इस संबंध में सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कानपुर नगर में हरिजन छात्रावासों तथा पुस्तकालयों को सहायता

*२४---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर व जिले में हरिजनों के लिये कितने छात्रावास व लाइब्रेरियां हैं जिनको सरकारी अनुदान मिलता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कानपुर शहर व जिले में हरिजनों के लिये ३ छात्रावास तथा ३ पुस्तकालय हैं जिनको सरकारी अनुदान दिया जाता है ।

*२५---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मंत्री महोदय हरिजन छात्रावास व लाइब्रेरियों के नाम मय पते के साथ ही, उनको कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४१३ पर)

नोट---तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हरिजन छात्रावासों व पुस्तकालयों को सहायता देने के नियम

*२६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हरिजन छात्रावास व लाइब्रेरियों को अनुदान देते समय सरकार किन-किन बातों को देखती है ? कृपया उन नियमों की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करें ?

श्री हरगोविन्द सिंह—परिगणित जातीय संस्थाओं के लिये सरकारी अनुदान के नियम संलग्न वार्षिक विवरण-पत्रिका के पृष्ठ १,२ तथा ३ पर दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४१४–४२२ पर)

बरेली नगर में भिखारियों के लिए सेवा-सदन खोलने का विचार

*२७—श्री जगदीशसरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बताने का अनुग्रह करेगी कि बरेली नगर में भिखारियों की संख्या कितनी है और उसमें अपाहिज और कुष्ट रोगी कितने हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—यू० पी० आर्फनेजेज ऐण्ड विडोज होम्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बरेली नगर में भिखारियों की संख्या कुल २५० है जिसमें से ५३ अपाहिज तथा २० कुष्ट रोगी हैं ।

*२८—श्री जगदीशसरन (अनुपस्थित)—क्या सरकार बरेली नगर में भी भिखारियों, विशेषतया अपाहिजों के लिये कोई आश्रम या निवास-स्थान बनाने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । बरेली नगर में भिखारियों के लिये सेवा सदन बनाने की बात शासन के विचाराधीन है पर अभी तक इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

सहजनवां जूट मिल सम्बन्धी कन्सीलियेशन बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार

*२९—श्री नारायणदत तिवारी—क्या यह सही है कि सहजनवां जूट मिल्स के संबंध में चल रहे औद्योगिक विवाद के संबंध में बनाये गये कन्सीलियेशन बोर्ड ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि उभयपक्षों में कोई समझौता न हो सका ? यदि हां, तो उक्त महत्वपूर्ण औधोगिक विवाद के निर्णयार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, कन्सीलियेशन बोर्ड की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

सहजनवां जूट मिल में मजदूर की कथित मृत्यु

*३०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि १५ सितम्बर, ५५ को सहजनवां जूट मिल में काम करते समय किसी मजदूर की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृतक परिवार के लोगों को क्या मुआवजा दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—१५ सितम्बर, १९५५ को सहजनवां जूट मिल में काम करते समय किसी मजदूर की मृत्यु नहीं हुई । मुवाअजे का प्रश्न नहीं उठता ।

हाथरस के लल्लामल हरदेवदास काटन मिल्स पर श्रमिकों का बक़ाया वेतन

*३१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के लल्लामल हरदेवदास काटन मिल और रामचन्द्र न्यू कॉटन एन्ड बीविंग मिल्स पर मजदूरों का कितना-कितना वेतन अब तक का बकाया है ?

आचार्य जुगलकिशोर---रामचन्द्र न्यू कॉटन मिल्स पर श्रमिकों का कोई उपार्जित वेतन अब शेष नहीं है ।

सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार लल्लामल हरदेव दास काटन मिल्स के श्रमिकों का दिसम्बर, १९५२ तथा जनवरी व फरवरी, १९५३ का वेतन कुल ४४,९१४ रु० मिल मालिकों पर बकाया है। मिल मालिकों का कहना है कि उन्होंने इस वेतन में से १८,९५६ रु० श्रमिकों को दे दिये हैं, किन्तु इस कथन की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि मिल बन्द है और उसके कागजात उपलब्ध नहीं हो सके ।

*३२-३४---श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---[स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

१---श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार को ज्ञात है कि वनस्थली विद्यापीठ की कुछ छात्राओं को सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति पिछले वर्ष विद्यापीठ का सत्र समाप्त होने के पश्चात् मिली ? यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां। छात्रवृत्ति बिल पर जयपुर ट्रेजरी ने एतराज कर दिया था इस कारण पत्र व्यवहार में देरी हुई ।

कठकुइयां, पडरौना और खड्डा चीनी मिलों के सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्नोत्तर तथा उनके सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी ने मेरे पास कुछ प्रश्न भेजे थे, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, वह हैं कठकुइयां चीनी मिल के सम्बन्ध में। वह तीन प्रश्न थे। मैंने माननीय नियोजन मंत्री जी से यह कहा था कि यदि वह इस संबंध में प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकते हैं । माननीय गेंदासिंह जी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ? आपको चूंकि जानकारी की जल्दी थी इसलिए मैंने कहा कि मैं मौका उनको दे दूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---असल में मैंने पडरौना, कठकुइयां और खड्डा तीनों के बारे में पूछा था और इतनी इजाजत जरूर चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ उनसे जानकारी हासिल कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष---वह तीनों ही के बारे में है, और आप एकाध सवाल बाद में पूछना चाहें तो पूछ लें, लेकिन प्रश्नों का सिलसिला न शुरू कर दें ।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मैंने कोई वक्तव्य तो नहीं लिख रखा है, लेकिन जो प्रश्न माननीय गेंदासिंह जी ने भेजे हैं उनका उत्तर मैंने लिख लिया है। मैं पहले उत्तर पढ़े देता हूं और उसके उपरान्त यदि वे कुछ और जानकारी जानना चाहेंगे.....

श्री अध्यक्ष---सवाल यह था कि चूंकि आप खुद गये थे, मुझे मालूम हुआ कि आप वहां पर गये थे, तो आपको जानकारी कुछ अधिक होगी। तो इस संबंध में जो प्रश्न और उठ सकते हैं उनके ऊपर भी आप कुछ रोशनी डाल देंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं अभी तो जिस तरह से उन्होंने प्रश्न रखे हैं उनका उत्तर जो कि मैंने लिख लिया है उसे उनके समक्ष रखे देता हूं--

प्रश्न	उत्तर
१---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बावजूद माननीय खाद्य मंत्री के इस सदन में आश्वासन के कि कुठकुइयां चीनी मिल ७ दिन में चल जायगी और पडरौना भी जल्द ही चल जायगी अभी तक दोनों मिलें नहीं चल पायीं ?	कुठकुइयां मिल चार-पांच दिन में चल जायगी, क्योंकि एथराइज्ड कंट्रोलर को केन्द्रीय सरकार ने ऋण लेने के लिए अब आज्ञा दे दी है। किन्तु पडरौना मिल के चलने में अभी लगभग तीन सप्ताह और लगेगा। कारण, उसके पुराने मालिकों ने उसमें मरम्मत का कोई प्रयत्न नहीं किया था और अब उसमें बहुत मरम्मत का काम बाकी है। कठकुइयां मिल के क्षेत्र का सब गन्ना पेर दिया जायगा। आशा है पडरौना मिल के क्षेत्र का गन्ना भी सीजन के अन्त तक पेर दिया जायगा। यदि ऐसा सम्भव न हुआ तो उसका गन्ना दूसरी मिलों को दिया जा सकता है।
२---क्या, इसकी जानकारी सरकार को है कि खड्ढा, देवरिया चीनी मिल भी न तो चल रही है और न जल्द चलने की सम्भावना है ?	खड्ढा मिल की एथराइज्ड कंट्रोलर रानी रेवती देवी ने सरकार को सूचित किया है कि वह २६ दिसम्बर से मिल चालू कर देंगी।
३---क्या यह सही है कि अभी तीन दिनों तक माननीय उद्योग मंत्री जी ने देवरिया जिले का दौरा किया है और इस संबंध में जानकारी करने तथा यहां के मजदूरों, उत्पादकों और मिल-मालिकों से उनकी कठिनाइयों को जानने का यत्न किया है ?	जी हां। प्रदेशीय सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है कि कठकुइयां, पडरौना और खड्ढा मिल शीघ्रातिशीघ्र चल जायें।

जहां तक कठकुइयां और पडरौना मिलों का सम्बन्ध है, मैंने स्वयं इस बात की जानकारी हांसिल कर ली है कि जिस व्यक्ति ने इन दोनों मिलों को खरीदा है, और जो व्यक्ति वक्त इनका एथराइज्ड कंट्रोलर अभी नियुक्त कर दिया गया है, जैसा उसने वचन दिया है, वह उस बचन को पूरा करेगा और इन दोनों मिलों को चलाकर जो दिक्कतें उत्पादकों की हैं और मजदूरों की हैं उनका निवारण करेगा और सारा गन्ना जो इन मिलों को मिला हुआ है उसे वह पिरवा सकेगा।

खड्डा मिल का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा कि श्री गेंदासिंह जी स्वयं जानते हैं, उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अथराइज्ड कंट्रोलर रखा गया है, जो कि उस मिल के मालिक हैं। प्रदेशीय सरकार ने जो अथराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति के विषय में सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की थी, उस समय उस जानकारी की बुनियाद पर जो प्रदेशीय सरकार को थी वह एक दूसरे व्यक्ति के नाम अथराइज्ड कंट्रोलर के लिए भेजी गई थी, परन्तु उस अधिकार के अनुसार जो कि केन्द्रीय सरकार को शुगर रेगुलेशन ऐक्ट के तहत में है, उन्होंने मिल के मालिकों में से जो एक मालिका थी, श्रीमती रानी रेवती देवी, उन्हें अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कर दिया। उनके पास, जैसा प्रदेशीय सरकार को पहले ज्ञान था, साधनों की कमी थी और प्रदेशीय सरकार आज भी यह अनुभव कर रही है कि वे

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उन्हीं साधनों की कमी के कारण मिल के चलाने में दिक्कतें अनुभव कर रही हैं। बहरहाल सरकार ने उनके वचन को स्वीकार कर के उन्हें २६ दिसम्बर तक इस बात का अवसर प्रदान किया है कि वे मिल को चलाएं। यदि वे नहीं चला सकेंगी और २६ तारीख को मिल न चल सकेगी, तो वह सारा गन्ना जो कि इस मिल के तहत में था, या जो इसके जोन में था वह अन्य मिलों को बांट दिया जायगा। सरकार इस बात की पूरी चेष्टा करेगी कि उन सारे उत्पादकों का गन्ना अन्य मिलों में पेर दिया जाय।

तो जहां तक गन्ने के उत्पादकों का सम्बन्ध रहेगा, उन्हें कदाचित अपने गन्ने के पिरवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परन्तु जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है यदि ऐसी घटना हुई या मिल न चल सकी तो अवश्य मजदूरों को दिक्कत उठानी पड़ेगी, जो इस अथराइज्ड कंट्रोलर के साधनों के न रहने की वजह से तथा मिल के न चलने के कारण पैदा हो सकती है। यह इस सरकार के लिए दिक्कत की बात होगी, दुर्भाग्य की बात होगी, परन्तु जहां तक स्थिति अभी जैसी है, वह मैंने इन उत्तरों में व्यक्त कर दी है। हम अभी आशा करते हैं कि जो अथराइज्ज कंट्रोलर ने वचन दिया है वह अपने वचनों को पूरा करेंगी।

† श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और अधिक समय न ले करके केवल दो तीन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उनको फिर स्पष्ट कर दिया जाय तो मुनासिब होगा।

पहली बात तो यह है कि जो खड्डा के सिलसिले में माननीय नियोजन मंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने अथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर कर दिया, और जैसा कि वे स्वयं इस बात को कबूल करते हैं कि अब भी जिनको अथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर किया गया है, उनके साधनों के ऊपर उन्हें भी विश्वास नहीं है---मुझे भी नहीं है। कुछ दिन पहले सरकार के पास वहां की केन यूनियन का फैसला लोगों ने भेजा है। मेरे पास भी उसकी प्रतिलिपि आई है। उन्होंने कहा है कि जब तक बाकी कीमत का बन्दोबस्त न हो जाय और आगे के लिए ऐसी गारन्टी न हो जाय कि गन्ने की कीमत मिलेगी, वे गन्ना नहीं देंगे। वहां यह कठिनाई हो गयी है कि न मजदूरों के पास पैसा है, न मशीनरी की मरम्मत कराने के लिये पैसा है। किसी तरह के साधन उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। तो फिर ऐसी हालत में जब कम से कम १५-१६ हजार किसान अपना गन्ना लिये खड़ा हुआ है, खेत में और मजदूर के लिए जैसा कि माननीय नियोजन मंत्री जी कह रहे हैं, उसको भी कठिनाई है। तो फिर इसके लिये सरकार क्या सोच रही है? आखिर उन गन्ने वालों की और उन मजदूरों की केवल गन्ने को डाइवर्ट कर देने से तो यह मुसीबत दूर नहीं होती। आखिर वह गन्ना कहां जायगा, कितनी देर तक खड़ा रहने के बाद जायगा?

दूसरी बात पडरौना और कठकुइयाँ मिल के बारे में है। अभी नियोजन मंत्री ने उस दिन कहा था, और मैं समझता हूं सरकार बहुत ही प्रमाणित आधारों पर कोई वक्तव्य देती है, कि ७ दिन में फैक्टरी चल जायगी। आज २०, २१ दिन से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं चली! अब नियोजन मंत्री जी कह रहे हैं कि ५ जनवरी तक चलेगी। पडरौना के लिये कहते हैं कि तीन सप्ताह में चलेगी। इन तीनों फैक्टरियों के सम्बन्ध में मैं यह कहता हूं कि हम तो अपनी जान से भी ज्यादा मुहब्बत इन फैक्टरियों से करते हैं और चाहते हैं कि वे चलें और किसान का, मिलमालिक का और मजदूर का भला हो। लेकिन अगर वे नहीं चलती हैं तो फिर १५ दिन, २० दिन या १ महीने के बाद सरकार यह बन्दोबस्त करेगी कि वह गन्ना दूसरी जगह जाय तो आखिर वह कहां

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा ? वक्त तो गुजर जायगा और इस बीच में खेत में खड़े-खड़े नुकसान हो रहा है। फिर जो हालत दोईवाला के लिये, तराई के लिये हुई, दो आना मन कम करने की सिफारिश कर दी, वही यहां भी प्रश्न उठा सकते हैं कि यह गन्ना खराब है, इसकी कीमत कम कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---अब तो विवाद होने लगा।

श्री गेंदासिंह---जी नहीं। मैं विवाद नहीं कर रहा हूं। एक बात मैं अन्त में कह दूं कि इन मजदूरों का क्या होगा ? अगर गन्ना डाइवर्ट भी कर दिया गया तो ये चार हजार मजदूरों का क्या होगा ? इस वर्ष तो उनकी नौकरी घपले में है ही, अगले वर्ष भी खतरे में है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक खड्डा मिल का विषय है उस सम्बन्ध में मैं जितना प्रकाश डाल सकता था उतना मैंने डाल दिया। माननीय गेंदासिंह जी यह जानते हैं कि अथोराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति का अधिकार अब नये कानून के हिसाब से केन्द्रीय सरकार को है। और जैसा कि मैंने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा है कि प्रदेशीय सरकार की सलाह के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसके पास प्रदेशीय सरकार के हिसाब से साधन नहीं थे। कितनी भूल हुई मैं उसकी चर्चा सदन में नहीं कर सकता, परन्तु जहां तक प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध रहा है वह बराबर इस बात पर जोर देती रही है कि गन्ना उत्पादकों की समस्या को समझते हुये और मजदूरों की समस्या को समझते हुये ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये जो कि उसको चला सकें, जिनके पास धन हो, जिनके पास तजुर्बा हो। जब अधिकार केन्द्रीय सरकार को हो और प्रदेशीय सरकार से उसके विषय में प्रश्न पूछा जाय तो प्रदेशीय सरकार कितनी मात्रा में दिक्कत में पड़ जाती है इसका अनुमान प्रश्नकर्ता महोदय स्वयं लगा लें।

उनकी यह आपित्त कि मजदूरों का क्या होगा, मैं यही अभी कह सकता हूं कि प्रदेशीय सरकार की पूरी चेष्टा है कि खड्डा की मिल चले, और मजदूरों और उत्पादकों दोनों का ही भला हो। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसके ऊपर हमारा अधिकार न हो तो मैं यही कह सकता हूं कि मुझे मजदूरों से पूरी सहानुभूति है। इससे अधिक अधिकार न रहते हुये मैं कोई वचन इस समय नहीं दे सकता हूं।

जहां तक और फैक्टरियों का विषय है वे भी कदाचित ऐसा जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने इन फैक्टरियों को खरीदा है, और जो अभी खरीदार के नाते काम नहीं कर रहा है बल्कि एक अथोराइज्ड कंट्रोलर के नाते काम कर रहा है, उसमें कदाचित ऐसी काबलियत है कि बावजूद मिलों की सफाई करने में देरी होने के तथा अन्य साधनों के जुटाने में देरी होने के, उसने जैसा वचन दिया है और जैसा सरकारी अधिकारियों से कहा है, वह उसे पूरा करेगा और मिलों को चलवा कर गन्ना पिरवा सकेगा। सरकार और उसके अधिकारी रोजमर्रा उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि वह फैक्टरी शीघ्र ही चला दे...

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, एक जानकारी...

श्री अध्यक्ष---आप अधिक जानकारी उनके कमरे में लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि जैसी सदन में सब की राय थी और आपने भी सहमति प्रकट की थी, ऐडजर्नमेंट मोशन न देकर मैंने शोर्ट नोटिस क्वेश्चन पडरौना मिल के सम्बन्ध में दिया था, और आपके कहने के मुताबिक मैंने मुख्य मंत्री

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

जी के पास भी इस पडरौना मिल की तालाबंदी के विषय में लिख कर भेज दिया था। लेकिन आज सदन बन्द हो रहा है और मिल मालिकों ने तालाबन्दी कर रखी है, मजदूरों को अलग कर दिया गया है, और सदन भी फिर कुछ दिन बाद बैठेगा, इसलिये. . . .

श्री अध्यक्ष—यह तीन मिलें जो बतलाई हैं उनमें यह सवाल है। इस सम्बन्ध में गेंदासिंह जी ने इसीलिये कि आज सदन बन्द हो रहा है सवाल पूछ लिये। आप भी प्रश्न मुझे दे देते क्योंकि आप सभी को मालूम था कि यह वही विषय है. . . .

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, यह विषय दूसरा है पडरौना मिल की तालेबन्दी का. . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता था कि मिल चल नहीं रही है तो तालाबन्दी ही है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पडरौना मिल के तालेबन्दी के विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि उन्होंने १३ तारीख को या शायद १६ तारीख को डिस्चार्ज नोटिस दे दिया था, और ज्योंही इसकी इत्तिला प्रदेशीय सरकार के पास पहुंची त्योंही हमारे अधिकारियों ने अथोराइज्ड कंट्रोलर के नियुक्त किये हुये अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने यह प्रयास किया कि वह अपना डिस्चार्ज नोटिस वापस ले लें और मिल चालू करने की घोषणा करें। अब अथोराइज्ड कंट्रोलर ने आदेश जारी कर दिया है कि डिस्चार्ज नोटिस वापस लिया जाय और मिल को चालू करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाय।

भदोही-सेवापुरी सड़क को पुराने रास्ते पर ही पक्की बनाने के सम्बन्ध में सुझाव

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, आज १५ दिन के लिये सदन उठ रहा है और अपने प्रदेश में बनारस में भदोही से एक कच्ची सड़क जाती थी। अब वह सेवापुरी तक पक्की हो रही है। तो पहले जहां से कच्ची सड़क जाती थी, उसमें नुक्ताबाजार पड़ता था, अब पुराने रास्ते को छोड़कर एक मील परे हटकर किसानों के खेतों से होकर सड़क ले जाई जा रही है। इसके सम्बन्ध में 'आज' के सम्पादक ने भी लिखा है और इसकी पहले काफी चर्चा भी हो चुकी है। हमने दो दिन से कोशिश की और माननीय मंत्री जी को फोन किया कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है? वहां एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो किसानों के खेतों से ले जाई जा रही है, वह बन्द हो और जो पुराना रास्ता था. . . .

श्री अध्यक्ष—आपने सरकार को लिख कर भेज दिया है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमने लिख कर तो नहीं भेजा है, लेकिन जब हमने मंत्री जी को फोन किया था तो सेक्रेटरी को हमने बतला दिया था कि हमारा पत्र जा रहा है, शायद वह आज न पहुंचे तो आप उनसे कह दें। उन्होंने यह कहा कि जब वह आयंगे तो मैं आपको सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप उनके (निर्माण मंत्री के) पास लिख कर इसकी सूचना भेज दें।

श्री रणंजयसिंह जी का संकल्प प्रस्तुत हो चुका है। उस पर विवाद जारी रहेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज-काज सम्बन्धी लिखा पढ़ी में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के निषेध सम्बन्धी संकल्प पर भाषणों के समय में वृद्धि का सुझाव

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं व्याख्यान से पहले अर्ज करना चाहता था कि इस विषय पर बहुत अधिक सदस्य दिलचस्पी ले रहे हैं। नियम यह है कि प्रस्तावक को २० मिनट, संशोधन पेश करने वाले को १५ मिनट और बाकी को १०, १० मिनट मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि इस नियम को इस प्रस्ताव के लिये स्थगित कर दिया जाय और आपको अधिकार हो कि जिसको जितना समय चाहें दें।

श्री अध्यक्ष---किसी को विरोध तो नहीं है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---जब विरोध है तो मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

कार्यक्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--- श्रीमन् मैं एक जानकारी चाहता था। जब इसके पहले गैर सरकारी दिन था तो उस दिन माननीय, द्वारकाप्रसाद जी का एक बिल आया था और आज मैं देख रहा हूं कि इस सूची में वह बिल नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह बिल क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--- उसके ऊपर मैं समझता हूं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की अनुमति की आवश्यकता थी तो उसके लिये वह वहां भेजा गया था। अभी तक उनकी अनुमति नहीं आई है तो मैंने यह कहा कि उसके छापने का कोई नतीजा नहीं है। जब अनुमति आ जायगी तो उसको सदन में लाने का मौका दिया जायगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---श्रीमन्, पिछले एजेण्डा के नम्बर ४ पर मेरा एक संकल्प जो था, वह आज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वह पेश नहीं हुआ था, इसलिये लैप्स हो गया होगा।

राज-काज सम्बन्धी लिखा पढ़ी में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का निषेध करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--- (श्री रणंजयसिंह से) आप ३ मिनट बोल चुके थे। बाकी समय आपका है।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संकल्प प्रस्तुत करते समय निवेदन किया था कि इतने दिन हो गये और आज तक इस राजाज्ञा का उल्लंघन हुआ। इतने दिनों के बाद भी हिन्दी भाषा, देवनागरी लिपि में राज-काज न किया जाय, यह बहुत दुःख की बात है। यदि बराबर चेतावनी देने के बाद भी, बराबर इस सदन में प्रश्न होने पर भी, सरकार के संकेत करने पर भी और आदेश देने पर भी अनेक राजकर्मचारियों ने इस सरल, सुपाठ्य, सुन्दर और वैज्ञानिक लिपि और भाषा का अभ्यास नहीं किया तो मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसके लिये उनकी योग्यता एवं बुद्धिमत्ता की प्रशंसा नहीं की जा सकती। मैं तो समझता हूं कि जितना समय उन्हें दिया गया उतने में संसार भर की लिपियां नहीं तो कम से कम एशिया भर की लिपियां तो अवश्य सीखी जा सकती थीं और उनकी भाषाओं का अभ्यास किया जा सकता था। यदि कहा जाय कि सरल हिन्दी हो, सरल लिपि हो, तो मैं पूछता हूं कि

* ६ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही से क्रमागत।

[श्री रणंजयसिंह]

यह कितनी सरल बनाई जाय। इस देश की राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा सबको माननी उचित है, हिन्दी को ही और अगर इसको अपनाने में शिथिलता प्रकट की जाय, उसकी अवहेलना की जाय तो यही कहना पड़ेगा कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी, सो अब भी है। कितनी बार कहा गया, लेकिन अभी तक कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस प्रकार तो बड़ा सन्देह होता है कि १५ वर्षों में भी हम इसको अपना पायेंगे। यह ठीक है कि इस समय में अंग्रेजी भी साथ-साथ रहेगी, दक्षिण के प्रदेशों की कठिनता को देख कर इसको ठीक समझा गया, लेकिन अगर यही चाल रही तो हमें उसके लिये यही कहना पड़ेगा कि ९ दिन चले अढ़ाई कोस। हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं कि वे धीमी गति से चल रहे हैं। वह इतनी धीमी गति चल रही है मैं समझता हूं इस चाल से हम १० वर्ष तक अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, अर्थात् तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार की ओर से भाषा के लिये यह लिपि निश्चित हो चुकी है, लेकिन आज भी सूचना, पत्र-व्यवहार और मुकदमों के निर्णय तक प्रायः सब अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। मैं यहां पर उदाहरण के लिये कुछ फैसले आदि ले आया हूं जिससे यह ज्ञात हो सके कि अब भी लोग हिन्दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जिनके पास हिन्दी के टाइपराइटर हैं वह भी दूसरी भाषा में ही काम करते हैं। किस प्रकार सुगमता से हिन्दी में काम हो सकता है इसकी ओर वह तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारी सरकार की ओर से यह आदेश है कि हिन्दी में काम होना चाहिये, लेकिन इस आदेश की वह सरकारी कर्मचारी अवहेलना करते हैं। जब स्वयं ही हिन्दी के लिये और देवनागरी लिपि में काम करने के लिये निर्विवाद रूप से तय हो चुका है कि इस भाषा में काम किया जायगा तो फिर उसके सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जब हम देखते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मील सूचक पत्थरों पर जो ग्रामों में लगाये जाते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है तो इससे बड़ी शर्म मालूम होती है। दूसरी वह जो राज्य कर्मचारी जो राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनका साहस भी बढ़ता है। हम जानते हैं कि जितने हमारे यहां राज कर्मचारी हैं वह सब हिन्दी तो अवश्य ही इतने समय में जान गये होंगे, लेकिन फिर भी वह अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अब वहां पर पहले जो हिन्दी में लिखे हुये थे उनको अंग्रेजी में किया जा रहा है। अगर अंग्रेजी में किसी प्रकार की सुविधा की वजह से उसको लिखना उचित है तो उसके साथ-साथ हिन्दी में लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इससे बहुत लोगों को सुविधा होगी।

अब एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि बार-बार कहने पर भी ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से राज्य-आज्ञा का उल्लंघन करना और आदेश का पालन न करना शासन-सत्ता को ठेस पहुंचाने वाली बात है। शासन-सत्ता तो बड़ी दृढ़ता के साथ चलायी जा सकती है, क्योंकि यदि कोई राज कर्मचारी उसी को रखना चाहता है और सरकारी आदेश का पालन नहीं करता है और इतना भी ध्यान नहीं देता है तो सरकार को उनके लिये कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सरकार को इस बात के लिये दृढ़तापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, तब यह कार्य बहुत शीघ्रता के साथ हो सकता है।

पहले भी अंग्रेजी शासनकाल में लोग दूसरी भाषा को सीखने का प्रयास करते थे किन्तु हमारे यहां अभी तक टालमटोल चल रही है। इसकी ओर राज कर्मचारी अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि चाहे जितने भी वर्ष व्यतीत हो जायं लेकिन हम उसी स्थान पर पड़े रहेंगे। सरकार की ओर से आदेश होते हुए भी लोग इसको सीखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जो लोग इसको सीखना नहीं चाहते हैं वे हमारे संविधान का निरादर करते हैं और साथ ही देश और सरकार

का भी निरादर करते हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार अपने शासन को दृढ़ करे। यदि सरकार इस प्रकार के आदेश देती है और अधिनियम बनाती है कि उनका पालन नहीं होता और ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे क्या लाभ हो सकता है? जब तक उनकी मनोवृत्ति को न बदला जाय तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह इस प्रकार की भाषा नहीं है, जो कठिन हो और जिसको सीखना असम्भव हो, लेकिन बात यह है कि अभी तक वही पुरानी मनोवृत्ति चल रही है और इसी वजह से अपनी भाषा के लिये राज आज्ञा की ओर वे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से हमको यहां पर देखना यह है कि किस प्रकार से हिन्दी का प्रचलन किया जाय? सरल भाषा का प्रश्न उठता है तो वह तो इतनी सरल है कि उसको आसानी से सीखा जा सकता है। अंग्रेजी शासनकाल में जिस प्रकार से रोमन भाषा थी उसी प्रकार से अब हमारे यहां उर्दू का प्रश्न है। वह कोई अलग भाषा नहीं है और न हिन्दी उर्दू का कोई विवाद है। उसमें भी हिन्दी के शब्द लिखे जाते हैं जिस प्रकार से रोमन लिपि में हिन्दी और उर्दू के शब्द लिखे जाते थे। मुस्लिम शासनकाल में यहां पर काम फारसी लिपि में होता था अंग्रेजी में नहीं होता था और न अंग्रेजी में कुछ लिखा जाता था। इस प्रकार हिन्दी और उर्दू का कोई झगड़ा नहीं है। हम तो कहते हैं कि अंग्रेजी की आवश्यकता ही नहीं है और अगर साधारण राज काज में भी अंग्रेजी ही चलती है तो हम इस प्रकार का अवसर देते हैं कि राजाज्ञा की इसी प्रकार से अवहेलना होती रहे, तथा इस प्रकार का अवसर देते हैं कि ऐसे ही आदेश और प्रस्ताव हमारे होते रहें और वह केवल कागज पर ही रह जायं तथा अन्य भाषायें और लिपियां ही चलती रहें।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रणंजयसिंह—हमारे यहां हिन्दी उर्दू का कोई झगड़ा नहीं है। हमें तो यह करना है कि लिपि देवनागरी हो। अगर लिपि मान्य है तो भाषा भी मान्य है। सरकार विशेष रूप से इसके लिये प्रयत्न करे और वह ऐसा प्रयत्न करे कि किसी को उसकी अवहेलना करने का साहस ही न हो। सरकार बार-बार हुक्म देती है और वह हुक्म वैसे ही टल जाता है। कहा गया है कि 'हाकिम हुकुम, हुकुम बिनु हाकिम, बिन हाकिम के हुकुम कहां।' हुकूमत करना, आदेशों का पालन कराना और राज सेवा करनी कोई साधारण बात नहीं है। हमारे यहां प्राचीन ग्रन्थों में इसके बारे में बहुत सी बातें मिलती हैं कि राज सेवा या राज्य शासन किस प्रकार से है। एक स्थान पर कहा गया है कि—

"राजसेवा मनुष्याणाम् असिधारावलेहनम्।
व्याघ्रीगात्र परिष्वंगो, व्यालीवदन चुम्बनम्॥"

अर्थात् राज्य सेवा इसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार का चाटना, शेरनी के शरीर को छूना और सांप के मुंह का चुम्बन लेना। ऐसी यह राज सेवा कठिन होती है। लेकिन शासन सत्ता इतने अच्छे, योग्य और विद्वानों के हाथ में होते हुए भी न जाने क्यों इस बारे में ढील हो रही है। एक स्थान पर कहा गया है—

"दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्षति,
दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडं धर्मं बिदुर्बुधाः।"

दंड ही प्रजा का शासन कर्ता है, वही प्रजा की रक्षा करता है, सोते हुए प्रजा (मनुष्यों) को जगाता है, इसलिये बुद्धिमान् लोग दंड ही को धर्म कहते हैं।

इसलिये इस दंड का महत्व है। अतः इस दंड के नाम से चौंकना नहीं चाहिये। शासन में दंड चलता ही है। कोई भी अधिनियम बनाया जाय तो पूरा विचार उस पर कर लिया जाय। जब वह बन जाता है और लागू हो जाता है तो फिर

[श्री रणंजयसिंह]

उसका पालन कराने में किसी बात का संकोच नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि अन्तिम बार कर्मचारियों को दृढ़तापूर्वक सचेत किया जाना चाहिये तथा इस बार उनको अधिक अवसर भी न दिया जाय और इस पर भी यदि वे राजाज्ञा के उल्लंघन करने का दुस्साहस करें तो उसके लिये उनको बता देना होगा कि उसका परिणाम अच्छा न होगा। अगर ऐसा न होगा तो हमारी अच्छी से अच्छी बातें और अच्छे से अच्छे आदेशों का पालन न हो सकेगा। अब मैं इस सम्बन्ध में सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। वैसे मैं यह भी समझता हूं कि इस विषय पर बहुत विवाद की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत ही स्पष्ट है फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा को सीखे जाने के लिये अन्तिम आदेश दे दिये जायं और उनका कड़ाई से पालन कराया जाय। जो ऐसा नहीं करते हैं, या नहीं कर सकते, मैं तो कहता हूं कि जब वे इस देश की भाषा, इस देश की लिपि और उसके विधान को नहीं मान सकते तो उन्हें इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि संकल्प की पंक्ति १ के शब्द "है कि" के बाद शब्द "माननीय मुख्य मंत्री जी के बार-बार आश्वासन देने और" बढ़ा दिये जायं। और संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "पर भी" के बाद शब्द "गलतफहमी, घृणा और अयोग्यता के कारण" रख दिये जायं। और संकल्प की पंक्ति ३ के शब्द "आवश्यक है कि" के बाद तथा शब्द "उन्हें" के बीच में शब्द "हिन्दी और नागरी के गुणों को बतला कर गलतफहमी और घृणा को दूर किया जाय तथा हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को उनके दफ्तरों में एक घंटा प्रति दिन हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय तथा" रख दिये जायं। और यह जो नम्बर ९ पर मेरा संशोधन है इसके अन्त में जो यह है कि "केन्द्रीय सरकार से भी निवेदन करे कि हिन्दी टाइपराइटरों में अंग्रेजी अंक न रखे जायं।" यह भाग मैं इस समय नहीं रख रहा हूं, केवल इतना ही मैं पेश किये देता हूं कि संकल्प के अंत में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं:---

"और माननीय मुख्य मंत्री, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव वृन्द बिना अनिवार्य कारण के अंग्रेजी में पत्र व्यवहार न करें।"

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आप के संशोधनों के साथ यह सारा प्रस्ताव किस तरह से पढ़ा जायगा, यह जरा बता दें और पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष---आप सुना सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मुझे कोई एतराज नहीं है यदि यह समय मेरे १५ मिनट में न जोड़ा जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है वह नहीं जोड़ा जायगा।

श्री सीताराम शुक्ल---तो इसका रूप अब ऐसे हो जायगा कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बार-बार आश्वासन देने और हिन्दी कई वर्षों से राज्य की भाषा घोषित हो जाने पर भी गलतफहमी, घृणा और अयोग्यता के कारण अभी तक अनेक राजकर्मचारी उसकी उपेक्षा कर के राजकाज तक में अन्य भाषाओं का व्यवहार करते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हिन्दी और नागरी के गुणों को बतला कर गलतफहमी और घृणा दूर की जाय तथा हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को उनके दफ्तरों में एक घंटा प्रतिदिन हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय तथा उन्हें दृढ़तापूर्वक सचेत किया जाय और आदेश दिया जाय कि बिना किसी अनिवार्य कारण के राजकाज संबंधी लिखापढ़ी अन्य भाषाओं में कदापि न किया करें और माननीय मुख्य मंत्री, उपमंत्री तथा सभासचिव वृन्द बिना अनिवार्य कारण के अंग्रेजी में पत्र व्यवहार न करें।"

मैं अर्ज करता हूं अध्यक्ष महोदय, कि ऐक्ट बना, कि यहां की कार्यवाही हिन्दी और देवनागरी लिपि में हो फलस्वरूप कुछ लोगों ने हिन्दी सीखी, कुछ ने बड़ी मेहनत से हिन्दी सीखना शुरू किया। मैं जानता हूं लोगों ने सीखी भी। जो तेज थे वह ६ महीने में सीख कर लिखने लगे और बोलने लगे। किन्तु उसके बाद कुछ कार्यवाही बाकी रही तो प्रश्न किये गये कि कब तक हिन्दी हो जायगी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि फलां तारीख से हिन्दी हो जायगी। एक बार तो कहा था कि अक्तूबर, १९५४ से जिसको एक साल से अधिक हो गये सारी कार्यवाही हिन्दी में होगी। लेकिन इसके बाजजूद कार्यवाही हिन्दी में नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि विभागों से कार्ड टो पार्टी के लिये जाते हैं वह अंग्रेजी में जाते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है हिन्दी में जा सकते हैं। हुजूरवाला, कोई गलती को छिपाकर करता है कि सरकार न जाने और बड़े-बड़े आफिसर्स न जाने, लेकिन ये हमारे अधिकारियों की हिम्मत है कि वे अपनी गलती को माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों के पास भेज देते हैं कि देखिये हम आपके हुक्म की किस तरह से पाबन्दी करते हैं। और यह क्यों न हो, मैं अर्ज करता हूं कि दो माननीय मंत्री साहबान हैं जिन के पास हिन्दी के टाइपराईटर्स नहीं है, खुद हिन्दी में वे काम नहीं करते। खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत। आनरेबिल मिनिस्टर साहब के यहां हिन्दी नहीं होगी, हिन्दी टाइपराइटर्स नहीं होंगे, हिन्दी में काम नहीं होगा तो कैसे और लोग हिन्दी को अपनायेंगे? अगर वे हिन्दी नहीं जानते हैं तो मेहरबानी करके अपने यहां होशियार स्टेनोग्राफर रख लें जो अच्छी अंग्रेजी और अच्छी हिन्दी भी जानता हो। आप उसको अंग्रेजी में फरमा दें और आपके सामने वह हिन्दी में मसविदा बना कर रख देगा। आप केवल दस्तखत कर दीजिये। यह हो नहीं सकता कि आनरेबिल मिनिस्टर साहबान तो गलती करें और उनके मातहत न करें। इस लिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी हो तो हमारे नेताओं को अपने यहां का काम हिन्दी में ही करना पड़ेगा। असलियत यह है कि अंग्रेजी के जमाने में अच्छी नौकरी तब मिलती थी जब अंग्रेजी अच्छी आती थी। अध्यक्ष महोदय, लोग मजबूर थे अंग्रेजी पढ़ने के लिये। अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी थी मगर हिन्दी पर कम ध्यान दिया जाता था, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी लेकिन उर्दू पर भी कम ध्यान दिया जाता था। यह ठीक है कि जो हमारे पुराने आफिसरान हैं वे अच्छी हिन्दी नहीं जानते। मेरे सामने कई साहबों ने डिक्टेट कराया तो बड़ी भद्दी हिन्दी में और असलियत यह है कि जितनी देर में वे ४ पत्र अंग्रेजी में डिक्टेट करा सकते हैं उतनी देर में एक पत्र हिन्दी में डिक्टेट करा सकते हैं।

एक सदस्य—डिक्टेट क्या है। हिन्दी में कहिये।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके टोकिये नहीं, और आप उनकी बातों में न पड़िये, क्योंकि हम आपका समय बढ़ायेंगे नहीं।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरी प्रार्थना है कि पहले लोगों ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, अब हिन्दी हो जाने के बाद उनको हिन्दी लिखनी ही नहीं आती। अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी में कार्य हो तो शर्त लगानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, आदमी देने पड़ेंगे, टाइपराइटर मंगाने होंगे। लोग कहते हैं कि टाइपराइटर मिलते ही नहीं। मैं कहता हूं कि कितने चाहिए मुझे बतला दें, मैं उतने मंगवा दूंगा। सो नकद दाम पर नहीं। किस्तों में रुपया दे दिया जाय। मैं मंगवा दूंगा, शोक होना चाहिए। अगर टाइपराइटर इत्तफाक से नहीं पहुंचाये जा सकते तो एक की जगह दो क्लर्क रख दिये जायं ताकि आसानी से हिन्दी में लिख दें। थोड़ी सी और गलतफहमी है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा बड़ी मीठी है। यह नहीं निकल सकती रहेगी। हम भी कहते हैं कि बड़ी मीठी जबान है, अच्छी जबान है। लेकिन अच्छी जबान है फिर भी दूसरे मुल्क की जबान है, यहां नहीं रहेगी। फ्रांस और इंगलैन्ड में केवल २० मील का अन्तर है, अंग्रेजी बड़ी मीठी जबान है किन्तु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं है, रूस में अंग्रेजी नहीं है, जरमनी में अंग्रेजी नहीं है। मीठी जबान है मगर जिनकी वह मातृभाषा है उनको वह मुबारक हो। जिन की मातृभाषा नहीं है अंग्रेजी, वहां अंग्रेजी नहीं चलेगी।

[श्री सीताराम शुक्ल]

अब अपनी कमजोरी भी बतला दूं कि हिन्दी वालों की गलतियां क्या हैं। यहां बख्शना नहीं सीखा है, पब्लिक ने भेजा है, ठीक कहना जरूरी है। मुझे थोड़ी सी शिकायत हिन्दी वाले साहबान से भी है। ऐसी कड़ी हिन्दी लिखते हैं, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको समझने के लिए विशारद और साहित्य रत्न लोगों को भी कठिनाई पड़ती है। मैं नहीं कहता कि संस्कृत के शब्द न लीजिये, बाहर से शब्द न लीजिये। हिन्दी अगर कमजोर है, हिन्दी में शब्द कम हैं तो संस्कृत से लीजिये, बहुत अच्छा है। लेकिन जो शब्द अंग्रेजी के और उर्दू के प्रचलित हैं उनका बायकाट किया जाय इसके क्या मानी हैं? लोगों ने बड़ी, कोशिश की कि हिन्दी सीख लें लेकिन जब कठिन शब्दों में गजट आने लगे, बिल्स आने लगे नयी किताबें बच्चों की बहुत कठिन हो गयी तो लोग हतोत्साह हो गये कि हम को हिन्दी नहीं आयेगी। मैं अर्ज करता हूं कि इसी सदन में हमारे आनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब पंडित पंत जी ने फरमाया था हिन्दी के मानी वह हैं कि जो हम लोग बोलते चालते हैं। मोहर्रिर, पेशकार, कर्जअमीन, डाकखाना, रेल, तार यह जो शब्द प्रचलित हैं, जिनको लोग जानते हैं इनके बायकाट के क्या मानी हैं? जो शब्द प्रचलित हैं उनका बायकाट नहीं होना चाहिए। उतनी ही शिकायत उनकी भी होनी चाहिए जितनी शिकायत हिन्दी में न लिखने वालों को है। जो कर्मचारी कड़ी हिन्दी लिखें उनकी तो शिकायत की जाय। अगर आसान हिन्दी होती तो लोग सीख गये होते। इस लिए जहां मैं हिन्दी सीखने के लिए अर्ज करता हूं वहां भी यह अर्ज करता हूं कि जो शब्द प्रचलित हैं अंग्रेजी और उर्दू के उनका बायकाट नहीं होना चाहिए। हां, नये शब्द संस्कृत के लिये जायं इसमें दोरायें नहीं हैं। कोशिश यह की जाय आनरेबिल मिनिस्टर साहबान के यहां जो मेमोरेंडम (स्मृतिपत्र) दरख्वास्तें दी जायं, अगर वह अंग्रेजी में हैं तो जरा इरशाद फरमा दें कि यह अंग्रेजी में क्यों लाये, यहां की जबान हिन्दी हो गयी है। उसको वापस कर दें क्योंकि प्रार्थी वृन्द स्वयं मसविदा नहीं बनाते और न टाइप ही करते हैं, टाइप कोई दूसरा आदमी करता है, लिखता कोई दूसरा है अतः प्रार्थी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगी। अगर दो तीन मेमोरेन्डम, दरख्वास्तें इस तरह से वापस कर दी जायं यह कह कर कि यहां की जबान हिन्दी है, हिन्दी में लाओ तो इससे बड़ी मदद मिलेगी। अगर हर जगह के लिए टाइपराइटर नहीं हैं तो टाइपराइटर मंगाये जा सकते हैं। जो खास-खास दफ्तर हैं वहां हिन्दी का प्रचलन कर दिया जाय। जरा हिसाब लगाया जाय कि रोजाना कितने खत हिन्दी में लिखे जाते हैं और कितने अंग्रेजी में। मेरे पास बहुत से अफसरों के खत पड़े हैं, मैं उन्हें यहां लाया नहीं। लेटर हेड हिन्दी में छापा है किन्तु टाइप किया गया है अंग्रेजी में। कुछ पत्र टाइप किये गये हैं हिन्दी में, परन्तु दस्तखत किया गया है अंग्रेजी में। इसकी जांच की जाय और रोका जाय, टोका जाय। क्योंकि अध्यक्ष महोदय,

"यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत् प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥"

जैसे अच्छे लोग आचरण करते हैं नीचे के लोग उसकी नकल करते हैं। इस लिये अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मंत्री जी से मैं अर्ज करता हूं कि जो अफसरान अभी तक हिन्दी में जजमेंट लिखते थे उनके जजमेंट हिन्दी में मौजूद हैं और अब अंग्रेजी में लिखने लगे हैं तो उनको वाच किया जाय, उनसे पूंछा जाय कि, जनाबवाला, आपको अंग्रेजों से बहुत मुहब्बत है क्या?

इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ लोगों को गलतफहमी है, कि अगर हमने क्षेत्रीय भाषा मंजूर करवा ली तो सरकार का काम दोनों जबानों में होने लगेगा, हमको हिन्दी नहीं सीखनी पड़ेगी। अभी-अभी तरक्कियये उर्दू का जलसा हुआ था उसमें दोनों सदनों के कुछ मेम्बरान भी शरीक हुये थे और मांग यह थी कि द्विभाषी राज्य यहां का घोषित किया जाय, दो भाषायें बोली जाती हैं उर्दू और हिन्दी। इसमें कोई इन्कार नहीं कर सकता कि शहरों के अधिक लोग बोलते हैं हिन्दी और उर्दू, किन्तु देहातों में भोजपुरी, अवधी, बुन्देलखंडी, पहाड़ी बोली जाती है। लेकिन कई भाषाओं में सरकारी काम तो नहीं होगा। वह तो एक ही भाषा में होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी प्रेमियों से अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू अखबारों को भी पढ़ें उसमें क्या होता है ? यह भी जानें उसमें एक प्रस्ताव आया था कि सत्यग्राह किया जाय । एक तबका कहता था कि हमारा कल्चर बिगाड़ा जा रहा है, हम पर जबरदस्ती हिन्दी लादी जा रही है और सत्याग्रह के लिये कानपुर के एक काजी साहब ने प्रस्ताव किया था और वह अभी स्थगित कर दिया गया है अगर आवश्यकता होगी तो सत्याग्रह करेंगे । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या सत्याग्रह करवाने का शौक अभी बाकी है । मेरी गुजारिश है हमको जवाब देना चाहिये । उनकी बातों की उपेक्षा न की जाय, ध्यान से सुनना चाहिये । कुछ वर्ष पूर्व मैं तो एक दफा उनकी सभा में गया भी था तो हिन्दी प्रेमी वृन्द मुझको काले झंडे दिखलाने लगे कि तुम यहां कैसे आ गये । मैंने कहा कि तुम लोग बायकाट करते हो, मैं संशोधन रखूंगा । मैंने संशोधन रखा, व्याख्यान दिया कि आपको गलतफहमी है । उसके बाद से मेरे पास न्यौता नहीं आता है । इसलिये मैं कहता हूं कि उनकी बातों को सुना जाय, हो सकता है हम गलत रास्ते पर हों और अगर उनकी बात ठीक हो तो मंजूर कर लें, नहीं तो उनकी बात का खंडन किया जाय । तो अध्यक्ष महोदय, जरूरत है कि जो बहुमत में हों वे अल्पसंख्यकों और माइनारिटी की बातों को ध्यान से सुनें, ठंडे दिमाग से सुनें, उनके साथ उदारता का बर्ताव करें । ताकत में आने के बाद भले आदमी विनम्र हो जाया करते हैं । वृक्ष तो जड़ चीज है, लेकिन जब उन पर फल आते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती हैं । इसी तरह से ताकत में जो आदमी हो उसको सोचना चाहिये कि न केवल एक तबका बल्कि अगर हमारी तरफ से सिर्फ एक आदमी को भी तकलीफ हो तो, हम समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट फेल है, इसलिये उनकी बातों को गौर से सुना जाय और अगर ठीक हों तो मान लिया जाय । लेकिन अगर बातें गलत हों तो उनका जबाव दे दीजिये, ओवरलुक न कीजिये । आपने देखा कि मुस्लिम लीग के बारे में प्रोपैगेंडा चल रहा था मैंने उस वक्त मंत्री महोदय से कहा था कि इस पर ऐक्शन लिया जाय, लेकिन कुछ नहीं किया गया उसका क्या नतीजा हुआ, गलत प्रोपेगेंडा हुआ, इसी आदरणीय सदन के अन्दर मुस्लिम लीगर घुस आये फाइलों को फाड़ डाला इसी हाउस के अन्दर. . . . . .

श्री अध्यक्ष—हाउस वाली जो बात आपने कही वह गलत है । वह शिया सुन्नी के झगड़े में घुस आये थे, मुस्लिम लीग वाले नहीं घुसे थे ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं अर्ज कर रहा हूं कि शिया और सुन्नी दोनों ही लीगी थे । गलत बात का वह नतीजा हुआ । अतः विरोधियों को मुनासिब जबाव देना चाहिये । लोगों को उर्दू अखबारों में भी हिन्दी की बात कहनी चाहिये कि हिन्दी क्यों प्रचलित की गई । मैं अर्ज करता हूं—लाल रोशनी हो गई, लिहाजा अब समाप्त करता हूं आखीरी बात कहकर—हिन्दी, हिन्दू मुसलमान दोनों की है, उर्दू हिन्दू मुसलमान दोनों की है । लेकिन अगर दो जबानों में यहां की कार्यवाही हो तो केन्द्रीय सरकार की दस जबानों में कार्यवाही क्यों न हो । इसलिए कई जबानो में तो सरकारी कार्यवाही नहीं हो सकती है । उर्दू पनपे, उन्नति करे, उसकी तरक्की हो, मैं पसन्द करता हूं किन्तु दो जबानों से सरकारी काम करने से अनावश्यक आर्थिक हानि होगी, क्योंकि बच्चे तो सब के हिन्दी पढ़ रहे हैं, आज जो दिक्कत है वह कल नहीं रहेगी । अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अब पेश हो गया है, मैं क्या कहूं, वरना मुसलमान बादशाहों के जमाने में हिन्दी पनपी है । मुसलमान बादशाहों के जमाने में रामायण लिखी गई है, सूरसागर लिखा गया है । मुसलमान शायरों ने तो इसमें अमृत भर दिया है । रसखान ने लिखा है—

मानुष हौं तो वही रसखान बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन,
जो पशु हौं तो कहा बस मेरो चरौं नित नन्द की धेनु मंझारना ।
पाहन हौं तो वही गिरि को जो कियौ हरि छत्र पुरन्दरन धारन,
जो खग हौं तो बसेरो करौं नित कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ।।

श्री सीताराम शुक्ल]

अब्दुर्रहीम खानखाना का एक संस्कृत का श्लोक है जिसका भाव यह है—

जेलखाने में मैं दो साल रहा। वहां रह कर मैंने इन अमृततुल्य श्लोकों का पान किया। वह कहते हैं कि महाराज संसार रूपी नाट्यशाला में मैंने आप को चौरासी लाख रूप दिखलाया यदि मेरी कला अच्छी रही है, ऐक्टिंग अच्छी हुई है तो जो मैं मांगता हूं वह इनाम मिलना चाहिये। अगर पसन्द नहीं आया तो हुक्म दीजिए कि मैं आपके सामने रूप बदल कर पुनः न आऊं। अर्थात् प्रसन्न हैं तो मोक्ष दीजिये और यदि अप्रसन्न हैं तो भी मुक्ति दीजिये, मेरा मोक्ष हो जाय। यानी चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। तो यह संस्कृत का श्लोक एक मुसलमान का लिखा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ के शब्द "है" के बाद का वाक्यांश निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "विधानतः हिन्दी राज्य भाषा निर्धारित हो जाने पर भी राजकर्मचारी राज्य के कामों में अधिकतर अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं अतः यह आवश्यक है कि उन्हें अवलम्ब हिन्दी में ही राजकाज करने के आदेश जारी किये जायं" रख दिये जायं।

मैं आपका ध्यान उस राज भाषा अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं जो सन् ५१ में बना था। वह अधिनियम गजट में २१ नवम्बर सन् १९५१ को प्रकाशित हुआ था जिसे आज चार वर्षों से भी अधिक हो चुके हैं। उस अधिनियम की मंशा यही है कि संविधान के अनुच्छेद ३४५ और अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के आधार पर राज्य सरकार हिन्दी में राज-काज चलाने और हिन्दी में अपने अध्यादेश और अधिनियम वगैरह बनाने की व्यवस्था करेगी। उसी के अन्तर्गत यह अधिनियम बनाया गया था। मैं आपकी आज्ञा से उसमें का एक बहुत ही आवश्यक अंश पढ़ना चाहता हूं—

"इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यह तुरन्त प्रचलित होगा।

धारा (२) इस प्रकार है—

२—संविधान के अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे, देवनागरी लिपि में हिन्दी का उपयोग निम्नलिखित के संबंध में होगा—

और वह निम्नलिखित यह हैं—

(क) (१) संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रचारित अध्यादेश और दूसरा है भारत के संविधान के अधीन' अथवा संसद् या राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम और उपविधि, और (ख) राज्य के सभी या कोई राजकीय प्रयोजन,

और उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।"

तो इस अधिनियम में एक वर्ष की अवधि निर्धारित करने की बात कही गयी थी और वह एक संशोधन द्वारा सरकार ने स्वीकार किया था, इसी सदन मे आगे का जो नोटिफाइंग वाक्य है कि "ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा

इस संबंध में नियत करे," वह दिनांक उसी एक वर्ष के अन्दर आता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। और जो अन्त में यह है कि "उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में उल्लिखित विभिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं"। तो भिन्न-भिन्न दिनांक उसी एक वर्ष के अन्दर निश्चित किये जा सकते हैं, भिन्न प्रयोजनों के लिए। तो अध्यादेश, विधि, अधिनियम की बात तो अमल में आ रही है और उसके अनुसार कार्य हो रहा है, लेकिन जहां तक राज्य के सभी या कोई राजकीय प्रयोजन की बात है वह बात अभी तक अमल में नहीं आई। सरकार ने भिन्न-भिन्न दिनांक इस संबंध में जारी करने के लिए कौन सी विज्ञप्ति जारी की, यह सरकार जानती होगी। अभी तक जो आदेश जारी किये जाते हैं राज्य की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में, वह अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ही जारी किये जाते हैं। जिलों से जो संबंध स्थापित है उस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा-पढ़ी होती है वह अंग्रेजी में ही देखने में आती है। अब यह बात समझ में नहीं आती कि ४ वर्ष का समय बीत गया, उससे अधिक हो रहा है और यह बार-बार आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से कि उनको ६ महीने का समय सीखने के लिए दिया गया है, फिर ६ महीने का समय बढ़ाया गया। मगर वह ४ वर्ष का समय बीत गया और यह नौबत नहीं आयी कि राज्य सरकार सभी विभागों के लिए ऐसी विज्ञप्ति जारी कर दे कि सारे राज-काज हिन्दी में हों। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो फिर कर्मचारी हिन्दी में राज-काज करने में असमर्थ हैं, या हिन्दी भाषा ऐसी है कि वह ४ वर्षों में भी सीखी नहीं जा सकती थी और तीसरा कारण यह हो सकता है कि अंग्रेज चला गया, अंग्रेजियत नहीं जाना चाहती है हमारे लोगों के अन्दर से। तो जहां तक हिन्दी भाषा का प्रश्न है वह तो, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि ये बहुत ही सरल वस्तु हैं। भाषा को नहीं सीखना है, क्योंकि सभी लोग यहां के बाशिन्दे हैं, हिन्दी बोलना जानते हैं, हिन्दी में बात करना जानते हैं। केवल लिपि की बात रह गयी और वह लिपि चार वर्षों में भी नहीं सीखी जा सकी, इसके लिए सरकार को उचित उत्तर देना चाहिये कि उसने क्या प्रयास किया, इन अधिकारियों पर किस प्रकार के आदेश जारी किये कि वह ४ वर्ष के अन्दर भी नहीं सीख सके। भाषा बोलने का सवाल नहीं है, सभी जानते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि सरकार अधिकारियों पर हावी नहीं है, अधिकारी सरकार पर हावी हैं। वे अंग्रेजी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सरकार उन पर इतना दबाव नहीं डालना चाहती कि वह हिन्दी भाषा में ही राज काज चलावें।

एक बात हो सकती है कि हिन्दी बहुत दिनों से उपेक्षा की दृष्टि से देखी गयी है, उसका दर्जा बहुत नीचे गिरा हुआ है। अंग्रेजी की मान-मर्यादा विदेशी शासन में बहुत ऊंची उठी। उसका असर यहां के रहने वालों और खासकर सरकारी कर्मचारियों पर विशेष रूप से पड़ा। अब हिन्दी में राज-काज चलाने में अधिकारीवर्ग को यह हो सकता है कि वे समझते हों कि यह एक ऐसी भाषा है कि जिसके इस्तेमाल से उनका महत्व घट जायगा या मामूली पढ़े-लिखे लोगों की हैसियत में आ जायेंगे। तो यह कारण हो सकता है कि उनकी जो इज्जत अंग्रेजी लिखने में होती है वह हिन्दी लिखने में न हो। वरना भाषा और लिपि हिन्दी की कोई ऐसी कठिन नहीं है कि जो ४ वर्ष के अन्दर भी उपयोग में न लायी जा सके। जहां तक अधिनियम की बात है मैं समझता हूं कि इसका इंटरप्रिटेशन यही हो सकता है कि एक साल के अन्दर ही सभी या किसी के लिये सरकार विज्ञप्ति जारी कर दे और जब एक साल बीत गया तो वह सभी के लिये भी हो सकता था। तो मैं समझता हूं सरकार इस संबंध में उदासीन है और सरकारी कर्मचारी सरकार को यही सलाह देते होंगे कि ऐसी कोई विज्ञप्ति न जारी कीजिये वरना राज-काज चलने वाला नहीं है। अगर वे ऐसी सलाह नहीं देते और वे राज-काज चलाने के लिये तैयार हैं और उनके अन्दर इस बात की क्षमता है कि देवनागरी लिपि में और हिन्दी में सारा कार्य चलाने की व्यवस्था कर सकें तो फिर सरकार के लिये कोई कारण नहीं होना चाहिये कि वह ऐसी विज्ञप्ति को जारी न करे।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

मैं समझता हूं कि जब यह अध्यादेश की शक्ल में इस सदन के सामने था उस समय इस सदन मे हिन्दी के विषय पर काफी प्रकाश डाला गया था और सदस्यों ने काफी उत्कंठा जाहिर की थी और यहां तक कि सरकार की तरफ से कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन इस सदन ने एक साल का समय निर्धारित कर दिया। माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने भी इस अधिनियम के बनाने में सहायता दी थी और सदन को यही आशा थी कि एक साल के अन्दर यह चीज अवश्य लागू हो जायगी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है यह कभी नहीं सोचा जाता था कि इस अध्यादेश के बनने के बावजूद भी हिन्दी हमारे प्रदेश में वह स्थान नहीं पा सकेगी जो उसे पाना चाहिये। तो अगर यहां से आदेश जिलों में अंग्रेजी में जायं तो स्वाभाविक है कि जिले में भी अंग्रेजी का ही व्यवहार होगा और ऊपर से नीचे तक अंग्रेजी की शृंखला बनी रहेगी। जो सदन का कार्य होता है वह तो हिन्दी भाषा में होने लगा। उसके लिये जो टेक्निकल शब्द हैं उनकी भी कमी नहीं रह गयी और हम सभी काम, विधान का और नियम बनाने का हिन्दी में करने लगे तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि फिर आदेश वगैरह जारी करने में क्या बड़ी कठिनायी हो रही है। आखिर जो विधान सभा के कर्मचारी हैं जो इसी स्टेट के हैं और वे भी अंग्रेजी में ही पले हुये थे। अगर उन्होंने हिन्दी को कबूल कर लिया और वह इस कार्य को कर रहे हैं तो सरकार के दूसरे विभाग वाले क्यों नहीं कर पाते हैं। यह बात हमारी समझ में बिलकुल नहीं आती है। मैं समझता हूं कि जो यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है वह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार इस संबंध में कुछ सो सी रही थी और वह इसे जगाने का काम करेगा और मैं समझता हूं कि इतने दिनों तक इस अधिनियम के होते हुये भी जो हिन्दी की उपेक्षा की गई है वह आगे नहीं होगी। जो टाइपराइटर्स वगैरा की बात है तो अब तो हिन्दी टाइपराइटर्स काफी बन गये हैं और हिन्दी शब्द भी काफी बन गये हैं। इस-लिये सरकार इसको स्वीकार कर ले, यदि सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो दूसरे प्रदेश वाले भी आगे नहीं बढ़ पायेंगे क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोग हम से ही सबक सीखते हैं इसलिये हमें भूलना नहीं है कि हमें दूसरे प्रदेशों को रास्ता दिखाना है।

श्री अध्यक्ष---दूसरा संशोधन श्री रामेश्वर लाल जी का है, मैं समझता हूं कि यह कुछ असंगत सा हो जाता है। मैं समझता हूं कि 'हिन्दी' के बाद 'को' बढ़ा देने से ठीक नहीं रहेगा और जिस शक्ल में प्रस्ताव है वह ठीक है।

श्री रामेश्वरलाल जी बाद में अपना प्रस्ताव रख दें।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ में से शब्द "अनेक" निकाल दिया जाय तथा संकल्प के अन्त में से शब्द "बिना किसी अनिवार्य कारण के राजकाज संबंधी लिखा-पढ़ी अन्य भाषाओं में कदापि न किया करें" तक निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं :---

"१ जुलाई, ५६ से उत्तर प्रदेश के सब विभागों में हिन्दी में, उन पत्र व्यवहारों के अतिरिक्त जिनसे केन्द्रीय सरकार से अंग्रेजी में सम्पर्क रखना आवश्यक हो, कार्यालयों में कार्य करना अनिवार्य होगा। यह छः मास का समय जनवरी, ५६ से जून, ५६ तक सब सरकारी पदाधिकारियों के लिये हिन्दी में पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त करना काफी होगा। इस अवधि के पश्चात् यदि कोई भी सरकारी पदाधिकारी हिन्दी में कार्य न कर सकेगा तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति नहीं दी जा सकेगी।"

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हिन्दी के संबंध में जोर डालते हुये काफी समय हो चुका है और मैं यह समझता हूं कि हर छै महीने यह आदेश जारी किया जाता है.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण बाद में जारी रखें। अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और कोरम के अभाव के कारण २ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीचन्द्र---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हिन्दी के लिये इस प्रकार के आदेश दिये हुये लगभग ४ साल हो गये हैं परन्तु हम देख रहे हैं कि इसकी प्रगति बहुत धीमी है। मैं इसके लिये ऐसा समझता हूं कि कुछ हमारा ही दोष है। इसको प्रचलित करने और सीखने में मेरा मतलब जनता के सेवकों से है और जनता में से मैं उन सज्जनों को लेता हूं कि जो सरकारी कार्य कर रहे हैं या सरकारी पदों पर हैं। ४ साल का इतना अधिक समय है कि इसमें वह कोई भाषा भी सीख सकते थे। परन्तु इतना अधिक समय देने और बार-बार ६-६ महीने के पश्चात् आदेश देने के बाद भी अभी तक यह काम नहीं हो सका है। प्रायः यह सुना जाता है कि कुछ आफिसर्स ऐसे हैं कि जो हिन्दी नहीं जानते इसलिये वह अंग्रेजी में चिट्ठियां इधर-उधर भेजते हैं और इस कारण से वे विवश हैं।

यह बात सही है कि कुछ बंगाली और मद्रासी सज्जन ऐसे हैं परन्तु उनके मातहत जो उनके दफ्तर में काम करने वाले हैं क्या वे सभी बंगाली और मद्रासी हैं? मैं समझता हूं कि यह दलील देना बिल्कुल गलत और एक तरह की बहानेबाजी है। मैं यह समझता हूं कि जितने भी उनके मातहत हैं वह हिन्दी अवश्य ही जानते होंगे और अंग्रेजी भी जानते होंगे। यदि हिन्दी में लिखी हुई चिट्ठी का तात्पर्य वह स्वयं पढ़ कर न निकाल सकें तो उनके मातहतों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसका मतलब वह उनको समझायें और वह हिन्दी में ही पत्र व्यवहार करें। देवनागरी लिपि से तात्पर्य हिन्दी को इसी रूप में प्रचलित करने का है। इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दी इस प्रकार की कर दी जाय कि उसमें संस्कृत के कठिन-कठिन शब्द आ जायं और उससे हिन्दी को भर दिया जाय। इस समय एक बड़ी विचित्र सी बात चल रही है। कुछ सज्जनों का तो खयाल यह है कि जितने भी शब्द बोले जायं वह सब हिन्दी के हों और कुछ यह कहते हैं कि नहीं मिश्रित होने चाहिये। मैं इसको अच्छा समझता हूं कि जैसी हमारी भाषा है, जैसी हमारी जबान है, जैसे अल्फाज हम बोलते हैं उसी प्रकार से उनको हम लिपि में भी लिखने की कोशिश करें। यह आवश्यक नहीं है कि हम "जरूरी" शब्द ही कहें, आवश्यक न कहें। यह न हो कि हम भाषा ही कहें और जबान न कहें। लेकिन यह सब होना देवनागरी लिपि में ही चाहिये। इसके बाद एक और हमारे सामने बड़ी भारी रुकावट है। वह यह कि जितने भी कानून बनते हैं, हमारे सामने विधेयक आते हैं, जिनके सुपुर्द पहले वह काम किया जाता है वह उसको पहले अंग्रेजी में लाते हैं। उसको पहले अंग्रेजी में बनाते हैं। फिर उसका अनुवाद हिन्दी में करते हैं। अतः कोई भी विधेयक हो उसका मतलब या तात्पर्य जो होता है वह खत्म हो जाता है। यदि हम अपना भाव हिन्दी भाषा में पहले प्रकट करें तो यह अच्छा होगा। जितने भी विधेयक बनें वह पहले हिन्दी में बनें। एक दिक्कत और इसकी मैं समझता हूं कि किसी भाषा से शब्द लेना कोई बुरा नहीं है। जैसे स्टेशन शब्द है और भी इस तरह के बहुत से अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको लिया जा सकता है। जिस समय पहले यह स्टेशन शब्द प्रचलित हुआ होगा उस वक्त भी पहले एक अजीब सा कानों को लगता होगा किन्तु उसको सुनते-सुनते हमारे कान, विचार और खयाल में इस प्रकार से हो गया कि वह सहते-सहते कुछ मुश्किल तथा अनोखा नहीं मालूम होता है। इसी तरह से हिन्दी के भी शब्द हैं। हिन्दी के कुछ शब्द हमको अवश्य रखने पड़ेंगे। जैसा कि प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ शब्द मुकर्रर किये हैं। उनकी एक फेहरिस्त दी है कि यह शब्द कानूनी रूप से प्रयोग होंगे और खास जगह प्रयोग में लाये जायेंगे। जैसा कि डाक्टर शब्द है, इंजीनियर शब्द है और दूसरे कानूनी शब्द हैं उन सब का प्रयोग अलग-अलग जानना पड़ेगा। कानूनी जितने शब्द हैं यदि आप अपनी प्राचीन पुस्तकों में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कि इस समय कानूनी प्रचलित हो और वह उनमें न पाया जाता हो।

[श्री श्रीचन्द्र]

इसी तरह से डाक्टर शब्द को ले लीजिये पुराने समय का जो हमारा आयुर्वेद है उसमें हर प्रकार के शब्द मिलते हैं लेकिन जब नये शब्द आयेंगे तो सुनने में बड़ी विचित्र और एक बड़ी अनोखी सी बात मालूम होगी लेकिन सुनते-सुनते जब इसके आदी हो जायेंगे, इनको लिखेंगे और सुनेंगे तो फिर वही शब्द आसान हो जायेंगे।

हिन्दी के जानने में देरी होने में तीन मुख्य बातें समझ रहा हूं जिनकी वजह से देर हो रही है पहली बात तो यह है कि जैसी कहावत है कि बच्चे ताड़ने से ठीक होते हैं और फिर वही अपने बड़ों का आदर करते हैं। यहां पर हिन्दी जानने के लिये किसी प्रकार की ताड़ना नहीं है। जैसा कि हमको गांधी जी सिखा गये हैं वही नियम हम बरत रहे हैं लेकिन हर मनुष्य के लिये यह नियम लागू नहीं होगा। जब कि हमको अपने देश का काम चलाना है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह किसी भी रूप में हो जैसा कि मेरा संशोधन है कि हिन्दी जानने के लिये ६ महीने का समय बहुत अधिक है। यह आप समझ सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि कोई चाहे वह विदेशी हो और हम तो अपने देश के रहने वाले हैं उन सब के लिये हिन्दी इतनी सरल भाषा है कि उसको ६ महीने में नहीं केवल दो महीने में सीख सकते हैं। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया न वे जिम्मेदारी महसूस करते है और इसी वजह से अवहेलना करते हैं। इस प्रकार की पाबन्दी लगाइये जैसा कि मैंने अपना संशोधन रखा है कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं यदि उन पर यह पाबन्दी हो जाय कि वार्षिक वृद्धि यदि वह हिन्दी नहीं पढ़ेंगे और हिन्दी में काम नहीं करेंगे तो उनकी वार्षिक वृद्धि बन्द कर दी जायगी। आप इसको एक साल करके देखिये। हर मुहकमे के जितने भी कर्मचारी होंगे वे लाजिमी तरीके से और अवश्य ही हिन्दी को सीख लेंगे अगर आप एक काम कर दें कि जो हिन्दी लिख-पढ़ नहीं सकते उनको सालाना तरक्की नहीं दी जायगी तो यह नामुमकिन बात है कि वह ६ महीने के अन्दर न सीख ले। हां जब से आप यह आदेश जारी करेंगे पहले आदेश में तो लोग बिलकुल ही न सीखेंगे क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है और वे जानते हैं कि आपके आदेश ऐसे ही हुआ करते हैं, लेकिन जब ६ महीने के बाद उनकी तरक्की रुक जायगी तब उनको मालूम हो जायगा कि ऐसा भी हो सकता है। तब से एक साल के बाद यह अनुभव हो जायगा कि कितनी जल्दी लोग हिन्दी सीख जाते हैं।

दूसरी चीज स्वयं विचारने की है। हमारे अन्दर यह विचार आना चाहिये कि हमें अपने देश के लिये यह काम करना है और देश की उन्नति इसी में है तथा हर प्रकार से एकोनामिक भी है। एक भाषा के कारण हमारे देश में लोगों के विचार भी एक से होंगे, लोगों में संगठन होगा। यदि हमारे ऐसे विचार पैदा हो जायं, तो हमारे अन्दर एक चाव भी पैदा होगा हिन्दी सीखने का। परन्तु यह अधिक संख्या में नहीं है, इसलिये लोगों को इसका ध्यान नहीं है।

तीसरी बात यह है कि प्रलोभन भी होना चाहिये। लेकिन प्रलोभन भी इसमें नहीं है हम देखते हैं कि हर विभाग में नौकरी के लिये लड़के आते हैं उनको चाहे वे हिन्दी न पढ़े हों तो भी उनको उन स्थानों पर रख लिया जाता है लेकिन अब हमको प्रत्येक स्थान के लिये हिन्दी को आवश्यक कर देना चाहिये। केवल ऐसे ही लड़कों को नौकरियों पर लिया जाना चाहिये जो हिन्दी जानते हों, जो हिन्दी की उच्च से उच्च परीक्षा पास हों उनको तरजीह दी जाय अथवा जो सरकारी नौकरियों में रह कर हिन्दी की परीक्षा पास करें उनको भी दूसरे लोगों की बनिस्बत तरजीह दी जाय।

अब हिन्दी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़े आसान हैं, लेकिन हमारे भाई उनको इस ढंग से कहते हैं कि मजाक मालूम पड़ता है। उनका मजाक उड़ाते हैं। यह बात ठीक नहीं है। यदि हम अपनी प्रदेशीय सरकार और केंद्रीय सरकार का आदर करेंगे तभी हम अपने प्रदेश और देश को ऊंचा उठा सकते हैं। आदर से मेरा मतलब यह है कि जो नियम सरकार बनाये हम उनका पालन करें, उन बातों पर चलें, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। अब एक साहब उसी को पाखाना कहते हैं और दूसरे साहब उसको शौचालय कहते हैं लेकिन लोग जहां

शौचालय लिखा होता है उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिये। अंग्रेजी में ऐसे शब्द हैं जो दिखने में लंबे चौड़े हैं लेकिन हिन्दी में उनके लिये बहुत ही छोटे शब्द हैं। उनको ले लेना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि उनका उच्चारण शुद्ध ही हो। अगर कोई उसका ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है। जो शब्द आज ठीक प्रकार से बोले जा रहे हैं वे चाहें जिस भाषा के शब्द हों अगर उसी तरह से लिखे जायं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर शास्त्री जी कहते हैं कि शुद्ध उच्चारण हो और संस्कृत के ही शब्द हों तो इस प्रकार हिन्दी नहीं पनप सकती। हिन्दी तभी पनप सकती है जब फारसी, अंग्रेजी, अरबी सब भाषाओं के ही शब्द उसमें हों। अगर उन्हीं शब्दों को हम नागरी लिपि में लिखने लगें और पढ़ने लगें तो आसानी हो जायगी।

यही बात मैं कानून के बारे में कहना चाहता हूं, जितने कानून हमारे सामने आते हैं उनको पढ़ कर शीघ्र उनका अर्थ निकालना बड़े-बड़े शास्त्रियों के लिये भी मुश्किल होता है। जो टेक्निकल शब्द हों वे तो रक्खे जायं परन्तु जो इबारत हो वह सरल होनी चाहिये, जिससे एक तबका जो वकीलों का है वह यह सोच कर न बैठ जाय कि इसको तो हम ही लोग आकर सीखेंगे। बल्कि वह ऐसे होने चाहिये कि गांव के लोग भी उसको आसानी से सीख सकें। मिडिल पास यह यहां के माननीय सदस्यों के सामने उनको रख दिया जाय तो उनका मतलब निकालना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हिन्दी ऐसी होनी चाहिये जिसमें आमफहम शब्द हों और लिपि देवनागरी हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा फिर सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इन दोनों बातों के बिना काम नहीं चल सकता। यह दोनों बातें होनी चाहिये, कुछ भय भी होना चाहिये और उनकी उन्नति हिन्दी सीखने पर ही होगी भय और प्रलोभन साथ साथ होना चाहिये, जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी, हिन्दी की उन्नति नहीं हो सकती और हिन्दी पनप नहीं सकती है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "अनेक राजकर्मचारी उस की उपेक्षा कर के राज काज" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "प्रांतीय सचिवालय एवं अन्य अन्य विभागों में अनेक अधिकारी व कर्मचारी उस की उपेक्षा कर के राजकाज" रख दिये जायं।

इस संशोधन के बाद यह प्रस्ताव निम्न प्रकार हो जाता है—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि हिन्दी कई वर्षों से राज्य की भाषा घोषित हो जाने पर भी अभी तक प्रांतीय सचिवालय एवं अन्य विभागों में अनेक अधिकारी व कर्मचारी उसकी उपेक्षा कर के राजकाज तक में अन्य भाषाओं का व्यवहार करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें दृढ़ता पूर्वक सचेत किया जाय और आदेश दिया जाय कि बिना किसी अनिवार्य कारण के राजकाज संबंधी लिखा पढ़ी अन्य भाषाओं में कदापि न किया करें।

जो प्रस्ताव माननीय रणंजय सिंह ने रखा है वह हमारे देश के लिये और हमारी मान मर्यादा के लिये बहुत ही आवश्यक है। यह आवश्यक है कि हमारे देश की एक भाषा हो और इसीलिये हमारे संविधान ने यह निश्चित कर दिया है कि देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा हमारे देश की राष्ट्र भाषा होगी। इस प्रस्ताव को पास किये हुये ५ वर्ष हो चुके हैं और हमारे संविधान को भी बने और काम में आये हुये ६ वर्ष हो गये हैं, वह जनवरी सन् ५० से शुरू हुआ था उसमें दिया हुआ है कि १५ वर्ष में हिन्दी राज्यभाषा का स्थान ग्रहण कर लेगी और अंग्रेजी भाषा का पूर्णतः स्थान ले लेगी लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन ६ वर्षों के बाद भी हिन्दी की प्रगति जितनी होना चाहिये थी उतनी नहीं हुई है। जहां तक केंद्र का संबंध है वहाँ तो अभी तक लगभग सभी काम अंग्रेजी में ही होते हैं। बहुत थोड़ी सी हिन्दी अभी कहीं-कहीं काम में आ रही है, लेकिन आमतौर से अभी अंग्रेजी काम में लाई जा रही है। जहां तक प्रदेशों का सवाल है, जो प्रदेश हिन्दी भाषी नहीं हैं उन में बहुत कम प्रगति हुई है, लेकिन जो

[श्री रतनलाल जैन]

६ हिन्दी भाषी प्रांत भी हैं उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, बुन्देलखंड, देहली के आस-पास का कुछ क्षेत्र और राजस्थान शामिल है। इनमें जो हिन्दी भाषाभाषी लोग हैं उनकी संख्या लगभग १५ करोड़ है। इनमें हमारे अकेले प्रांत की साढ़े ६ करोड़ से भी अधिक जनसंख्या हिन्दी बोलती है यानी लगभग आधी हिन्दी भाषी जनता इस प्रांत में बसती है। हमारे इस प्रांत ने बहुत से कामों में नेतृत्व किया है इसकी यह जिम्मेदारी भी है कि इस भाषा के मामले में भी वह नेतृत्व करें। हम देखते हैं कि हमारे देश में हिन्दी भाषा की प्रगति बहुत कम है। यद्यपि हमारे देश में हिन्दी भाषा के लिये सरकारी भाषा अधिनियम सन् १९५१ में बनाया गया और उससे पहले सन् १९५० में यह निर्णय एक अधिनियम द्वारा हो गया था कि इस विधान सभा की भाषा हिन्दी होगी। ५१ का जो अधिनियम बना था उसमें यह निश्चय किया गया था कि एक वर्ष के अन्दर सब विभागों में हिन्दी लाई जायगी। मेरे पास यह अधिनियम अंगरेजी में है, इसमें दिया हुआ है :—

"Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constitution, Hindi in Devnagri Script shall, with effect form such date within one year from the commencement of this Act, as the State Govt. may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf, be the language used in respect of the following—

(*a*) (i) ordinance promulgated under Article 213 of the Constitution,

(ii) orders, rules, regulations and bye-laws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by Parliament or the Legislature of the State;

and (*b*) all or any of the official purposes of the state:'

इसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि इस अधिनियम के पास हो जाने पर १ साल के अन्दर यह सरकार तारीख का निश्चय करेगी कि जब से यह कार्य में आ जाय आर्डिनेंस के सम्बन्ध में विधान सभा के और अन्य कामों के सम्बन्ध में आने लगेगी। आज इस अधिनियम को पास हुये पांच वर्ष के लगभग हो गये परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इस प्रांत के कामों में हिन्दी की प्रगति इतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये थी। सचिवालय में जहां लगभग ५० के करीब विभाग होंगे उनमें अंग्रेजी का प्रयोग होता है और हिन्दी का प्रयोग कम होता है। केवल जहां तक विधान सभा का सम्बन्ध है इसमें तो पूरी हिन्दी प्रयोग में आती है लेकिन इसके अतिरिक्त जो और विभाग हैं उनमें यह कम काम में आती है। यह अधिनियम जब इस विधान सभा में बन गया तो इस सरकार को लाजिमी था कि इसको अबतक प्रयोग में ले आती। हम यह देखते हैं कि लोक सेवा आयोग में जितनी परिक्षायें होती हैं चाहे प्रांतिशियल सर्विस को देखिये, चाहे मुंसिफी को देखिये जितनी परीक्षायें होती हैं सब अंग्रेजी में हो रही हैं, जिलों को आमतौर से आदेश भी अंग्रेजी में ही जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री रतनलाल जैन—मैं यह निवेदन कर रहा था कि १९५१ के सरकारी भाषा अधिनियम के संबंध में कि उसमें दिया हुआ था कि एक वर्ष के अन्दर यह सरकार कोई तिथि नियत कर देगी भिन्न-भिन्न कामों के लिये और उस वक्त से यह प्रयोग में आगे लगेगी। परन्तु यह प्रयोग में नहीं आ रही है, यह खेद कि बात है। यह कहा जा सकता है कि सरकारी अफसरों में बहुत से ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं। मैं हिन्दी का तात्पर्य हिन्दी लिपि से समझता हूं। जो भाषा हामरे प्रांत में बोली जाती है, चाहे उसमें उर्दू के कुछ शब्द हों चाहे उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द हों, चाहे बहुत कठिन संस्कृत के शब्द हों मैं उन तमाम को हिन्दी समझता हूं। अगर भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्द होंगे तो उससे भाषा घटती नहीं है, बिगड़ती नहीं है बल्कि यह उच्च हो

जाती है। उसमें जितने भी शब्द भर जायेंगे उसकी और शोभा और शक्ति बढ़ जाती है। इसलिये भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्द होने से भाषा में कोई कमी नहीं आती। जो हिन्दी भाषा यहां बोली जाती है उसे मैं नहीं समझता कि चार वर्ष में सरकारी अफसर उसको सीख न जाते। केवल इनमें कुछ उदासीनता है।

जहां तक हिन्दी लिपि का संबंध है यह छः महीने में भली भांति आ सकती है और अभ्यास से मेरे खयाल से बहुत जल्दी आ सकती है। मुझे ऐसा अनुभव है कि जिन्होंने भी अभ्यास किया है छः महीने में काफी योग्य हो गये हैं चाहे उन्होंने पहले न पढ़ी हो। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में मुसलमान भाई आफिस सेक्रेटरी हैं। वे पहले हिन्दी बिलकुल नहीं जानते थे। वे छः महीने में इतने योग्य हो गये हैं कि आप आज उनके लेख को देख कर यह नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी हिन्दी नहीं सीखी थी। जब हम यह देख रहे हैं तो इसके कहने में कि हमारे अफसर, हमारे फलां कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है। उनका कहना बिलकुल असत्य है। केवल यह है कि वह देख रहे हैं कि सरकार इस मामले में दृढ़ता से कार्य नहीं ले रही है। मैं तो माल मंत्री जी से यह विशेष कर कहूंगा कि वह ऐसा कोई आदेश निकालें कि अगर ६ महीने के बाद कोई अफसर हिन्दी काम में नहीं लायेगा तो वह अफसर या कर्मचारी सस्पेंड समझा जायगा। अगर यह नियम निकाल दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में एक भी अफसर या एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं रहेगा कि जो यह कह सके कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूं। इसलिये मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि इसको जितनी दृढ़ता से काम में लाया जाना चाहिये था उतनी दृढ़ता से काम में नहीं लायी गई। हमारे प्रदेश की काफी जिम्मेदारी है। अगर हमारा प्रदेश इसको जल्दी से काम में नहीं लाता है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि भारतवर्ष में हिन्दी समय के अन्दर प्रयोग में आ जायगी। हमारे जितने भी हिन्दी भाषा भाषी प्रांत हैं उन्हें तो पांच वर्ष के अन्दर जब से विधान पास हुआ है हिन्दी प्रयोग में ले ही आनी चाहिये थी। अगर यह हो जाय तो केंद्र की हुकूमत पंद्रह वर्ष के अन्दर हिन्दी काम में ले आयेगी। अगर हमने ढीलापन किया और हमने भी यह सोचा कि हम पंद्रह वर्ष में काम में ले आयेंगे तो यह आशा करना कि केंद्रीय शासन उसको पंद्रह वर्ष के बाद काम में ले आयेगा यह आशा करना मैं गलत समझता हूं। अगर यह काम में नहीं आयेगी तो इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रांत पर विशेष रूप से होगी, जो हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश है और जिस को यह गर्व है कि हमने बहुत से कामों में अगुआपन किया है और तमाम प्रांतों का नेतृत्व किया है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर वह ऐसा आदेश निकाल देंगे। ६ महीने में जो भी अफसर या कर्मचारी इसको प्रयोग में नहीं लायेंगे तो ६ महीने के बाद वे सस्पेंड हो जायेंगे। अगर यह आदेश निकाल दें तो मैं समझूंगा कि यह जरूर प्रयोग में आ जायगा। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन रखता हूं और आशा करता हूं कि इसको प्रस्तावक महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री रामेश्वरलाल के दो संशोधन हैं, दोनों एक साथ ही पेश कर दें तो अच्छा हो।

†श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन है कि संकल्प की पंक्ति ४ के शब्द "जाय कि" के बाद शब्द "घोषणा के बाद नियुक्त राज के कर्मचारी" बढ़ा दिये जायं।

तथा

संकल्प के अन्त में पूर्ण विराम निकाल कर उसके बाद शब्द "और पुराने कर्मचारी जिन्हें हिन्दी की योग्यता हो गई हो इस आदेश का पालन करें और जिन्हें कठिनाइयां हों वे शीघ्र अभ्यास कर योग्यता प्राप्त कर लें" बढ़ा दिये जायं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

श्रीमन्, सबसे पहले कि मैं अपने संशोधनों पर कुछ विचार व्यक्त करूं मैं माननीय रणंजय सिंह को जिन्होंने इस प्रस्ताव द्वारा इस सदन का, इस राज्य में रहने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन्, जो संशोधन माननीय रणंजय सिंह जी ने रखा है उस प्रस्ताव के रखने का तात्पर्य केवल यह है कि हिन्दी को प्राथमिकता और प्रमुखता मिले। इस राज्य में चाहे इस राज्य के कार्य में हो या व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में हो। श्रीमन्, जब हम हिन्दी को प्रमुखता देने की बात पर विचार करने को आज तैयार हुये हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हिन्दी के विकास के जमाने पर भी और साथ साथ उसके विकास और पतन की अवस्था पर भी, और जब हम इधर ध्यान देते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिन्दी को जिसने एक जमाने में काफी प्रमुखता प्राप्त की थी, बर्बाद करने की कुछ लोगों ने चेष्टा की और वह चेष्टा प्रारम्भ हुई १८ वीं सदी में १८५७ के गदर के बाद। यदि आप देखें तो मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि १८५७ की गदर के बाद अंग्रेजों की पार्लियामेंट को वारेन हेस्टिंग ने जो पत्र लिखा, उसमें साफ लिखा था कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य की नींव गहराई तक डालने की आवश्यकता है, इसके लिये यह आवश्यक है कि इस देश में धर्म अनुयायी बनाव और उसके साथ २ अंग्रेजी का प्रचार अधिक से अधिक बढ़ावे और उसका फल हुआ कि अंग्रेजी इस देश में पनपी और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को राज्य में अधिक सुविधा मिलने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों की रुचि अंग्रेजी की तरफ बढ़ी राज्य की भाषा अंग्रेजी हुई और हिन्दी की तरफ से लोगों की रुचि समाप्त होने लगी। मान्यवर तब से हिन्दी का पतन प्रारम्भ हुआ। माना कि आज आजादी प्राप्त करने के बाद अपनी सरकार है अपनी सरकार सचेष्ट है, लेकिन हम उन्हें आज नहीं भूला सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के प्रयत्नों के बावजूद उस हिन्दी के दीप को अपने देश में जलाये रखा, गरीबी में सिसक २ कर मर कर। हम आज प्रेम चन्द को, निराला को या और भी लोगों को जिन्होंने बर्बाद पूर्ण नीति को देखते हुये भी उस जमाने में हिन्दी के चिराग को टिम टिमाते हुये सुरक्षित रखा जिसके ऊपर यदि रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव को यदि स्वीकृत किया जाय तो हम आज उसके एक अच्छे फल के प्राप्त करने की आशा करने लगे हैं; श्रीमन्, हिन्दी अपने प्रांत की भाषा हो, राज कार्यों में व्यवहृत हो, यह सब पसन्द करते हैं और उसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अपना (हिन्दुस्तान का) विधान बनाया तो उसने भी हिन्दी की प्रमुखता के लिये कि कौन सी भाषा इस्तेमाल हो राज्यों को क्या स्वतन्त्रता हो। इस पर उसने भी एक विधान बनाया, लेकिन हम उसका प्रतिपादन कर रहे हैं या नहीं यह प्रश्न है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम विधान के बावजूद आज हिन्दी को अपने यहां प्रमुख स्थान देने में हिचकिचा रहे हैं और हम इधर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। इसके पांच छः कारण, श्रीमन् साफ हैं।

पहला तो यह कि यह सरकार जो है उसकी रुचि नहीं है कि हिन्दी पनपे। श्रीमन्, यह बिल्कुल साफ है कि आज सरकार यद्यपि प्रजातांत्रिक पद्धतियों पर चुन कर आयी हुई है, लेकिन आज उसकी जो व्यवस्था है वह राजतांत्रिक है। वह बड़े-बड़े राजकर्मचारी जो अंग्रेजों के बनाये हुए थे, उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं की बुद्धि के बल पर वह अपने को टिका हुआ पाती है।

श्रीमन्, केन्द्र के एक एम० पी० महोदय हैं, जब वह चुन कर वहां गये तो उनका एक लेख निकला, जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत से मंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जो चुनकर नये-नये राज्य सभाओं में और केन्द्र में आये हैं वे अपने को असमर्थ पाते हैं उन फाइलों को समझने में, जो पुरानी फाइलें हैं या जो रोज की फाइलें हैं। तब उनको मजबूर होकर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों या वह लोग जो पुरानी सत्ता की मौजूदगी के समय से चले आ रहे थे, उनकी बुद्धि का, उनके बल का, उनके विवेक का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी वही हालत है। श्रीमन् मेरा दावा है कि सन् ५१ में जिस समय इस सदन ने यहां हिन्दी को प्रमुखता देने का निश्चय किया उसके बाद से अगर कोई हिन्दी का मर्मज्ञ जैसे निराला या पन्त जैसा या इन लोगों के समकक्ष बैठने वाला मंत्री यहां होता तो जो अधोगति हिन्दी की आज हो रही है वह कदापि न होती।

पहला कारण तो यह है कि राज्य सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही हैं। दूसरा कारण यह है कि राज्य सरकार के साथ-साथ जो इस प्रान्त के बसने वाले हैं, वे दूसरी भाषाओं को आज प्रमुखता देने लगे हैं। अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं श्रीमन् कि यदि हम किसी स्टेशन पर चले जायं और हमको टिकट लेना हो या हम सिनेमा हाल के किसी गेट पर चले जायं और हम हिन्दी में कहें कि श्रीमन् मुझे एक टिकट दीजिए तो शायद कहीं दस पांच बार कहने के बाद कोई सुनले और अगर हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें कि मुझे एक टिकट दो तो अविलम्ब टिकट मिल जायगा, चाहे वह रेलवे की खिड़की हो या और कोई जगह हो। श्रीमन्, सेक्रेटरियट में मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजी बोलना किसी सदस्य को आता हो और वह अंग्रेजी वेशभूषा में हो तो किसी भी आफिस में उसे जाने और सही इन्फामेशन प्राप्त करने में आसानी होगी, बनिस्बत उस सदस्य के जो भारतीय संस्कृति और भारतीय वेशभूषा में रहता हो। तो इसका एक कारण यह है कि अगरेजों के जमाने में, अंग्रेजियत की और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की जो परम्परा, जो सम्मान, अंग्रेजों ने बनाया था, वह परम्परा, वह सम्मान आज भी हम अपने राज्य में बनाये हुए हैं और आज भी हम विकास के काम के लिये जो हिन्दी के युग प्रवर्त्तक रहे हैं, या जो हिन्दी के पोषक रहे हैं उन तत्वों को नेगलेक्ट किये हुए हैं। हमने श्रीमन् पढ़ा कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ हिन्दी संस्थाओं को कुछ पैसे दिये हैं जो एक करोड़ के करीब हैं। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि जब वह जवाब दें तो हमें बतावें कि नागरी प्रचारिणी सभा बनारस को या और भी जो ऐसी संस्थायें हैं जो हिन्दी को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में कार्यरत हैं उनके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। श्रीमन्, हमारा दावा है कि हमारी सरकार हिन्दी के काम को बढ़ाने में जो व्यय कर रही है वह एक बहुत ही शून्य सा व्यय है। नहीं के बराबर वह व्यय है और मेरा तो खयाल है कि इस सरकार की चेष्टा एक बहुत अधूरी चेष्टा है। तो यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी अंग्रेजी का वह स्थान ग्रहण करे, हिन्दी अंग्रेजी की जगह, पर प्रतिपादित हो तो हमको हिन्दी की तरफ, हिन्दी लेखकों की तरफ और हिन्दी संसार की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यदि हमने ध्यान दिया तो हम इसमें सफल होंगे।

मान्यवर, यदि हमने हिन्दी को राज्य भाषा के रूप में, सार्वजनिक जीवन में और राजनैतिक जीवन में प्रतिपादित नहीं किया तो इसके बड़े दुष्परिणाम देश को आगे चल कर भोगने पड़ेंगे? यह सही है कि कुछ लोग आगे चल कर रास्ता बता सकते हैं कि अंग्रेजी इसलिये आवश्यक हो गयी है कि आज बहुत सी ऐसी बातें जो हिन्दुस्तान में नहीं पाई गयीं, जिनकी डिस्कवरी हिन्दुस्तान ने नहीं की उसके लिये फौरन लैंगुएज के शब्द हैं और टेक्निक्स हैं, इसलिये बड़ा मुश्किल होता है कि हिन्दी को अंग्रेजी की जगह पर लाया जाय। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा और कहना चाहूंगा कि अब यह समय है कि हम इस सम्बन्ध में दृढ़ प्रतिज्ञ हों और निश्चित हों कि अब हम एक मिनट के लिए भी यह बरदाश्त नहीं करेंगे कि हिन्दी राज्य भाषा के रूप में, सार्वजनिक जीवन में व्यवहृत न हो और इसके लिए अब हमें कदम उठाना ही है। आज माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है और उसमें मेरा यह संशोधन है। मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं और सरकार की कठिनाई को देखते हुए चाहता हूं कि जितने आदमी इस कानून के बनने के बाद लिये गये हैं उनके लिये तो आवश्यक करदें, कि उनके लिए हिन्दी में काम करना लाजिमी है, वह अवश्य काम करें। और वे लोग जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जो सन् ५१ के पहले के हैं उन्हें सरकार मौका दे कि वे हिन्दी सीख लें और जिन्होंने सीख ली है वे व्यवहार में लावें। जिन्होंने नहीं सीखी है उनके लिये समय निर्धारित हो जिसके अन्दर उन्हें हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया जाय और अवश्य ज्ञान हो जाय और अगर ऐसा न हो--मेरे संशोधन का तो यह मंशा नहीं है--यदि ऐसे लोग हैं जो यह समझते हैं कि अंग्रेजी में ही आसानी हो

[श्री रामेश्वर लाल]

सकती है और अंग्रेजी के गूढ़ से गूढ़ शब्दों का वह भेदन कर सकते हैं, विज्ञान के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को वे जान सकते हैं और हिन्दी जो इतनी सरल है उसको वह नहीं सीख सकते, उनके लिये सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार में रहने का अधिकार नहीं है।

मान्यवर, मैंने आप से निवेदन किया कि भारतीय संस्कृति को और भारतीय पुरातन रस्म रिवाज को यहां प्रतिपादित करना और उसके बाहरी आडम्बर से देश को बचाना है तो हमें सूर, तुलसी, और भूषण को नहीं भूलना होगा और अगर हम गीता और रामायण को नहीं भुलाना चाहते हैं तो मैं आपसे दावे से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को प्रतिज्ञा करने की जरूरत है कि रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव को कबूल करे। अंग्रेजी ने हिन्दी को इसलिये भुलाया कि रामायण ने समता की और भ्रातृत्व की शिक्षा दी और गीता ने कर्मयोग की शिक्षा दी और उसके आधार पर हिन्दी जानने वाले लोग अंग्रेजों की उस चाल को जान गये थे, जो कि डिवाइड और रूल की और वे छुआछूत के भूत को इस देश में उन्नत करके और विभेद करके हम पर शासन करना चाहते थे। उस मनोवृत्ति को अगर खत्म करना है तो रामायण, गीता, सूर, भूषण और निराला को जीवित रखना होगा, उनके सिद्धान्तों को जीवित रखना होगा और उनकी प्रिय भाषा हिन्दी को जीवित रखना होगा। इसलिये रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी अवश्य स्वीकार करें और इसको स्वीकार करने से सरकार के लिए भी और इस राज्य के लिए भी और राज्य में रहने वाली जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी भलाई की बात होगी।

इन शब्दों के साथ मैं रणंजय सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी का प्रश्न हमारे सामने कई वर्षों से है और हमें इस प्रश्न पर कई दृष्टियों से विचार करना है। सब से पहले तो हिन्दी की प्रगति में उन शक्तियों या कुशक्तियों पर विचार करना है जो इसकी प्रगति में बाधक हैं। यों तो साधारणतया हिन्दी भाषी राज्यों को छोड़ कर अन्य सभी राज्य हिन्दी का विरोध किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करते हैं, किन्तु दक्षिण भारत में हिन्दी का जितना तीव्र विरोध है वह किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ संविधान ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया है दूसरी तरफ हिन्दी के प्रति इस प्रकार का मनोभाव एक ऐसा द्वन्द्वात्मक प्रश्न है जिस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना है और साथ-साथ इस बात पर भी विचार करना है कि यह प्रश्न हल कैसे किया जा सकता है और इसके हल करने का उत्तरदायित्व किस पर है। उत्तर प्रदेश पर मुख्यतः हिन्दी भाषी राज्य होने के कारण हिन्दी को अपने उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित करने का उत्तरदायित्व नैतिक और वैधानिक दोनों ही दृष्टियों से उसके ऊपर है। हिन्दी की प्रगति जितनी शीघ्रतर और समुन्नत रूप से होगी उतना ही अधिक हम हिन्दी के उद्देश्य को अपने सम्पूर्ण देश में प्रगतिशील बना सकेंगे। मूल प्रस्ताव में जो हमारे आदरणीय मित्र श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य ने संशोधन उपस्थित किया है उसकी भाषा और भाव दोनों ही का मैं समर्थन करता हूं मूल प्रस्ताव के मुकाबिले में। इतना कह देना बीच में मैंने आवश्यक समझा। वह ज्यादा अर्थ गाम्भीर्य रखता है।

अब मैं कुछ थोड़ी सी बातें जो हिन्दी के सम्बन्ध में अभी कहीं गयीं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। कहा जाता है कि हिन्दी में आया हुआ विधेयक या अधिनियम समझ में नहीं आता। इसका कारण है। जब तक हम मौलिक रूप से किसी वाक्य को सोचेंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं और मौलिक रूप में ही हम उन वाक्यों और शब्दों को लिपिबद्ध नहीं करेंगे और विदेशी भाषा का अनुवाद करेंगे और अनुवाद भी उस भाषा की शैली में करेंगे, ठीक वैसे ही ऐक्टिव, पैसिव वायस वग़ैरह रहे तो हिन्दी ही क्या, कोई भाषा जो अनूदित रूप में होगी वह समझ में नहीं आयेगी। इसलिये हिन्दी को यदि हम बोध गम्य बनाना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि मूलतः जो विधेयक या अधिनियम प्रस्तुत किये जाते हैं वे हिन्दी में प्रस्तुत किये जांय। तब इस दोष का कि यह विधेयक समझ में नहीं आता, परिमार्जन होगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो यह दोष रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता है।

अब दूसरा प्रश्न इस बात का है कि हिन्दी के शब्दों को बनाया जा रहा है। यह समझ में नहीं आता है। पत्रालय पोस्टआफिस के लिये है, तो यदि पोस्ट आफिस शब्द को समझ सकते हैं तो कालांतर में पत्रालय को भी समझा जायगा। जैसे पुलिस आउट पोस्ट है, यानी यह नाना प्रकार के शब्दों में प्रयुक्त होता है। पोस्ट आफिस से उस स्थान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जहां पर चिट्ठियां आती जाती हैं, इसी प्रकार से कालांतर में पत्रालय को भी यही पोस्ट आफिस समझा जायगा। इसी प्रकार से स्टेशन शब्द है यह कई शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन आदि। यह विभिन्न रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी ध्वनि तथा वातावरणीय अर्थ है उस को यदि हम समझ लेते हैं तो हम किसी भी शब्द का अर्थ समझ लेने में सक्षम हो सकते हैं।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो दलीलें हैं और जो इस प्रकार के शब्द हैं तो ये शब्द तो एक अर्थ को वहन करते हैं और वह अर्थ एक विशिष्ट स्थिति में एक रूप होता है। अब तक हिन्दी और उर्दू का प्रश्न भी चला। मैं उर्दू का सम्पूर्ण समर्थक हूं और जरा भी उर्दू का विरोधी नहीं हूं। उर्दू हिन्दी की एक शैली है। उसका कारण है कि जिस भाषा का अपना व्याकरण नहीं है, उसको स्वतंत्र भाषा नहीं कहा जा सकता है और उर्दू भाषा का व्याकरण हिन्दी के व्याकरण से गवर्न होता है। इसी व्याकरण से उर्दू की शब्दावली और वाक्यावली निर्माण [illegible] लिये उर्दू के लिये स्वतंत्र भाषा के रूप में संघर्ष करें तो ऐसा ही है कि संघर्ष के [illegible] किया जाता है, वरना जैसे हिन्दी की बहुत सी बोलियां हैं उसी प्रकार से उर्दू भी हिन्दी की एक शैली है। अगर इसको देवनागरी लिपि में स्वीकार कर लें तो झगड़ा आप ही आप मिट जाता है।

अब यह बात सही है कि उर्दू के साथ कुछ मजहबी तास्सुब भी शामिल कर दिया गया था और मजहब से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सवाल को उठाते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि भाषा के मंच पर मजहबी सवाल, धार्मिक प्रश्न को उठाना उस भाषा के साथ और उस भाषा को बोलने वालों के साथ अन्याय करना है। यों तो इस सम्बन्ध में जो उर्दू के समर्थक हैं, जो उर्दू के प्रोग्रेसिव समर्थक हैं, मैं उन की बात नहीं करता, लेकिन जो कट्टर सपोर्टर हैं वह इस प्रकार का रूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे ऐसी बात मालूम होती है और वे समझते हैं कि यह किसी खास धर्मावलम्बी की बात है। उर्दू में जो हमारे हिन्दी भाषा के अच्छे-अच्छे लेखक हैं, उन्होंने अच्छी-अच्छी किताबें, उपन्यास और कवितायें वगैरह लिखी हैं और जिनको हम अगर उर्दू साहित्य से निकाल दें तो फिर उर्दू का साहित्य शून्य सा दिखलायी देगा। इसलिये इसमें मजहब का, धर्म का कोई प्रश्न नहीं है।

अब रह गया हमारे राज्य कर्मचारियों का प्रश्न। यह प्रश्न जितना सहज है उतना ही टेढ़ा है। सहज तो इस माने में है कि करीब-करीब कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ कर, जिनकी मादरी जबान हिन्दी नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि वे तो खैर इस पीढ़ी में न सही, अगली पीढ़ी में सीखेंगे, लेकिन जिनकी मादरी जबान हिन्दी है उनसे जब यह तर्क सुनता हूं कि हम हिन्दी में बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तब सचमुच में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यह बात सही है कि एक जमाने से वह अंग्रेजी में सोचते बोलते और लिखते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ५-६ साल अंग्रेजी पढ़ने के बाद अच्छी तरह से

[श्री देवदत्त मिश्र]

लिखने और पढ़ने लग सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि इन ६ सालों के दौरान में हिन्दी भाषी परिवार में, हिन्दी भाषी समाज में और हिन्दी भाषी वातावरण में बिताते हुये हम अपनी मादरी जबान हिंदी अच्छी तरह से ग्रहण न कर सकें। लेकिन कुछ इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स है या सुपीरयोरिटी कम्प्लेक्स है, जैसा कि माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा, उसकी भावना में पड़ कर हमारे राज्य कर्मचारी अंग्रेजी से नीचे उतर कर या ऊपर उठ कर हिन्दी क्षेत्र में आने में अपने गौरव का ह्रास समझते हैं। इसलिये मैंने जैसा कहा, यह उत्तरदायित्व हमारे राज्य के ऊपर है कि हम हिन्दी को शीघ्र से शीघ्र अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करें। ऐसी हालत में यदि हमारा राज्य हिन्दी को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने में एक निश्चित कदम एक सख्ती और कड़ाई के साथ न उठायेगा तो श्रीमन्, आशंका इस बात की है, संविधान में जैसा कहा गया है कि १५ साल के बाद अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को लेना चाहिये, मेरा खयाल है, कि कितने ही १५ साल बीत जायंगे और हिन्दी की वही स्थिति रहेगी जो आज है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को, हमारे माननीय मंत्रियों को और हिन्दी के साथ सहानुभूति रखने वाले राज्य कर्मचारियों को, जो इसे अपना नैतिक उत्तरदायित्व और वैधानिक उत्तरदायित्व समझते हैं, इसलिये अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना चाहिये, ताकि १५ वर्ष भीतर हिन्दी केवल इस राज्य में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश में उस जगह प्रतिष्ठित हो जो जगह संविधान ने उसके लिये निर्धारित की है।

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, माननीय रणंजयसिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त महत्व का है और उस पर इस सदन में, अपने विचार व्यक्त करते समय और किसी निश्चय पर पहुंचते समय अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि मैं माननीय रणंजय सिंह जी और जो संशोधन उनके प्रस्ताव में प्रस्तुत किये गये हैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं, भले ही शब्दावली जिस जिस ढंग से लिखी गयी है बहुत से संशोधनों की, उन से सहमत न हूं, लेकिन जो उनकी भावना है उससे पूर्णतया सहमत हूं। उनकी शब्दावली का पूर्णतया समर्थन मैं इसलिये नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इस प्रस्ताव की भावना का समर्थन सतर्कतापूर्वक करना चाहता हूं। मैंने अभी अपने माननीय मित्र देवदत्त मिश्र जी का विवेचनात्मक भाषण सुना। उन्होंने इस प्रस्ताव की परिधि को जरा व्यापक बना दिया। उन्होंने उसमें उर्दू का सवाल, देश भर की राष्ट्रीय भाषा का सवाल और तमाम बातें, जो इस प्रस्ताव से मिलती-जुलती सी हैं, संबंधित हैं, उनको भी इस प्रस्ताव के दायरे के अन्दर लाने की चेष्टा की। हमें यह सोचना है कि हम हिन्दी को राज्य भाषा कैसे बना सकते हैं। आखिर हिन्दी भारत की आज राज्य भाषा नहीं है, वह १५ साल के बाद जब इस प्रकार से फैलेगी कि वह सारे भारत की राज्य भाषा हो सके तो तब हो सकेगी। तो हमें यह सोचना है कि हम, राज्य सरकार, सरकार के कर्मचारी और आम जनता, हम सब लोग मिल कर हिन्दी को कैसा रूप दें जिससे वह वास्तव में राज्य भाषा हो सके। अगर रणंजयसिंह जी या कोई और मित्र यह समझते हों कि किसी सरकार की आज्ञा निकालने से हिन्दी राज्य भाषा हो जायगी तो यह होना संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने कई बार इस सम्बन्ध में कड़े से कड़े आदेश निकाले हैं कि हिन्दी भाषा में कार्य होना चाहिये, लेकिन वह नहीं हुआ। हमें उन कारणों पर विचार करना है कि क्यों हम अपनी भावना के होते हुये भी इसको वास्तव में राज्य भाषा नहीं बना पाये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी यह हिन्दी ही राष्ट्र भाषा होनी चाहिये और केवल एक जबरदस्ती का वातावरण तैयार करें तो फिर हम अपने राज्य में ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर भी इसको राज्य भाषा के बनाने में नाकामयाब होंगे।

आज भी नारा लगाया जाता है और जो भी अहिन्दी भाषा भाषी लोग हैं उनका इस प्रकार का कुछ दृष्टिकोण सा हो गया है कि हिन्दी हम पर जबरदस्ती लादी जा रही है। इस चीज को हमें दूर करना है। मिसाल के लिये जैसे मिश्र जी ने कहा कि उर्दू हिन्दी की शैली है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि उर्दू हिन्दी की शैली है। यह तो बड़े-बड़े भाषाविदों की बहस का मामला है कि उर्दू हिन्दी की एक शैली है या नहीं या दोनों बहनें हैं या किस तरह से हैं। किन्तु उर्दू भी हमारे संविधान में एक भाषा मानी गयी है। वह भी हमारे प्रान्त की एक भाषा है। उर्दू का जो महत्व है उससे हम उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। किन्तु सवाल तो यह ह कि हम दूसरी भाषाओं को यदि साथ में न लें तो क्या उनको इसके मातहत बनाना है। हमें यह सोचना ह। यदि हमारी चेष्टा यह रही कि हिन्दी दूसरी भाषाओं से ऊंची है और अगर इस प्रकार का प्रचार हमने शुरू कर दिया तो इससे यह होगा कि आज हमारे यहां जो दूसरी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं वे हिन्दी को दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। वे समझेंगे कि हिन्दी हमारी मातृभाषा के मुकाबले में एक कम्पिटीशन करने वाली भाषा है। तो राज्य भाषा बनाने के लिये हमें दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के लिये यह ह और मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि पहला काम जो सरकार को हिन्दी को राज्य भाषा बनाने के लिये करना चाहिये वह यह है कि हिन्दी के लिये वह एक मैनुअल आफ आर्डर बनाये। उसके लिये एक कान्फ्रेन्स बैठे जो यह तय करे कि इस प्रकार के आर्डर तो हिन्दी में निकाले जायंगे और इस प्रकार के आर्डर अंग्रेजी में निकाले जायंगे या हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निकाले जायंगे। हो सकता है फिर हर कार्यालय को स्पष्ट आदेश होने लगें कि इस प्रकार के आदेश केवल हिन्दी में निकलेंगे। जैसे मिसाल के लिये जिला अफसरों का कार्य है या जो पटवारी पेशकार और जो भी जिले के स्तर पर कार्य करते हैं उनके लिये सब आर्डर हिन्दी में जाने चाहियें। इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी कार्य हैं वे हिन्दी में हो सकते हैं और उनके लिये स्पष्ट आदेश होने चाहियें। और वे हिन्दी में ही लिखे जाने चाहियें। इसी प्रकार के आदेश हो सकते हैं जैसी जहां आवश्यकता है। अंग्रेजी में लिखने की आवश्यकता है तो वह अंग्रेजी में लिखे जायं जैसे कि भारत सरकार से पत्र व्यवहार का मामला है। भारत सरकार में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं। मान लीजिये कि प्लानिंग का कार्यालय है और अगर वहां पत्र व्यवहार करना पड़े तो मालूम नहीं कि हमारे जो वहां गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्रोजेक्ट आफिसर हैं हिन्दी जानते हैं या नहीं, यदि वे हिन्दी नहीं जानते हैं तो उनके लिये लाजिमी तौर से अंग्रेजी में लिखना होगा। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके संबंध में भारत सरकार ने अंग्रेजी में कानून बनाये हुये हैं। तो ऐसे मामलों में अवश्य अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करना होगा। मैनुअल में स्पष्ट किया जा सकता है कि इस प्रकार का पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिये और बाक़ी अंग्रेजी में। एक दम से यह कह देना कि सारा काम हिन्दी में हो, तो ऐसा होना असम्भव है। हम रोज़ यहां कानून पास करते हैं जो अंग्रेजी के ऐक्टों में अंग्रेजी में संशोधन करते हैं। आप उनका अनुवाद कराइये या उन सब को आप रिपील कीजिये और फिर से हिन्दी में ऐक्ट पास कीजिये। एक बारगी हमारे लिये इंग्लिश को तलाक़ देना संभव नहीं है। मैं स्वयं अपनी कमजोरी महसूस करता हूं। मुझे इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है और न मैं इसे कहने में शर्म महसूस करता हूं। आपके आशीर्वाद से मैं हिंदीमें साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने अपने बी०ए० वग़ैरह के इम्तिहान हिन्दी साहित्य में ही पास किये हैं। लेकिन कभी-कभी मुझे भी हिन्दी के बिल के अर्थ देखने के लिये अंग्रेजी के बिल को देखना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। बहुत से हमारे प्रदेश के आई० सी० एस० और पी० सी० एस० अफसर हैं जिन्होंने अपनी ये परीक्षायें अंग्रेजी में ही दी हैं और जिनका सारा जीवन अंग्रेजी के ही पालनपोषण या साये में बीता है। उनसे यह आशा करना कि वे जितनी अच्छी तरह अपने आप को अंग्रेजी में प्रकट कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह हिन्दी में १/२ साल के अन्दर ही कर सकें, असम्भव है। टेक्निकल जानकारी के लोग, जैसे इंजीनियर्स, फिजिक्स या कैमिस्ट्री के लोग हैं, इनसे यह आशा करना कि वे हिन्दी में पत्र व्यवहार अभी से करने लगें, असम्भव है और न हम उनसे जबरदस्ती करा सकते हैं। इस लिये यह मैनुअल एक दम बनना चाहिये, अविलम्ब बनना चाहिये जिसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से हो सकता है कि इतना कार्य तो अवश्य हिन्दी में होगा और इतना हिन्दी के बाहर हो सकता है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जहां तक हमारे माननीय मंत्रियों का सवाल है, उनको तो अधिक से अधिक हिन्दी का उपयोग करना चाहिये । जहां पर भारत सरकार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि इंग्लिश आवश्यक हो वहां वे भी हिन्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिन्दी के राजकाज की भाषा बन जाने के यह अर्थ नहीं हैं कि और भाषाओं में कोई चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती है। मैं नहीं समझता कि माननीय रणन्जयसिंह जी का भी यही अर्थ होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा, जहां मैं भावनाओं का समर्थन करता हूं, वहां मैं यह भी कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश के रहने वालों के ऊपर जिम्मेदारी है कि हिन्दी को राज्य भाषा बनावें वहां हमारे ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि हम हिन्दी को इतनी साधारण, इतनी ग्राह्य बनावें कि वह सारे देश की राज्य भाषा बन सके । अगर हम उत्तर प्रदेश वाले अपने को इस मामले में कुछ अधिक क्रांतिकारी स्पष्ट करने लगें तो हम देश से आगे बढ़ जावेंगे। यह भी ठीक नहीं है। हमको तो देश के साथ चलना चाहिये और देश को साथ लेकर चलना है। इसी में हमारी और हिन्दी की विजय है, लेकिन आज बहुत से सज्जन जो हिन्दी का प्रचार करने वाले हैं वास्तव में हिन्दी के लिये रुकावट बन रहे हैं, उनका मंशा भले ही ऐसा नहीं है। हमने हिन्दी, हिन्दी कर के ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि लोग हमको गलत समझ रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे सदन के मेम्बरों की, जर्नलिस्ट्स की, हिन्दी व उर्दू के प्रोफेसर्स की, सचिवालय के आफिसर्स की, एक कानफ्रेन्स बुलावें, जो यह तय करे कि किस प्रकार हम जल्दी से जल्दी हिन्दी को सुगम उपायों से राज्य भाषा का रूप दे सकते हैं। सब लोग हमको अपनी अपनी दिक्कतें बतलावें। हम कर्मचारियों की कोई राय नहीं लेते हैं और हम कहते हैं कि वे हमारे आर्डर्स को मानें। जैसे अन्जुमने तरक्क़ियें उर्दू या हिन्दी साहित्य सम्मेलन या इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं उनको भी बुलाना चाहिये और उनका भी सहयोग प्राप्त करना चाहिये। जब हम इस दृष्टिकोण से चलेंगे तब हम हिन्दी को सरल रूप से राज्य भाषा के रूप में रख सकेंगे। नहीं तो गलत आदेश निकाल देने से राज भाषा नहीं होने वाली है और न सरकारी कर्मचारियों के गलत सलत आदेश निकालने से हिन्दी राज्य भाषा होने वाली है। मुझे माफ़ करेंगे कि मैंने अधिक स्पष्टवादिता से काम लिया है, लेकिन मैं हिन्दी का समर्थक होने के नाते यह कह रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र मुझे सही रूप से समझेंगे। जहां तक इस प्रस्ताव की भावना और भाव का सवाल है, मैं पूर्णतया इसके और संशोधनों के साथ हूं।

*श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रणंजयसिंह जी के प्रस्ताव को मैं केवल इस दृष्टि से देखता हूं कि यह एक झटके वाला प्रस्ताव है या नींद सी आ गई हो तो उससे जगाने वाला है। यह कोई नई मांग नहीं है। इस प्रस्ताव का अर्थ इतना ही है कि जो हमने लक्ष्य मान लिया है उसकी पूर्ति शीघ्र होनी चाहिये। इससे कोई असहमत नहीं है। किन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार अपने ढंग पर चल रही है और उसके सामने कुछ वैधानिक कठिनाइयां हैं,जिनके कारण वह माननीय रणंजयसिंह जी की अभिलाषा को जल्दी से पूर्ण नहीं कर पा रही है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसके लिये आदेश स्पष्ट हैं। संविधान की कुछ वैधानिक कठिनाइयां हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ या हाई कोर्ट का फैसला हुआ, यह सब तो हिन्दी में हो ही नहीं सकते। जहां तक मैं जानता हूं ऐसा संविधान में है। लेकिन जहां तक शासन संबंधी दूसरा अंश है उसके लिये स्पष्ट आदेश है और उनका प्रतिपादन होता है। इसलिये कोई अधीरता की आवश्यकता नहीं है। माननीय मौर्य जी का जो संशोधन है वह इतना व्यापक है और उसमें कह दिया गया है कि "राज्य कर्मचारियों को राजकाज हिन्दी में ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के आदेश दिये जायं" तो यह संविधान के विरुद्ध जाता है। इसलिये हम समझते हैं कि शायद मौर्य जी ने संविधान का ध्यान नहीं रक्खा और उन्होंने लहजे में ही इसको लिख डाला है। आप ने लिखा है कि "विधानतः हिन्दी राज्य भाषा हो जाने पर भी राजकर्मचारी राज्य के कामों में विदेशी भाषाओं का व्यवहार करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें अविलम्ब हिन्दी में ही राज काज करने के आदेश जारी किये जायं"। इसी संबंध में मैं बतला रहा था कि जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज कोर्ट आदि न्यायलय विभाग के लिये मजबूरी है। संविधान के अनुसार वहां यह व्यवहार्य न होगा और आपकी भावना सब जगह के लिये लागू नहीं हो सकती।

खैर, कुछ चर्चा की गयी हिन्दी के सम्बन्ध में कि हिन्दी को रूप रेखा कैसी हो। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दी को मानते हैं कि क्लिष्ट होती जा रही है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हिन्दी अपनी माता की ओर जा रही है। हिन्दी जहां से निकली है धीरे-धीरे उधर ही जा रही है, जो उसके लिये अनिवार्य है। उसके लिये दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। यदि हमें साहित्यिक ढंग से भाषा को बनाना है तो उसमें वे शब्द जो आज नहीं हैं या दूसरी भाषाओं से लिये गये हैं उनके स्थान पर तद्भव शब्दों से उनकी रचना करनी होगी। आज ही सवालों के जवाब में एक शब्द कहा गया था 'आगणन'। उसके लिये उर्दू में तखमीना शब्द है, अंग्रेजी में ऐस्टीमेट है। अब बोलचाल की भाषा में हम उसे क्या कहें। क्या उसके लिये तखमीना कहें। यह नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों के लिये हमें संस्कृत से शब्दों को बनाना होगा। यह तो ऐसा हो जायगा जैसा रेशम में तार का पैबंद लगाना। इसलिये मैं समझता हूं कि भाषा का एक स्पष्ट रूप बनाना होगा और अनुकूल बनाना होगा। अब उसको अनुकूल बनाने के लिये रेशम का ही पेबंद देना होगा और वह रेशम से ही लेना होगा। यदि हमें मर्यादित हिन्दी बनाना है, साहित्य की हिन्दी बनाना है तो हमें ठीक से शब्दों को बनाना होगा। जो भाषा हिन्दुस्तानी के नाम से कही जाती है, मैं उसको नहीं मानता। वह हिन्दी गुलामों की हिन्दी है। गुलामी के वक्त में जो हिन्दी अपनायी गयी थी वह हिन्दी आज नहीं रह सकती। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। जब हमें किसी वस्तु को बनाना है तो उसको सच्चे रूप में बनाना होगा। इसलिये हिन्दी को जो साहित्यिक रूप हमें देना है उसमें हमें संस्कृत के शब्द लेने होंगे। और जो बोलचाल की भाषा है उसमें अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी मिले रह सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे स्टेशन है, रेल है, स्लेट है या पेनसिल है, इन सब शब्दों को अपनाने के लिये हिन्दी संकुचित भाषा नहीं है कि वह इनको ग्रहण न करे, इसलिये हमें उनको लेने में कोई आपत्ति नहीं है। श्री श्रीचन्द्र जी ने कहा कि हमें जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखना चाहिए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमेशा बोलने और लिखने की भाषा एक नहीं होती। उस में सब जगह अन्तर होता है। मैं समझता हूं शेक्सपीयर ने भी जो भाषा लिखी है वह शायद उस भाषा को न बोलता रहा होगा, उस की भी बोलने की भाषा दूसरी रही होगी। जिस साहित्य के साथ उस ने अपने काव्यों की रचना की है उस भाषा में वह कदापि न बोलता रहा होगा और किसी भी लेखक या विद्वान के विषय में देखा जाय तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे कि जिन की लिखने और बोलने की एक ही भाषा रही हो और एक ही भाषा का प्रयोग दोनों बातों में रहा हो। बोलने की भाषा में कुछ तो स्थानीयता का सवाल रहता है, जिसे कालोक्वियल भाषा कहते हैं, उसका प्रभाव बोलने में रहता है, लेकिन जब कोई रचना लिखने बैठता है तो भाषा को परिमार्जित रूप मे रखता है। इसलिये हिन्दी की एक ऐसी मर्यादा हमें रखनी होगी और हमें उस की आदि जननी से ही उसका सम्बन्ध रखना होगा।

श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि हिन्दी को ऐसा रूप न दिया जाय कि जिससे हिन्दी के समर्थकों के बारे में दूसरे भाषा भाषी ऐसा समझने लगें कि उसको हमारे ऊपर लादा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, आज की दुनिया में बड़ा-छोटा बन कर, ऊंच-नीच समझकर कोई आगे नहीं जा सकता, इसलिये किसी प्रकार के द्वेष की या ऊंच-नीच की भावना किसी

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

की नहीं है और न कोई हिन्दी समर्थक ऐसे विचार रखता है। अगर हमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप देना है तो हमें उस की एक मर्यादा बनानी होगी और जो उसकी मर्यादा है वह निश्चित रूप से बांधनी होगी। दूसरी बातों को छोड़ दें और हम भावुकता से परे हट कर देखें और पक्षपात की बात न करें तो व्यापकता, सरलता और सुविधा की दृष्टि से हिन्दी के बराबर सरल और ग्राह्य भाषा कोई अन्य नहीं है। दूसरी भाषाओं में लिखने और उनके उच्चारण करने या बोलने में अन्तर पड़ जाता है, जैसे उदाहरण के लिये अंग्रेजी में "पुट" शब्द में "यू" का उच्चारण "ऊ" स्वर का है, उसी "यू" का उच्चारण "बट" शब्द में "अ" का है और "बिजीनेस" शब्द में उसी "यू" अक्षर का उच्चारण "इ" का हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि दूसरी भाषाओं में शब्द और अक्षरों के उच्चारण का कोई स्थिर रूप नहीं है। हिन्दी में "उ" की मात्रा कहीं भी लगा देंगे तो उसका एक सा ही उच्चारण हर अक्षर के साथ "क" के साथ "कु" होगा, "च" के साथ "चु" होगा। वह कहीं भी लिखा जाय "उ" ही रहेगा। उसका उच्चारण अंग्रेजी की तरह कहीं "अ" कहीं "इ" और "उ" नहीं हो सकता। इसलिये हिन्दी इतनी सरल भाषा है कि उसमें जो लिखा जायगा वही पढ़ा जायगा। उस में "आलू बुखारा" लिखकर उल्लू बेचारा" नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिये हिन्दी बहुत ही सरल और सीधी भाषा है। एक प्रश्न अब यह उठता है कि कठिन हिन्दी को समझाने में कठिनाई होती है। तो यह तो अभ्यास की बात है, अभ्यास के बिना वह अभी कठिन मालूम होती है और वही अभ्यास होने पर सरल हो जाती है। जब हम यहां पहली बार आये थे उस समय "प्राक्कलन" "दीर्घा" या दूसरे कठिन शब्द नहीं समझते थे और अब धीरे-धीरे "परिवहन" और "अन्तरिम काल" आदि सभी नये शब्द सीख गये और प्रयोग करने लगे और आसानी से समझ जाते हैं। अंग्रेजी के Through "शब्द में लिखें तो सात अक्षर जाते हैं लेकिन पढ़ा जाता है एक अक्षर "थ्रू"। तो इतनी कठिन भाषा तो हमने पढ़ ली और इसमें शेशाद्रि और राधाकृष्णन् जैसे बड़े-बड़े विद्वान पैदा हो गये। इतनी कड़ी भाषा तो हमने पढ़ ली और हिन्दी जो सरल भाषा है उसके शब्दों जैसे "प्राक्कलन" "दीर्घा" और आगणन आदि को हम क्यों न समझ लगे। तो यह जो चीज चल रही है कि हम उसको नहीं समझ सकते इस बात को मैं नहीं मानता। हमें आरम्भ में जरूर कठिनाई पड़ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे वह आसान हो जायगी। अभ्यास से कैसा ही कठिन हो धीरे-धीरे वह आसान हो जाता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो माननीय रणंजयसिंह जी का प्रस्ताव है उसके भाव से किसी को मतभेद नहीं है और मैं तो उनसे कहूंगा कि उनके प्रस्ताव का जो लक्ष्य था वह पूरा हुआ और एक झटका हमको लगा। यहां पर इस पर आदान प्रदान विचारों के हुए और सरकार को भी कुछ चेतना पैदा हुई और अगर कुछ ढिलाई होगी तो वह दूर हो जायगी। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस आदान प्रदान के बाद अब अपने प्रस्ताव को वापस ले लें, क्योंकि उनका तात्पर्य अब सिद्ध हो गया है।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---मैं आप के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव करता हूं चूंकि ४ बजे से बाहर से आये हुये कुछ सज्जनों द्वारा एक सांस्कृतिक मंडल द्वारा कुछ प्रोग्राम होने जा रहा है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अब इस सदन की कार्यवाही को इस समय स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है?

श्री श्रीचन्द्र---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मालूम करना चाहता हूं कि इसके बाद मेरा संकल्प है, वह लैप्स तो नहीं हो जायगा, क्योंकि यह सदन समय से पहले खत्म हो जायगा। और अगर ४ बजे के बाद तक चलता तो सम्भव है मेरा प्रस्ताव आ जाता तो मेरे प्रस्ताव को लैप्स नहीं होना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कोई आयोजन है, क्या उसमें सब माननीय सदस्य पदेन बुलाये गये हैं और अगर पदेन नहीं बुलाये गये हैं और केवल दो चार आदमियों को बलाया गया है तो वह शौक से जा सकते हैं। यह सदन की शान के खिलाफ है कि जिसमें सदन के सभी माननीय सदस्य पदेन न बुलाये गये हों उसमें जाने के लिये सदन को ऐडजर्न किया जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन की राय ले लेना जरूरी समझता हूं।

श्री कालीचरण टंडन—मैं समझता हूं कि माननीय गौतम जी ने जो आपत्ति उठाई है कि अगर सब सदस्यों को नहीं बुलाया गया है तो सदन की कार्यवाही जारी रखनी चाहिये वह उचित है। अभी तक मेरी सूचना है कि सदन के सभी सदस्यों को नहीं बुलाया गया है, इसलिये मैं उनकी आपत्ति को मानते हुए अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हिन्दी के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया गया है उसके पीछे जो सिद्धांत और भावनायें हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। जो भाषण मैंने इस सदन में सुने उनसे कुछ कुछ ऐसा मालूम हुआ कि लोगों ने कुछ यह साबित करने की कोशिश की कि हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों बननी चाहिये। इस प्रस्ताव में स्वयं इस बात को माना गया है कि हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है। सिर्फ शिकायत यह है कि उसको राज्यभाषा मानने के बावजूद भी हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका हिन्दी भाषा के प्रति जो रुख है वह उपेक्षा का है और सरकारी कार्यों में हिन्दी का उपयोग जितना होना चाहिये उतना नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह शिकायत ठीक है और उचित यही है कि जब एक बार हमने इस बात का निर्णय कर लिया कि हमारे देश की राज्यभाषा हिन्दी है तो अधिक से अधिक इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि जहां तक हो सके सभी काम हिन्दी में हों। लेकिन इसके साथ-साथ हम को यह भी देखना चाहिये कि हमारे देश में भी डेढ़ सौ साल के पहले से अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य रहा है और हमारे जितने भी आफिस के काम थे चाहे सेक्रेटरिएट के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हों, ज्यादातर अंग्रेजी में होते थे। उसके बाद केन्द्र से यह तय हुआ कि पंद्रह साल के अन्दर अंग्रेजी का स्थान हिन्दी लेगी। और हमारे यहां भी एक अधिनियम, पास हुआ, जिसमें एक ही साल की मियाद रखी गयी कि एक साल के बाद हमारा तमाम काम इस प्रदेश का हिंदी में होगा। लेकिन मैं यह समझता हूं और जैसा कि कुछ साथियों ने कहा भी है कि हमारे सामने कुछ कठिनाइयां थीं। मैं इस बात को मानता हूं कि हिन्दी हमारे देश की मातृ भाषा है। और आज नहीं तो कल हम को अपने सब काम हिन्दी में करने पड़ेंगे। लेकिन साथ-साथ यह भी है कि अब तक हमारे देश के अन्दर चाहे वह साइंस की बात हो, चाहे और टैक्निकल बातें हों, उन सबका साहित्य और जितनी पुस्तकें हैं, अधिकांश रुप में अंग्रेजी में हैं। एक साथ यह आशा करना कि तमाम वह साहित्य जिसमें इतने टेक्निकल और साइंस के भी टेक्निकल शब्द हैं वह हिन्दी में हो जायं मैं समझता हूं कि यह बात कठिन है। और मेरा यह अनुभव है कि एक हिन्दी का विद्यार्थी होते हुये भी जो अनुवाद मैंने टेक्निकल शब्दों का देखा, मैं यह तो नहीं कहता कि ठीक नहीं हुआ, ठीक ही हुआ, लेकिन वह इतना ज्यादा संस्कृताइज्ड है कि उसके समझने में मुझ जैसे व्यक्ति को काफी कठिनाई होती है।

जहां तक यू०पी० का गजट हम देखते हैं तो मैं तो यह इस बात को मान लेता हूं कि चाहे वह मेरी अयोग्यता की बात हो, मैं उस गजट को ज्यादा नहीं समझ पाता हूं। इसके अलावा जैसा कि उधर से एक माननीय साथी ने कहा, हमारे अधिकांश कानून जो बने हुये हैं वे अंग्रेजी में

नवलकिशोर]

बने हुये हैं चाहे प्रदेश के हों या केन्द्र के हों। यह आशा करना कि वे सबके एक दम हिन्दी में हो जायेंगे मैं समझता हूं कि यह भी कठिनाई की बात है। इसके अलावा इस सरकार ने तो एक साल का समय रखा है, लेकिन केन्द्र ने पंद्रह साल का समय रखा है। जितनी भी करस्पांडेंस गवर्नमेंट की होती है उसमें भी इस बात की कठिनाई है कि वह ज्यादातर अंग्रेजी में होती है और अंग्रेजी में जवाब देना पड़ता है। इस प्रकार की हमारे यहां कुछ दिक्कतें हैं। मेरा अपना अनुभव है कि बहुत से दफ्तरों में सरकार के चाहते हुये भी कि हम को हिन्दी के स्टेनोज मिल जायं, जिनको उसमें अच्छी योग्यता हो सरकार को मिल नहीं पातें हैं। छापेखाने अगर आप देखें तो उनके पास नयी हिन्दी लिपि के अक्षर नहीं हैं। तो इस तरह की कुछ कठिनाइयां हमारे सामने हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह एक ट्रांजीशन का पीरियड है, उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मेरी मंशा कहने की यह नहीं है कि उन कठिनाइयों के सामने हम झुक जायं और हम इस बात की कोशिश न करें कि हमारे प्रदेश के दफ्तरों में पूर्ण रूप से काम हिन्दी में न हो और उसके बाद देश का काम हिन्दी में न हो। इसकी कोशिश होनी चाहिये। मेरा अपना खयाल यह है कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, कोशिश में कोई कमी नहीं है। यह शिकायत में भी अपनी जगह महसूस करता हूं कि हमारे सरकारी अफसरों में कुछ काम्प्लेक्स है। वह यह समझते हैं कि चूंकि एक जमाने से उनका सम्बन्ध अंग्रेजी भाषा से रहा है, उनका खयाल है कि शायद अंग्रेजी भाषा की कुछ सुपीरियारिटी है।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अगर अंग्रेजी को इस्तेमाल करेंगे तो उनको अपनी सुपीरियारिटी दिखलाने का मौका मिलता है और यदि हिन्दी में काम हो जाय तो उनमें और जनसाधारण में कोई विशेष अन्तर बाकी नहीं रहता। इस तरह का जो काम्प्लेक्स है उसको खत्म होना चाहिये, क्योंकि जब एक बार इस देश का यह निर्णय हो गया कि हमारी भाषा हिन्दी है तब हर व्यक्ति को इस देश के और प्रदेश के नागरिक के नाते भी चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो हिन्दी सीखने की कोशिश करनी ही चाहिये। एक चीज में भी यह महसूस करता हूं कि यह अपनी जगह ठीक है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। और सारे देश को ही हिन्दी सीखनी चाहिये और उस तरह की कठिनाई हमारे सामने नहीं है जो कि केन्द्रीय सरकार के सामने है, क्योंकि दक्षिण में लोग हिन्दी नहीं जानते हैं। लेकिन सवाल थोड़ा सा मान्यवर, ऐप्रोच का है कि किस तरह से हिन्दी का प्रसार देश में हो। इसमें थोड़ी सी हमको सहनशीलता से काम लेना पड़ेगा और लोगों पर इस तरह का प्रभाव डालना पड़ेगा कि हम जो हिन्दी भाषा की बात चाहते हैं वह इसलिये नहीं चाहते हैं कि हम अन्य भाषाओं को दबाना चाहते हैं बल्कि इसलिये चाहते हैं कि चूंकि हमारे देश की अधिकांश जनता हिन्दी से भलीभांति परिचित है और इसीलिये हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मैं जानता हूं और मेरे अन्य साथी भी इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि हमारे देश का जो दक्षिण का भाग है हिन्दी के प्रति उसका रूखा भाव है और कुछ थोड़ा सा विरोध का भी है और अक्सर यह बात सुनने में आती है कि उनकी तरफ से प्रायः हिन्दी का साम्राज्यवाद, यानी हिन्दी इम्पीरियलिज्म की बात कही जाती है। तो जब हम ज्यादा जोश की बात कहते हैं और जब हम किसी चीज में ज्यादा जोश दिखाते हैं तो उसका असर हमारे देश के उन भागों पर जहां हिन्दी भाषा नहीं है अच्छा नहीं पड़ता है और वे यह समझते हैं कि वे उत्तरी भारत के लोग जबरदस्ती हिन्दी भाषा हम पर थोपना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने साथियों को जिनको कि इस विषय में अधिक जोश है, जहां तक सिद्धांत की बात है, समर्थन की बात है मैं भी यह कह सकता हूं कि मैं अपने उन साथियों से, उनकी भावनाओं से पीछे नहीं हूं, मगर यह जरूर कहना चाहता हूं कि वे उस जोश से जिस ध्येय को वे प्राप्त करना चाहते हैं नहीं कर सकते। तो श्रीमन, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है जो हमारे सामने है इसमें तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है और जब राष्ट्रभाषा हिन्दी है तो जितनी जल्दी भी हो सके सरकार की तरफ से और खास तौर से जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनके लिये हिन्दी

को सीखना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक संशोधन भी आया है जिसमें इस बात की मियाद रखी गयी है कि ६ महीने के अन्दर हिन्दी सीख लेनी चाहिये और अगर नहीं सीख पायेंगे तो उन्हें उनके स्थानों से अलग कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह संशोधन उचित नहीं है। और जिस भावना से और जिस भावना को लेकर हम सभी साथियों को अपने साथ लेकर यह चाहते हैं कि हमारे देश का हर भाग माने, यों तो कानून सब ने मान लिया और हमारे विधान में यह बात आ गयी, तो हम यह चाहते हैं कि चाहे दक्षिण का भाग हो, सभी को एक प्रेम और स्नेह के साथ इस बात के लिये तैयार कर सकें कि वह हिन्दी को उसी दृष्टि से देखें जैसे हम देखना चाहते हैं, यदि यह भावना है तो इस तरह की पाबन्दी लगाना कि ६ महीने के अन्दर आप सीख लें, वरना आपको निकाल दिया जायगा, मैं समझता हूं उचित नहीं है। बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया उस समय जब कोई ऐसा सवाल हिन्दी का नहीं था। बहुत से ऐसे भी हमारे इस प्रदेश में कर्मचारी हैं जो हमारे प्रदेश के नहीं हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, मिसाल के तौर पर मद्रास और दूसरे भागों [illegible] भाषा हिन्दी नहीं रही है और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सीनियर आफिसर्स हैं, तो मैं स[illegible] हूं कि इस तरह की पाबन्दी लगाना कि ६ महीने में हिन्दी सीखें और अगर नहीं सीखें तो वहां से हटा दिये जांय, उचित नहीं है। लिहाजा इस तरह के संशोधनों का मैं विरोध करता हूं और आप के द्वारा आखिर में निवेदन करना चाहता हूं अपने साथियों से कि यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी एक जीवित भाषा हो तब हमको इस बात पर जोर देना पड़ेगा, जैसा माननीय श्री श्रीचन्द्र जी ने कहा कि हमारी हिन्दी ऐसी हो कि जैसी कि हिन्दी हम आपस में रोजाना की बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। या ज्यादा साहित्यिक या जिसको कहते हैं संस्कृत से भरी हुई हिन्दी, यह अधिक लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती है और लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं। लिहाजा जो भी हिन्दी का प्रयोग हो वह सरल भाषा में हो जो हमारी रोज की बोलचाल की भाषा है, उसमें हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय श्री रणंजय सिंह जी ने उपस्थित किया है उस संकल्प की भावनाओं का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, राजभाषा का प्रश्न हमारे सामने बहुत दिनों से विचाराधीन है। इस पर इस सदन ने प्रस्ताव भी पास किया था। उसके लिये राज्य सरकार की तरफ से समय-समय पर आदेश भी जारी होते रहते हैं कि हिन्दी में ही सारा कारबार हो, जहां तक सम्भव हो, लेकिन उन आदेशों के बावजूद भी देखा जाता है कि जहां पर उसकी आवश्यकता उतनी नहीं रहती है वहां पर भी अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। जिन लोगों के लिये अंग्रेजी के बिना काम चलना मुश्किल हो उनके लिये तो चाहे उसका उपयोग भले ही किया जाय, लेकिन हमारे राज्य के कार्य का विस्तार गांव पंचायतों की वजह से ठेठ देहात तक पहुंच गया है और उसमें कार्य करने वाले अधिकांश लोग हिन्दी की ही जानकारी रखते हैं, लेकिन जब उनके लिये भी आदेश अंग्रेजी में जाता है, उनके लिये भी जब जानकारी की बहुत सी बातें अंग्रेजी में लिखकर जायं तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है उनके समझने में। कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से उर्दू और हिन्दी को लेकर के एक सवाल यहां पर खड़ा किया गया है, मैं समझता हूं कि हिन्दी और उर्दू का सवाल यहां पर विचाराधीन नहीं है। जहां तक हमारे राज्य से सम्बन्ध है उर्दू और हिन्दी तो हमारे यहां का एक घरेलू प्रश्न होता है। आज तो हमारे यहां प्रश्न है अंग्रेजी का। आज पहले से हमारे इस राज्य में ज्यादातर काम अंग्रेजी में हुआ करता था और अब भी होता है। उसकी जगह पर किस भाषा में काम किया जाय, किस लिपि में काम किया जाय यह हमारे सामने सवाल है और उसी पर माननीय रणंजय सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखा है। असल में हमको यह देखना पड़ता है कि राजकाज में किस भाषा और लिपि का प्रयोग हो। एक तरफ यह होता है कि कुछ राजकर्मचारी हैं, जिनके लिये कठिनाई पड़ती है कि वे हिन्दी में, जो हमारे प्रान्त की आम लोगों की भाषा और जिसका अधिकांश लोग नागरी लिपि में ही प्रयोग करते हैं, आसानी से समझते हैं, उनके लिए व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

रोमन लिपि का प्रयोग करें या हिन्दी का करें। अब इसमें हमको देखना यह पड़ता है कि जनता को प्रधानता दें या राजकर्मचारियों को प्रधानता दें। मैं ऐसा समझता हूं कि जो राजकर्मचारी हैं वे जनता के कार्यों में सहूलियत पैदा करने के लिये, उनकी सुविधा के लिये ही रखे जाते हैं। इसलिये उनको उस भाषा और लिपि में काम करना चाहिये जिससे आम जनता को, सर्वसाधारण को लाभ पहुंच सके। उनको आसानी हो। लेकिन जब-जब इस सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं तब-तब यह दिखलाया जाता है कि कुछ राजकर्मचारी ऐसे हैं जिनको हिन्दी में लिखने-पढ़ने में कठिनाई पैदा होती है, इसलिये उनको इस बात की सहूलियत दी जाया करती है। जो राजकर्मचारी हिन्दी में न लिख-पढ़ सकें मैं समझता हूं कि उनके लिये मौका दे दिया गया था और अब आगे मौका देना ठीक नहीं जान पड़ता है। जिस समय इस तरह के आदेश दिये गये थे हमने देखा कि बड़ी तेजी से लोग सीखने की तरफ उत्सुक हुये थे। लेकिन जब से इसमें कुछ ढिलाई आयी तब से फिर लोग ढीले पड़ गये और आज थोड़े दिनों के बाद फिर वही पुरानी लीक पीटी जाने लगी है।

एक कठिनाई की कुछ व्यक्तियों ने चर्चा की कि हाई कोर्ट और अदालतों में अंग्रेजी का ही प्रयोग हो सकता है। मैं जहां तक समझता हूं इस सम्बन्ध में कोई मतभेद न रखना चाहिये हमारे राष्ट्र का भाषा के रूप में पूर्णतया हिन्दी को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है तब तक यह कठिनाई बनी रहेगी और हमारे प्रस्तावक महोदय ने भी इस बातको ध्यान में रखा ही होगा कि वहां पर तो अंग्रेजी का प्रयोग किया ही जायगा। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जहां पर कि हिन्दी का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, जब राज कर्मचारी हिन्दी को आसानी से लिखना-पढ़ना जानते हैं तो जहां तक हो हिन्दी में ही काम करें और उसके द्वारा ही अपने विचारों को व्यक्त किया करें, अपनी रिपोर्ट लिखा करें जिससे और लोग, जिनका उनसे सम्बन्ध पड़ता है आसानी से समझ सकें।

इस सदन में एक बात की और चर्चा की गई कि जो इस समय हिन्दी प्रचलित है, खास तौर से गजेटेड और विधेयकों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह कठिन होती है। मैंने माना कि वह कठिन है और बहुतों के सामने उसमें दिक्कत आ जाती है लेकिन अगर आप हिन्दी को उठाना चाहते हैं तो विधेयकों और गजट में और इस प्रकार के जो साहित्य ग्रंथ होंगे उनमें तो इस तरह के कठिन शब्द आयेंगे ही। लेकिन जो आम तौर से रिपोर्ट लिखी जाती है, आम तौर से साहित्य निकलते हों, आदेश और सरकुलर निकलते हों उनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह साधारण रूप में नागरी लिपि में जिसको लोग आसानी से समझ सकें या न समझें तो फारसी लिपि में भी और हिन्दी भाषा में या उसको आप हिन्दुस्तानी भाषा कह लीजिये—उस भाषा में ही उसको निकाला जाय जिससे कि यहां के रहने वाले आम तौर से आसानी से समझ सकें।

चर्चा की गयी कि कुछ लोग बाहर के हैं, बंगाली हैं, मराठी हैं और दक्षिणी हैं जो हमारे राज्य में कर्मचारी हैं और उनकी वजह से कठिनाई पैदा होती है। मैं समझता हूं कि जो यहां पर दूसरे प्रान्तों के रहने वाले हैं वह इतने दिनों से रह रहे हैं कि उस बीच में उनको इस भाषा की जानकारी अच्छी तरह हो ही गयी होगी और अगर नहीं हुयी होगी तो उनकी अधीनता में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी होते हैं जो सारा काम किया करते हैं। हमने देखा कि हमारे देश में रूस के दो महान् नेता आये और काफी हमारे देश में घूमे, लेकिन उन्होंने रूसी भाषा का ही प्रयोग किया और हमारे देश के नेताओं ने उनसे हिन्दी में बात की। और दोनों ने एक दूसरे की भाषा को नहीं समझा तो दुभाषिये ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस दुभाषिये ने समझाया जो रूसी और हिन्दी जानता था। उसी ने एक दूसरे के भावों को समझाने की कोशिश की। वहां तीसरी

भाषा को माध्यम के रूप में नहीं लिया। इसी तरह यहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे वह भी हिन्दी को माध्यम द्वारा समझा दिया करेंगे। तो इस तरह से जो थोड़े से राजकर्मचारी हैं उनका काम बड़ी आसानी से हो सकता है।

माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा था कि विधेयक में कुछ शब्द ऐसे कठिन आ जाते हैं कि उनको समझने के लिये उन्हें अंग्रेजी के विधेयकों को देखना पड़ता है। मैं मानता हूं कि उनके सामने कठिनाई आती होगी और उस कठिनाई को हल करने के लिये वह ऐसा उपाय करते हैं। लेकिन यह सवाल हिन्दी के ही लिये नहीं है। जब अंग्रेजी में कठिन शब्द आ जाते होंगे तो उसके लिये भी उन्हें डिक्शनरी देखनी पड़ती होगी। तो यह तो हर भाषा के लिये है कि वह कोष का प्रयोग करे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी भाषा का इतना पूर्ण पंडित हो कि उसको किसी दूसरी किताब को, डिक्शनरी, कोष को उठा कर देखने की जरूरत न पड़े।

तो इस तरह की कठिनाइयां तो आती रहती हैं और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो विकास करके उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जिसके लिये हमारा प्रयास है। हम यह कह सकते हैं कि हमारा इस भाषा की गुलामी से छुटकारा पाने का प्रश्न आज का नहीं है यह बहुत पुराना सवाल है। कांग्रेस का जब से आंदोलन चला तभी यह प्रश्न उठा था कि अंग्रेजी की जगह पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाय और इस सम्बन्ध में कांग्रेस ने जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती थी सन् १९२४ में कानपुर में एक प्रस्ताव पास किया कि जिसमें हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा स्वीकार किया। उसके बाद से कांग्रेस की देख-रेख में जो काम किये गये, जो विद्यालय खोले गये उनमें अधिक से अधिक हिन्दी भाषा पर जोर दिया गया। हम राजनीतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र हुये किन्तु आज भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से छूटने की हममें छटपटाहट है उसमें भी सामाजिक दृष्टि से छूटने का खास सवाल है। और इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों की सब से अधिक जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सवाल उठा कर दक्षिण वालों के दिल में उत्तेजना पैदा होती है तो यह हमारा सवाल सारे देश के लिये तो है नहीं। यह तो सिर्फ हमारे प्रदेश के लिये है और इसमें दो रायें नहीं कि हमारे प्रान्त की ही नहीं वरन् सारे देश की राय है कि उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी है और इसी प्रदेश में यदि जनता के प्रतिनिधि राज्य के विभागों पर इस बात का जोर डालें कि हिन्दी में ही हम अपना अधिक से अधिक कार्य करें तो यह अनुचित नहीं है और यह दक्षिण वालों के लिये कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिये। वे भी तो जहां तामिल, तेलगू, कन्नड़ है उन तमाम भाषाओं में काम करते हैं। लेकिन हमें उसका एतराज नहीं है। हमें तो सिर्फ यह देखना है कि हम अपने ही घर में बिराने बने हुये हैं। हिन्दी को उत्तर प्रदेश में ही उस स्तर पर आने का मौका न मिला तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वह किसी दिन सारे भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा होने का गौरव प्राप्त करेगी हमारे लिये तो यह भी बड़ी खुशी की बात है कि जहां दूसरे प्रान्त वालों के लिये यह सवाल है कि वे अपनी मातृ भाषा के साथ-साथ राष्ट्र भाषा के लिये हिन्दी सीखें वहां हमारे लिये यह इतना सुगम है कि हिन्दी हमारी मातृ भाषा भी है और राष्ट्र भाषा भी है। मैं मानता हूं कि सरकार ने इस बात के आदेश निकाले हैं कि हिन्दी जल्द से जल्द सब कर्मचारी सीखें लेकिन उन आदेशों के बावजूद भी उपेक्षा हुयी है और ऐसी उपेक्षा हुयी है जो कभी कभी बहुत खलने वाली रही है। और इस सम्बन्ध में हम सब सदस्यों को अनुभव जरूर होगा कि बाहर के लोग चुटकियां लेते हैं। हमारे ही सरकारी कर्मचारी इस बात में गौरव का अनुभव करें कि वे जो कुछ रिपोर्ट या नोट लिखें वह अंग्रेजी में ही लिखें यह अच्छा नहीं मालूम होता है। उनको तो इस बात में गौरव का अनुभव होना चाहिये कि जो वह लिखें वह हिन्दी में ही जिसकी सरकार बनी हुई हो उसकी भाषा में बोलें, लिखें यह हमेशा की परम्परा रही है जिन लोगों ने इसकी उपेक्षा की है उनको अपनी राय बदलने के लिये मजबूर होना पड़ा है।

हमारे प्रांत का यह गौरव रहा है। हमने बहुत से मामलों में ऐसा कदम उठाया है जो सारे देश के लिये आदर्श रहा है। यदि हमारा प्रांत इस कदम को उठाये और वास्तविक

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

रूप में हिन्दी को राज्य भाषा के रूप में प्रयोग करा दें तो वास्तव में हिन्दी के लिये बड़ा भारी कल्याणकारी कार्य होगा और हमारे प्रान्त का महत्व बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैं इन शब्दों के साथ माननीय रणंजयसिंह जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

† **राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय रणंजयसिंह ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, मैंने अब तक जितने भी भाषण सुने उन सबमें सब भाइयों ने इस बात को माना है कि हिन्दी जो हमारे प्रांत में बोली जाती है वह मातृ भाषा है और इसके लिये हमने ऐक्ट भी बनाया, जिसको चार साल हो गये हैं। यह ऐक्ट २१ नवम्बर, १९५१ को बना था और हिन्दी आफीशियल लैंग्वेज मानी गई और इसके राष्ट्र भाषा माने जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कुछ आश्वासन सरकार की ओर से हमें दिये गये, सरकार ने कोशिश भी की और इन सबके होते हुये मैं यह कहूंगा कि जो हमारी आशा हिन्दी के संबंध में थी वह पूरी नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि जब अंग्रेजों ने राज्य किया तो १००/१५० सालों में जो प्रभाव यहां जमा दिया उसको आज निकालने में कठिनाई पड़ रही है।

श्रीमन, मैं यह कहता हूं कि जब राजा चाहे, राज्य भाषा कोई भी हो, तो कोई वजह नहीं है कि आज जो हमारे यहां हिन्दी का रूप है वह रहे, जैसे कि सुस्ती और ढिलाई से हमारे यहां इस संबंध में कार्य हो रहा है। आज डी० ओ० में तथा पत्रों में हम कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं होती है उसका एक मुख्य कारण यह है कि अभी हमारी सरकार कुछ हिचकिचाती है, कुछ कदम उठाने में उसको संकोच है, पता नहीं किस बात का संकोच है, लेकिन है। हम समझते हैं कि हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है और हमारे प्रांत की मातृ भाषा हिन्दी है तो हमारी सरकार को इसके लिये अन्य प्रदेशों से अग्रगण्य होना चाहिये।

श्रीमन, मैं यहां सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश यहां से अधिक हिन्दी के लिये जगह है और वहां के कार्यालयों का कार्य हिन्दी में होता है। श्रीमन, जब हमारे यहां अंग्रेज राज्य करते थे तो उनके होते हुये भी हमारे यहां एक ग्वालियर राज्य था जहां पर सारा राज्य का कार्य हिन्दी में होता था, नागरी लिपी में होता था। शब्द चाहे अंग्रेजी के हों या उर्दू के हों लेकिन वे नागरी लिपी में लिखने पड़ते थे। बहुकम ग्वालियर दरबार सारा कार्य राज्य का चलता था।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे भाई कहते हैं कि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। कोई कहता है कि संस्कृत के कठिन शब्द हैं। लेकिन हम तो यह कहते हैं कि अगर एक सिद्धान्त मान लें कि नागरी लिपि में लिखना पड़ेगा। आप चाहे उर्दू के शब्द लिखें चाहे अंग्रेजी के शब्द लिखें, लेकिन लिखना पड़ेगा नागरी लिपी में। मैं समझता हूं कि इससे किसी को कोई विरोध नहीं होगा, इसमें न तो धर्म का सवाल है और न मजहब का सवाल है। लोग समझते हैं कि बचत हो जाय तो अच्छा है। जब अंग्रेजों ने हम लोगों को अंग्रेजी सिखानी चाही तब उन्होंने रोमन भाषा चलाई जिसमें हिन्दी शब्द रोमन में लिखे। इस प्रकार श्रीमन, सरकार चाहे तो इस सुझाव को मान ले कि नागरी लिपी में हर एक को लिखना पड़ेगा।

जितने भी उर्दू के शब्द हैं, "जनाब" है, उसको आप नागरी लिपि में ही लिखिये। किसी भी भाषा के शब्द हों उनको नागरी लिपि में लिखा जाय। मेरा एक तो यह सुझाव है।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी दफतरों के अलावा हमारा यह असेम्बली डिपार्टमेन्ट है। इसमें सब काम हिन्दी में होता है। लेकिन मुझे बड़े अदब के साथ

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना पड़ता है कि कभी-कभी यहां की रिपोर्टस वगैरह भी अंग्रेजी में आ जाती है। मैं श्रीमन को याद दिलाना चाहता हूं कि कभी-कभी सेलेक्ट कमेटी में प्रोसीडिंग्स भी अंग्रेजी में होती है। जब यहां यह पास हो गया है कि सिवाय हिन्दी के कोई दूसरी भाषा प्रयोग में लाई नहीं जायेगी तो आप निश्चित हुक्म कर दीजिये कि इसका पालन किया जाय। मैं समझता हूं कि यहां शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी हो जो हिन्दी न जानता हो। हां, प्रयोग करने में कुछ कठिनाई अवश्य हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर सरकारी विभागों में और यहां पूरा नियंत्रण रखा जाय तो हिन्दी की तरक्की हो सकती है। सरकार अगर चाहेगी तो हिन्दी आगे बढ सकती है और अपना उच्च स्थान जल्दी ले सकती है। बाहर के लोग तो प्रयत्न करते ही हैं और करते ही जायंगे लेकिन यह सरकार का फर्ज है और उसका बड़प्पन होगा अगर वह इसको आगे बढ़ाये और जल्दी अपना ले। तभी यह पनप सकती है और तभी आपके कार्य जनता समझ सकती है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में हिन्दी पर वादविवाद हो रहा है और मैं भी इसमें हिस्सा लेने के लिये उपस्थित हुआ हूं। एक साहब कह रहे हैं गुरुमुखी नहीं होनी चाहिये। मैं इसके लिये क्या कहूं। मुझे अफसोस है इनकी हरकतों पर। खैर जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने है मैं उसको हृदय से ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ५ वर्ष पूर्व इस सदन ने हिन्दी को राजभाषा मानने का विधेयक पास किया था। यही नहीं हमारी संविधान सभा ने भी जो विधान बनाया उसमें भी देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी मानी गई। लेकिन आज हमारे राज्य में मुख्य मंत्री जी, जो हिन्दी के महान पंडितों में हैं हमारे राज्यपाल महोदय, ऐसे हिन्दी का समर्थक और हमारे अध्यक्ष महोदय ऐसे हिन्दी के मर्मज्ञों के विराजमान होते हुए भी हिन्दी पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता इसके लिये मुझे बहुत अफसोस और दुख है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में राज्य भाषा हिन्दी को मान लेने के बाद, बिहार प्रान्त ने हिन्दी को अपनाया लेकिन मैं देख रहा हूं कि वहां की सरकार ने अपनी भाषा को हिन्दी कर लिया। वहां की सरकार अपने अधिकारियों पर हावी है और वहां जितनी कार्यवाही होती है वह सब प्राय: हिन्दी में, देव नागरी लिपी में होती है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, दुःख है और साथ ही क्षोभ है कि आज हम ५ साल से लगातार हिन्दी पर कई बार विवाद करने के बाद भी अपने राज्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग न करवा सके। सरकार अपना काम बंद किये हुए पड़ी है।

आज हम लोग सरकार के कर्मचारियों के पास जो हिन्दी में खत लिखते हैं उसका जवाब हमको अंग्रेजी में मिलता है। यह नहीं कि हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, वह राष्ट्रभाषा है और होकर रहेगी। मुझे वह दिन और वह समय याद आता है कि जब पूज्य मालवीय जी ने महात्मा गांधी को हिन्दू यूनिवर्सिटी में बुलाया था। तो उस वक्त वहां पर हिन्दू यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में लिखा हुआ था हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस। महात्मा गांधी जी ने उस पर एतराज किया और यह कहा कि आज भी 'हिन्दू यूनिवर्सिटी' अंग्रेजी में बोर्ड पर लिखा हुआ है तो मुझे शर्म मालूम होती है और मैं इस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। फौरन मालवीय जी ने उस बोर्ड पर कपड़ा लगवाया था, फिर वहां पर हिन्दी में वह बोर्ड लिखा गया "हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी"। यह करीब २० वर्ष पहले की बात है। लेकिन आज जब हम आजाद हो गये और हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन फिर भी आज हम अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। कुछ हमारे यहां कर्मचारी हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने में यहां पर कर्मचारी थे। वे अपना रवइया नहीं बदल सके और उसको बदलने में उन्हें शर्म मालूम होती है। क्योंकि उनका रहन-सहन, उनका वातावरण ऐसा हो गया है कि उसको बदलने में उनको दिक्कत महसूस हो रही है। मैंने एक स्पीच बनारस यूनिवर्सिटी में एक जापानी प्रोफेसर की सुनी। उसने अपने भाषण को अपनी जापानी भाषा में पढ़ा, लेकिन बाद को एक दुभाषिये ने उसका अनुवाद करके हिन्दी में सुनाया। उस प्रोफेसर ने इस बात का संकेत किया कि जिस

[श्री शिवमंगल सिंह कपूर]

वक्त उनका देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक अपनी जापानी भाषा को कार्य रूप में परिणत करने के लिये पूरी ताकत हम लोगों ने लगायी है। जो भी विदेशी लिट्रेचर आता है वह अंग्रेजी में आता है। लेकिन उसका जापानी भाषा में अनुवाद किया जाता है। हर विदेशी भाषा का जापानी भाषा में अनुवाद किया जाता है। अपनी जो मातृभाषा होती है उस मातृभाषा में बच्चों का प्रेम और रुचि होती है और उसको वे अच्छी तरह से समझते हैं, उसकी मंशा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश जो हर चीज में अगुवा था और है भी, लेकिन मैं देखता हूं कि आज १० साल करीब-करीब आजादी प्राप्त किये हो गये और चार वर्ष से राष्ट्रभाषा भी हम इस सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि देवनागरी के रूप में वह हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज तक सरकार की कुछ सुस्ती के नाते मार्ग दिखायी नहीं देता है। अगर सरकार कड़ाई के साथ कार्यवाही करती तो कोई वजह नहीं है कि उसके कर्मचारी इसके ऊपर ध्यान न देते। मुझे यह भी ख्याल है कि इसी हाउस में टंडन जी के जमाने में जो बिल यहां पर आते थे वे हिन्दी में आते थे और उनकी नकल अंग्रेजी में भी जरूर रखी जाती थी लेकिन आज बहुत से बिल अंग्रेजी में आते हैं हिन्दी में नकल रखी जाती है। इसी किस्म का बहुत सा कागजी पत्र व्यवहार पहले हिन्दी में हुआ करता था वह अब बन्द हो गया है। यहां तक कि पंचायत और प्लानिंग कमेटी में भी जिलों में जहां पर अंग्रेजी की कोई विशेष जरूरत नहीं है वहां पर भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। वहां से नोटिस करीब-करीब सब अंग्रेजी में पहुंचते हैं, यह बड़े दुख की बात है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने कानों को खोले और इसकी तरफ ध्यान दें। आज विधान सभा से पास हुये हिन्दी को ४,५ वर्ष हुये हमारे राष्ट्रपति का सर्कुलर भी निकल चुका है कि जो हमारे विदेशी राजदूत हैं उनसे जो भी पत्र-व्यवहार किया जाय वह हिन्दी में किया जाय, और हमारे राजदूत भी विदेशी दूतावास को राष्ट्रभाषा में पत्र वगैरह व्यवहार करें। आज भी हमारे मित्र ने बतलाया कि हमारे प्रधान मंत्री ने विदेश में अपने वक्तव्य हिन्दी में ही दिये और उनका उलथा चाइनी और रशियन भाषा में हुआ। यहां के लोग आज भी, आजाद होने पर भी, विदेशी भाषा की छोड़ नहीं पा रहे हैं मैं नहीं समझता कि उनका विदेशी भाषा से क्या प्रेम है। जो बर्ताव अंग्रेजों ने हमारे साथ किया उसे अंग्रेजों के जाते ही तिलांजलि दे देनी चाहिये थी और जब हमारे असेम्बली का सेशन नहीं होता है तो गवर्नर साहब आर्डिनेंस से कानून या हुकुम जारी करते हैं, इसी तरह से हिन्दी को भी आर्डिनेंस से जारी करना चाहिये था। क्षेत्रों की भाषायें अवश्य रहनी चाहियें, जैसे बंगाल के लिये बंगाली, पंजाब के लिये पंजाबी, यू० पी० के लिये हिन्दी और उर्दू, महाराष्ट्र के लिये महाराष्ट्री, मदरास के लिये तलगू इत्यादि लेकिन केन्द्रीय भाषा हिन्दी को शीघ्र से शीघ्र सरकार को कार्य के रूप में परिणत करना चाहिये। हमारी विधान सभा और राज्य सभा हिन्दी भाषा के पक्ष में निर्णय कर चुकी हैं और अगर गवर्नमेंट आर्डिनेंस के जरिये हिन्दी को चालू करती तो कोई दो रायें नहीं हो सकती थीं। और कोई अनुचित नहीं था।

जहां सरकार हिन्दी के लिये आगे कदम बढ़ावे, वहां मैं यह भी कह देना आवश्यक समझता हूं कि हिन्दी ऐसी होनी चाहिये जो वास्तव में सरल हिन्दी हो। जिस हिन्दी का हम लोगों को रात-दिन का अभ्यास है, जो हम बोलते हैं और कार्यरूप में रखते हैं, जिसमें हम खतकिताबात करते हैं, भाषण करते हैं, ऐसी साधारण हिन्दी होनी चाहिये, तो कोई वजह नहीं कि हिन्दी का जल्दी से जल्दी विकास न हो। मैं जो हिन्दी बोल रहा हूं वह गांधी जी की हिन्दी है, आपकी हिन्दी नहीं है। आपकी हिन्दी गांधी जी ने नहीं मानी है। ऐसी हिन्दी नहीं होनी चाहिये जिसे चोटी के विद्वान् समझें चाहे आप विद्वान् हों या न हों मगर अपने को विद्वान् कहते हों हिन्दी की भलाई इसी में है और हमारे प्रदेश की उन्नति इसी में हो सकती है कि हम ऐसी हिन्दी काम में लावें जो सबको समझ में आ सके और जिसे सब इस्तेमाल कर सकें। यह नहीं होना चाहिये कि जैसे एक गाय के ऊपर रंगा हुआ कपड़ा ढक दें और उससे सारे जानवर भड़कने लगें। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी भाई और माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि हिन्दी ऐसी होनी चाहिये जिसे सब कोई आसानी से समझ लें। तीसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज

तक इस बात की शिकायत रही है कि हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं जैसे अंग्रेजी में हैं और उन शब्दों के न होने से कानून अथवा और चीजें अधूरी रह जाती हैं। इसके लिये यह होना चाहिये कि जहां ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं तो उस शब्द को रोमन भाषा में लिख दिया जाय जब तक भाषा के रूप में वह शब्द नहीं बनता। अगर हम उसको दूर करना चाहते हैं तो यही एक तरीका है जिस तरीके से हम हिन्दी को अपना सकते हैं। जब तक हम अपनी राष्ट्रीय भाषा में काम नहीं करेंगे तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है और उस वक्त तक हमारी गुलामी की मनोवृत्ति बनी रहेगी। लोग हमें देख कर हंसेंगे। हमारा मजाक उड़ायेंगे। नुक्ताचीनी करेंगे। हमारे भाई समझ-बूझ कर दिमाग से काम लें।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रणंयजय सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। आज हमारा देश स्वतंत्र है उसके बावजूद भी और कई बार सदन में और सदन के बाहर भी सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास करने के बावजूद भी हिन्दी में काम सरकारी नहीं हो पा रहा है। पी०डब्ल्यू० डी० में सब काम अंग्रेजी में होता है। उसकी स्टैंडिंग कमेटी में कई बार हम लोगों ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया लेकिन वहां के जो भी सर्कुलर व नियम निकलते हैं वे सब अंग्रेजी में होते हैं। सड़कों और फलांगों पर भी पत्थर अंग्रेजी में ही लगाये जाते हैं। आज जब कि राष्ट्र भाषा हिन्दी घोषित कर दी गयी है फिर भी अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यही नहीं, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने एक सभा में कह दिया कि यहां की भाषा उर्दू भी होनी चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या गांवों में लोग उर्दू बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य किसी सदस्य के बारे में जो बात उन्होंने यहां न कह कर बाहर कही है, उस पर टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते, नहीं तो झगड़ा शुरू हो जायगा।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—मैं कह रहा था कि कुछ लोग हिन्दी के खिलाफ दूसरे लोगों को प्रसन्न करने के लिये कुछ बातें कह दिया करते हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी में कार्यवाही करने के लिये आज्ञा प्रसारित करे। इसमें इस प्रदेश और देश की भलाई है। आम जनता चाहती है कि जितनी भी कार्यवाही हो वह सब हिन्दी में हो। इसी वर्ष केन्द्र में टंडन जी ने हिन्दी अंकों के बारे में कहा था और माननीय अर्थ मंत्री देशमुख जी ने कहा कि यह तो संविधान में कलंक है कि अंग्रेजी में ही अंक लिखे जायें। हमारे अंकों को जिनको संसार समझता है, अंग्रेजी में ही रहना हमारे लिये, अर्थ मंत्री जी के लिये और देश के लिये एक कलंक की बात है। जब हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है, हमारे कानून हिन्दी में बने हुये हैं तो अंक भी हिन्दी में ही होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अंकों का प्रश्न इस वक्त हमारे सामने नहीं है। आप हिन्दी सरकारी भाषा के ऊपर बोलिये।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—श्रीमन् भाषा के सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि आज भी जितना काम है वह अंग्रेजी में ही किया जाता है। और अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं में भी लोग करने की कोशिश करते हैं और माननीय गुप्त जी ने भी जब वह देवरिया गये थे तो उन से कुछ लोगों ने उर्दू को प्रोत्साहन देने की बात कही थी तो उन्होंने वहां उस का जवाब भी दे दिया था कि यहां की उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है। लेकिन मैं राज्य के कर्मचारियों और सरकार से जानना चाहता हूं कि वे हिन्दी को अपनाने में देर करके क्यों इस झगड़े को फैलाते हैं। हिन्दी को अपनाने में जितनी ही देर होगी उतना ही यह झगड़ा फैलेगा। जब आज यहां जनता की सरकार है और जनता की ही मांग पर लोकतंत्र निर्भर है तो हिन्दी को जल्द से जल्द कार्य रूप में परिणत करने में कोई दिक्कत नहीं है।

बहुत से लोग कहते हैं कि हिन्दी में अभी शब्द नहीं हैं जो ऐसा कहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि पाणिनि के सूत्रों द्वारा करोड़ों प्रयत्न लगाकर शब्द तैयार हो सकते हैं और शब्दों

[श्री बद्रीनारायण मिश्र]

की कोई कमी नहीं है। जितना सीधा और उत्तम व्याकरण पाणिनि का हमारे यहां है और जितनी आसानी से उससे शब्द बन सकते हैं उतनी आसानी से नये शब्द किसी दूसरी भाषा में तैयार नहीं किये जा सकते। अंग्रेजी के शब्दों में दिक्कत हो सकती है लेकिन हिन्दी के करोड़ों शब्द आसानी से बन सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत हो तो हमारे यहां अनेक विद्वान् मौजूद हैं और काशी में ही बड़े से बड़ा कोष तैयार किया जा सकता है। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और तमाम स्कूल, कालेजों, विश्वविद्यालयों और अखबारों के लिये जितना अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाता है और उसे सहूलियत दी जाती है उतनी हिन्दी के सम्बन्ध में भी देनी चाहिये और अगर ऐसा किया जायगा तो दस वर्ष के भीतर सारा काम हिन्दी में अच्छी तरह से चल सकता है। उस में थोड़े दिन के लिये भले ही कुछ कठिनाई हो, लेकिन बाद में सब आसानी से हिन्दी में काम करने लगेंगे। जब अंग्रेज यहां आये थे तो कितने लोग अंग्रेजी यहां जानते थे? अंग्रेजी राज्य यहां हुआ, उससे प्रोत्साहन अंग्रेजी को मिला, वह यहां फूली-फली। इसी तरह से अगर आज यहां अपना राज्य है और हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है तो उसे भी पूर्ण प्रोत्साहन मिलना चाहिये और वह शीघ्र राज्य भाषा के रूप में पूर्ण रूपेण अपनायी जानी चाहिये। इसी तरह से कुछ दिन यहां क्लर्क बाबुओं और ऊंचे अधिकारियों को थोड़े दिन तक कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में वे भी अभ्यस्त हो जायेंगे। हिन्दी में काम करने के बाद हम आम जनता को जितनी भी सुविधा दे सकें, वह अच्छा है। अंग्रेजी में जो काम होताहै उससे हमारे यहां घूसखोरी भी अधिक फैलती है और अंग्रेजी न जानने के कारण जनता भाषा को समझ नहीं पाती है, तो वहकावे में आ कर घूस देती है। यदि वह हिन्दी में लिखापढ़ी को समझ सकेगी तो वह सोच समझकर ही पैसा देगी। ऐसी हालत में घूसखोरी बहुत हद तक रुक सकती है। इसलिये बहुत सी घूसखोरी अंग्रेजी की वजह से भी है। बेचारी जनता बाबुओं को एक-एक बात में आज पैसा देती है वह रुक जायगा। हर दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और राज्य चलाने की दृष्टि से भी हिन्दी एक बहुत ही उपयोगी भाषा है और जनता अंग्रेजी के बजाय हिन्दी जल्द से जल्द अपनाने को तैयार है। इसलिये मंत्री जी शीघ्र ही कल ही सरकुलर निकाल दें कि अगर कोई भी बाबू अंग्रेजी लिखेगा तो उसको दंड दिया जायगा। जब कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और सार्वजनिक रूप से वह यहां की राष्ट्रभाषा घोषित हो गयी है तो आज श्री रणंजय सिंह को ऐसा प्रस्ताव लाना पड़ा यह बड़े खेद की बात है और यह इस राज्य के लिये एक कलंक की बात है अगर हम इस भाषा को मनवाने में देर करते हैं या हम स्वयं ही इस को नहीं मानते हैं तो दूसरे इस को कैसे मान लेंगे। कानून जनता के लिये यहां बनते हैं, राज्य सरकार जनता के लिये कानून बनाती है और वह स्वयं ही उसको कार्य रूप में परिणत न करे और सरकार ही संविधान का और अपने बनाये हुये कानून का उल्लंघन करे तो फिर जनता का क्या दोष है? जब इस हाउस ने हिन्दी में कार्य करने का प्रस्ताव पास कर दिया तो वह कार्यान्वित क्यों नहीं होता है। जब भी मैं देखता हूं यहां अंग्रेजी में ही बिल आते हैं और अगर हिन्दी में भी आते हैं तो उस के साथ में अंग्रेजी में भी आते हैं। इस तरह से राज्य का दूना व्यय होता है। बजट भी हिन्दी में छपता है और वह साथ ही अंग्रेजी में भी छपता है और इस तरह से राज्य सरकार का दुगुना खर्च होता है। केवल हिन्दी में ही यदि वह छपाया जाय तो इस से सरकार का लाखों रुपया भी बचे और हम अपने कर्त्तव्य का भी पालन कर सकें। मैं इन शब्दों के साथ माननीय रणंजय सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं और मंत्री जी से कहूंगा कि वह कल ही सर्कुलर निकाल दें कि जो राजकर्मचारी हिन्दी में कार्य न करेगा वह दंडित किया जायगा। इन शब्दों के साथ में श्री रणंजय सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर रणंजयसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह कहने की अब आवश्यकता नहीं है कि हिन्दी अपनी राष्ट्रभाषा और राज भाषा हो गयी है फिर भी उसके साथ इतनी उपेक्षा की जा रही है। राज भाषा स्वीकार होने के बाद पारिभाषिक शब्दों के संकलन करने के लिये एक समिति भी

बनी और इस समिति को सहायता देने के लिये कार्याधिकारी भी नियुक्त हुये लेकिन मैं देखता हूं कि जो निर्णय हम लोगों ने यहां पर बैठकर सर्वसम्मति से किया उसकी उपेक्षा वे लोग जो हमारे नियमों और आदेशों से बंधे हुए हैं कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा की उपेक्षा अब बरदाश्त नहीं की जा सकती। प्रस्तुत प्रस्ताव का न केवल मैं ही समर्थन करता हूं बल्कि हमारे प्रदेश और गांव-गांव की शतशत जनता उसका समर्थन करती है इसलिये कि उनके सामने दिक्कतें हैं। अभी भी जो हमारे कार्यकर्त्ता जिले की प्लानिंग अथवा दूसरी कमेटियों में बैठते हैं और जिनको अंग्रेजी में कार्यक्रम मिलता है तो वे परेशान होते हैं और दूसरे लोगों से उसका अनुवाद कराते हैं। जब म्युनिसिपल और जिला बोर्डों में हमारे कार्यकर्त्ता प्रतिनिधि की हैसियत से बैठते हैं और वहां विचार करने के लिये कार्यक्रम जब अंग्रेजी में उनको भेजा जाता है तो वह परेशान होते हैं इसलिये कि बहुत सी चीजें उसमें अंग्रेजी में होती हैं। हमारे यहां जो उपसमितियां बनी हैं, उनमें बहुत से मेम्बर ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके पास मोटे-मोटे कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में भेजे जाते हैं उनको समझने में, उनपर विचार करने में उनको कितनी दिक्कतें होती हैं इसे सब जानते हैं इन सब बातों पर जब हम गंभीरता से विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तक परतंत्र हैं यद्यपि यह सही है कि हम स्वतंत्र हो गये हैं और यह भी सही है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसके गांव-गांव के लोग हिन्दी तो जानते और समझते हैं। फिर भी हिन्दी के साथ इतनी उपेक्षा की जा रही है। मैं अभी प्रार्थना कर रहा था कि शब्दों के संकल्प करने के लिये एक समिति भी बनी, लेकिन उसमें न मालूम कितनी मजबूरियां प्रकट की गयीं कि अभी हमें टाइप राइटर नहीं मिलते, कभी कहा जाता है कि हमारे सामने काम करने में दिक्कतें हैं साधनों की कमी है। इन सब बातों से मैं समझता हूं कि हिन्दी के साथ यह एक तरह से उपेक्षा बरती जा रही है और यह उपेक्षा इसलिये जानबूझ कर की जा रही है क्योंकि कुछ लोग हिन्दी को पीछे ढकेलना चाहते हैं। जिसको हम सबने मिल बैठकर पास किया उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

अभी आपने सुना होगा कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिन टाइपराइटरों की स्वीकृति दी है। वे टाइपराइटर शायद इस प्रदेश में भी काम आवेंगे। उन टाइपराइटरों में अंक अंग्रेजी में हैं। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी परेशानी होगी। यह सही है कि अंकों की बात एक तरह से पहिले ही निश्चित हो गयी है लेकिन वे अंक कब काम आवेंगे। कब विशेष जरूरत पड़ेगी उसे भी समझना चाहिये। रोज-मर्रा तो वे काम आ नहीं सकते। हो सकता है कि किसी समय, बजट के समय, हम उन अंकों की जरूरत अनुभव करें, लेकिन रोज की लिखापढ़ी और वादविवाद में भी इन अंग्रेजी अंकों की मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि "अंकों" का सवाल विचारार्थ उपस्थित नहीं है, उसको आप मत लाइये।

श्री रामदुलारे मिश्र—श्रीमन्, मैं प्रार्थना कर रहा था कि हिन्दी की उपेक्षा किस तरह की जा रही है मैंने जिलाबोर्डों और प्लानिंग कमेटियों आदि में हमारे कार्यकर्त्ताओं को काफी परेशानियां हो रही हैं। जब हमारे कार्यकर्त्ता कोई पत्र अपनी शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधीश अथवा सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस तथा अन्य अधिकारियों को लिखते हैं तो वहां से जवाब अंग्रेजी में आता है। हमारे देहात के रहने वालों को इससे परेशानी होती है। अंग्रेजी जानने वाला वहां कोई नहीं। लोगों को शहर या कस्बों में अनुवाद कराने के लिये समझने के लिये जाना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैं समझता हूं कि हिन्दी भाषा न होने के कारण जो परेशानियां हैं, उन्हें बहुत जल्द दूर होना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने सम्मानित मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे उस आदेश को जिसे वे कभी-कभी कह देते हैं कि हमने इस तरह का आदेश भेज दिया है चाहे वह आदेश अंग्रेजी ही में क्यों न भेजा गया हो। सख्ती के साथ लागू करें। अभी मैं कानपुर गया था तो मुझे यह बतलाया गया कि हिन्दी में कार्य करने के लिये जो आदेश सरकार की तरफ से जिला बोर्ड में आया है वह अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण दूसरे रोज जारी रखेंगे। आपके ६ मिनट हुये हैं। नौ मिनट आप और बोल सकेंगे।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल का सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष—अब मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि श्री राधाकृष्ण अग्रवाल ने इस सदन से अपना त्यागपत्र दे दिया और आज मेरे पास आया है, २२ तारीख में वह लिखा हुआ है। इसलिये उसी रोज से वह अमल में आ जायगा और उनका स्थान रिक्त हो जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ९ जनवरी, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ दिसम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर)

दिसम्बर, १९५५ में मनाये जाने वाले अल्प बचत योजना पक्ष के लिये प्रत्येक जिले के निर्धारित लक्ष्य का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	जिले का नाम	निर्धारित लक्ष्य
		रु०
१	देहरादून	१,०८,६००
२	सहारनपुर	३,८५,६००
३	मुजफ्फरनगर	३,४८,२००
४	मेरठ	६,५२,९००
५	बुलन्दशहर	४,२८,३००
६	अलीगढ़	४,१५,५००
७	मथुरा	२,४६,२००
८	आगरा	४,५०,६००
९	मैनपुरी	२,६८,६००
१०	एटा	३,०३,४००
११	बरेली	३,४२,९००
१२	बिजनौर	२,६५,६००
१३	बदायूं	३,३७,७००
१४	मुरादाबाद	४,४८,७००
१५	रामपुर	१,४६,८००
१६	शाहजहांपुर	२,७१,०००
१७	पीलीभीत	१,३६,०००
१८	फर्रुखाबाद	२,२९,१००
१९	इटावा	२,०४,१००
२०	कानपुर	५,८२,०००
२१	फतेहपुर	१,९१,१००
२२	इलाहाबाद	६,१४,४००
२३	झांसी	१,५८,४००
२४	जालौन	१,०१,१००
२५	हमीरपुर	१,१९,८००
२६	बांदा	१,४२,२००
२७	बनारस	५,९४,९००
२८	मिर्जापुर	१,५२,८००
२९	जौनपुर	२,२७,४००
३०	गाजीपुर	१,७२,२००
३१	बलिया	१,७९,४००
३२	गोरखपुर	२,६८,४००
३३	देवरिया	२,५२,४००
३४	बस्ती	२,८६,८००
३५	आजमगढ़	२,५२,३००
३६	नैनीताल	९०,४००
३७	अल्मोड़ा	१,५४,२००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	जिले का नाम	निर्धारित लक्ष्य
३८	गढ़वाल	१,२७,४००
३९	टेहरी-गढ़वाल	८२,०००
४०	लखनऊ	३,३८,७००
४१	उन्नाव	१,९२,२००
४२	राय बरेली	२,०८,४००
४३	सीतापुर	२,४५,०००
४४	हरदोई	२,४५,०००
४५	खीरी	१,९१,१००
४६	फैजाबाद	२,२२,५००
४७	गोंडा	२,८२,१००
४८	बहराइच	२,०२,०००
४९	सुल्तानपुर	१,९२,४००
५०	प्रतापगढ़	१,६६,५००
५१	बाराबंकी	१,८९,७००

सत्यमेव जयते संसद

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ट ३४८ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1176(1)MG/III—871-1950

Dated Lucknow, October 19, 1954

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Seniority of merged State employees absorbed in posts under the U. P. Government**

THE undersigned is directed to invite a reference to paragraph VIII (3) of the instructions circulated with this Department O. M. no. 1237/III—614-50, dated February 14, 1950, in which it was stated that the absorbed employees of merged States will take seniority in accordance with such principles as may be settled later.

2. The matter has since been carefully considered and it has been decided that seniority of employees of merged States and enclaves absorbed in gazetted and non-gazetted appointments under the U. P. Government should be determined in accordance with the Rules published with Government Notification no. 1176-MG/III—871-50, dated October 18, 1954, a copy of which is enclosed.

3. Action to fix the seniority of employees absorbed in gazetted posts will be taken by the administrative departments concerned. Cases of serious anomalies in seniority, if any, arising as a result of the application of clause 1 of the principles relating to gazetted officers should be referred to Government in the General Administration Department. The seniority of employees absorbed in non-gazetted posts will be determined by the appointing authorities.

4. Necessary action should now be taken accordingly to determine the seniority of all the absorbed employees of merged States and enclaves.

A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

To—All Departments of the Secretariat.

No. 1176(2)MG/III—871-1950

COPY forwarded to all Heads of Departments (except the High Court of Judicature at Allahabad), Commissioners of Divisions, including Deputy Commissioner in-charge, Kumaon Division and Collectors in-charge, Bundelkhand and Rohilkhand Division, District Officers and other Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh for information and necessary action.

No. 1176(3)MG/III—871-1950

COPY also forwarded to the Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, with the request that if the Hon'ble Court have no objection, the above orders may kindly be made applicable to the employees of merged States and enclaves absorbed in services and posts under the administrative control of the High Court.

No. 1176(4)MG/III—871-1950

COPY also forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, for information.

By order,
A. N. JHA
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1176-MG/III—871-1950

Dated Lucknow, October 18, 1954

NOTIFICATION

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rule for determining the seniority of employees of the former States and enclaves merged in Uttar Pradesh, on their absorption in gazetted and non-gazetted appointments under the U. P. Government :

The seniority of the absorbed employees will be determined in accordance with the following principles :

1. *Employees absorbed in gazetted appointments.*—For determining the position of a merged State officer absorbed in gazetted services of Uttar Pradesh, the first step should be to determine the date on which the officer would have commenced at the minimum starting salary in the time-scale of the Service in which he has been absorbed in order to attain the pay that was allowed to him on the date of his absorption in that service. If in any particular case, an officer has at the time of absorption been appointed in a grade higher than that in the gradation list of which his position has to be fixed, the assumed date of commencement in the time-scale of the lower service will be determined with reference to the pay which he would have drawn in the lower service on the date of his absorption under the U. P. Government corresponding to the pay actually allowed to him in the higher grade. After the assumed date of commencement at the lowest admissible stage of the relevant time-scale has thus been determined, the officer will be assigned to the batch of recruits which was recruited to the Service before the assumed date of entry of the merged State officer, and the

latter will then be assigned a place in the gradation list at the bottom of that batch. If there are two or more merged States Officers who thus happen to get assigned to the same batch, their positions *inter se* will be arranged according to age, the older having precedence over the younger :

Provided that if in any case the assumed date of entry into the Service, worked out as above, happens to be earlier than the date on which he could have entered the Service as a direct recruit in his second chance at the competitive examination or selection for that service, then not withstanding anything hereinbefore mentioned the date on which he could be so recruited shall be the assumed date of entry for purposes of fixation of the seniority of the officer :

Provided further that if in the case of any particular merged State officer the position in the gradation list of a Service, calculated as above, suffers from some serious anomaly, the State Government would make such adjustments as they deem fit and equitable in the circumstances of the case.

NOTE.—(1) This formula will not be applicable in the case of those merged States officers whose seniority has been determined or is to be determined according to any special principles followed in the particular case of the Service in which they have been absorbed, without any distinction between such officers and other members of the Service.

NOTE.—(2) In calculating the assumed date of entry into the Service, the minimum stage of the time-scale to be taken into account will be the stage at which, according to the orders in force at the time of absorption, direct recruits to the Service are appointed, and not the minimum of the time-scale itself. Thus for example, in the case of officers absorbed in the U.P. Civil Service (Judicial Branch) or U. P. Civil Service (Executive Branch), the stage of Rs.300 in the time-scale of the Service (and not Rs.250) will be the relevant minimum stage for computing the assumed date of entry into the Service.

2. *Employees absorbed in non-gazetted appointments*—

(*a*) *Seniority as between the regular employees of the Uttar Pradesh Government and the absorbed employees.*—An absorbed employee who was holding a permanent post in a merged State immediately preceding the merger will be placed just below the last permanent regular (U. P.) employee in the cadre concerned on the date of absorption. The date of absorption will be the date on which the employee has taken over charge of his new appointment in the cadre of the service in which his seniority is to be determined.

NOTE—All persons in the regular (U. P.) employ, though not actually permanent on the date of absorption of the employee of the merged State, will be treated as permanent on that date if they are confirmed subsequently but with effect from a retrospective date not later than the date of absorption.

(*b*) Employees of the merged States who were holding temporary posts prior to merger and who are appointed to temporary posts under this Government will take seniority amongst temporary employees with reference to the date of their appointment under this Government. If the date of appointment is the same, seniority will be determined by the order in which appointments have been made.

(*c*) *Seniority of absorbed employees* inter se.—If more than one permanent employee of the same merged State or of different merged States are absorbed in the same cadre their seniority will be regulated as follows :

(i) Employees belonging to the same merged State will retain the relative seniority which they were enjoying while serving in the merged State.

(ii) If, however, they belonged to different but equivalent (in status) services in the same State their seniority will be determined by the date of their permanent appointment to those services. On the other hand, if the services were different in status, the person belonging to the higher service will be treated as senior to that belonging to the lower service.

(iii) In the case of persons belonging to different merged States but absorbed in the same cadre, their seniority will be determined by the date of their permanent appointment to the equivalent service or post, in case the posts they were holding prior to merger in each State were equivalent to each other in status. If, however, their services were different in status, the persons belonging to the higher service will be treated as senior to those belonging to the lower service.

NOTE.—In determining which of the two given services is higher and which is lower, the scale or rate of pay attaching to the service will be the determining factor, other things being equal or indeterminate.

A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५० पर)

PRESS NOTE

The Government of India have decided to allow a reduction of two annas per maund in the minimum price of sugarcane fixed for the 1955-56 crushing season for :

(*a*) the cane of district Nani Tal supplied at the following centres :—

(1) Kashipur gate, (2) Sarkara, (3) Bazpur, (4) Kanha, (5) Bara, (6) Rudrapur, (7) Chinki and (8) Darau.

This reduction shall also apply to the cane supplied by the Tarai State Farms and also to such cane grown in the areas normally attached to the above mentioned centres, as may be supplied to any other centres or Factory Gate, if and when so reserved or assigned.

(*b*) the cane of Dehra Dun District supplied at the following centres:

(1) Doiwala gate, (2) Raiwala, (3) Dehra Dun, (4) Badripur,, (5) Harrawala and (6) Harbatpur.

2. The Government of India shall however reserve the right to order further payment by a factory, not exceeding annas two per maund of cane, in case the aggregate recovery in that sugar factory from cane supplied by any of the above-mentioned centres, is found to be higher than what the reduction of annas two per maund would warrant against the average recovery of 9.6 per cent.

(Sd.) M. ZUNNURAIN,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

December 2, 1955

Industries (C) and Excise Department.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

सूची

(१) कानून के मुताबिक कारखाने ८ घंटे चलाये जायं:—

फैक्टरी कानून के मुताबिक कारखाने प्रति दिन औसतन् ८ घंटे ही चलाये जाते हैं। जो कारखाने इस उपबन्ध को भंग करते पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(२) सायरन (सीटी) लगाया जाय—

सायरन लगवाने के लिये प्रयास किया गया था किन्तु फैक्टरियों के मालिक इस पर राज़ी नहीं हुये। कानूनन सरकार कारखानेदारों को उक्त व्यवस्था को मानने के लिये विवश नहीं कर सकती।

(३) इतवार को छुट्टी हो—

फैक्टरीज़ ऐक्ट के अनुसार हर श्रमिक को सामान्यतः सप्ताह के प्रथम दिन (रविवार) को छुट्टी देना हर कारखाने के लिये अनिवार्य है।

(४) फैक्टरी इन्सपेक्टर स्थायी रूप से नियत किया जाय—

फैक्टरीज़ इन्सपेक्टोरेट के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव के अन्तर्गत इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(५) मजदूरों के मुकदमें फीरोजाबाद में हों—

मांग से स्पष्ट नहीं कि किस कानून के अन्तर्गत मुकदमों से अभिप्राय है। (Industrial Disputes Act) के मुकदमें तो अभी आगरे में होते हैं और उनकी सुनवाई का प्रबन्ध अभी फ़ीरोजाबाद में नहीं हो सकता।

(६) कोटा चालू करखानों को दिया जाय—

मजदूर सभा को लिख दिया गया है कि वह इस विषय में उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश से पत्र व्यवहार करें।

(७) ज्वाइन्ट सिस्टम (Joint System) खत्म किया जाय—

इस मांग का श्रम विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(८) मजदूरों को निकालना गैर कानूनी तरीके पर बन्द हो—

यह एक सामान्य मांग है और जब तक विवादों को विशिष्ट रूप से न बताया जाय कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(९) जुड़ाई के मजदूरों का १८ अप्रैल, १९५४ का फैसला लागू हो—

यह समझौता ठेकेदारों तथा श्रमिकों के बीच एस० डी० एम०, फ़ीरोजाबाद के समक्ष मौखिक रूप से हुआ था, इसलिये यह कानूनन लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी मजदूर सभा को लिख दिया गया है कि वह इस समझौते के उल्लघंन के उदाहरण प्रस्तुत करे ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(१०) गैस प्लांट लगाया जाय और जुड़ाई के मजदूरों के काम की जगह बनाई जाय—

इस मांग से भी श्रम विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

(११) हर पंद्रह दिन के बाद जुड़ाई के मजदूरों का हिसाब हो—

वेतन वितरण अधिनियम, १९३६ (Payment of Wages Act, 1936) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार कारखानेदारों को इस तरह वेतन भुगतान करने के लिये बाध्य किया जा सके। अतएव इस मांग पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(१२) पुलिस की नाजायज दखलन्दाजी बन्द हो—

विशिष्ट दृष्टांत के अभाव में इस मांग के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(१३) हर प्रकार की कटौती बंद की जावे—

वेतन वितरण अधिनियम, १९३६ के अन्तर्गत कुछ विशेष अवस्थाओं में सेवा योजकों को श्रमिकों के वेतन में नियत सीमा के अन्दर कटौती करने का अधिकार प्राप्त है। अनुचित कटौती करने पर सेवा योजकों पर निर्देश अभियोग चलाये जा सकते हैं। मजदूर सभा को लिख दिया गया है कि वह संदिग्ध कटौतियों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देते हुये मुख्य कारखाना निरीक्षक को लिखें।

(१४) खेल कूद के लिये इस्लामियां कालेज के विद्यार्थियों को जगह दी जाय—

इस मांग का श्रम विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

(१५) क्वार्टर मजदूरों को कम किराये पर दिये जायं—

फ़ीरोज़ाबाद के श्रमिकों के रहने के लिये इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मकान बनाये जा रहे हैं। इनका किराया मजदूरों के हित का ध्यान रखते हुये उचित ही रक्खा गया है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४-१५ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

सन् १९५३-५४ तथा १९५४---५५ ई० में आजमगढ़ तथा इलाहाबाद के राजनैतिक पीड़ितों से प्राप्त आवेदन-पत्र तथा प्रदात्त सहायता का विवरण ।

जिलों के नाम	आवेदन-पत्रों की संख्या		प्रदान की गई सहायता					
	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५३---१९५४			१९५४---१९५५		
			छात्रवृत्ति	पुस्तक अनुदान	योग	छात्रवृत्ति	पुस्तक अनुदान	योग
१---आजमगढ़	२९	४०	७	११	१८	१२	१०	२२
२---इलाहाबाद	८१	९०	३३	४१	७४	२२	३७	५९

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

१—हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुहम्मदाबाद।

२—एस० एम० नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, मछढ़ी।

३—सर्वोदय हायर सेकेन्डरी स्कूल, खरडीहा।

४—हरिजन हार्टमन हायर सेकेन्डरी स्कूल, हार्टमनपुर।

५—जनता जनार्दन हायर सेकेन्डरी स्कूल, गांधीनगर, पो० करीमुद्दीनपुर।

६—भूमिहार ब्राह्मण सेकेन्डरी स्कूल, करीमुद्दीनपुर।

७—नृसिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, मोहनपुरा।

जूनियर हाई स्कूल

१—महेशपुर।

२—मोहम्मदाबाद।

३—करीमुद्दीनपुर।

प्राइमरी पाठशाला

१—बासदेवपुर, २—थनईपुर, ३—बौरी, ४—महेशपुर, ५—कमालपुर, ६—कादीपुर, ७—मोहम्मदाबाद, ८—कनुवान, ९—हरिहरपुर, १०—गौसपुर, ११—तमालपुरा, १२—कुडेसर, १३—ताजपुर, १४—भरौलिया, १५—डैहमा, १६—गोखलपुर, १७—उतराव, १८—करीमुद्दीनपुर, १९—चककातमा, २०—असावर, २१—महेंद्र, २२—सनवानी, २३—बसनिया, २४—बाराचबर, २५—गंगोली, २६—सेखनपुर, २७—कासमाबाद, २८—लोहबाद, २९—मुंडेरा, ३०—खेराबादरी, ३१—बलेसारी, ३२—शेपुरखुर्द, ३३—रामगढ़, ३४—सनहुआ।

उद्धान संस्था

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ट ३५७ पर)

विगत वर्षों (१९५३–५४, १९५४–५५) में नैनीताल की तहसीलों में पानी सुलभ किये जाने हेतु कार्य का ब्योरा ।

नाम तहसील	डिग्गी			नाला		गुल			कुयें			पाइप लाइन			टिप्पणी
	स्वीकृत	व्यय		स्वीकृति	व्यय	स्वीकृति	व्यय		स्वीकृति	व्यय		स्वीकृत	व्यय		
	रु०	रु०	आ०	रु०	रु०	रु०	रु०	आ० पा०	रु०	रु०	आ० पा०	रु०	रु०	आ० पा०	
१—नैनीताल	११,६९०	३६७३	१०	४,८९६	१,१५५	८,१४०	३,१३०	१० ६	..	..		२०,६२०	१,६२८	११ ०	
२—हलद्वानी	१,२५०	*१,८३०		..	..	..	..		..	..		..		..	
३—काशीपुर	..	..		..	..	..	..		१,५००	१,५०७	९ ६	१००		..	
४—खटामी	..	..		..	..	..	..		८००	८००		..		..	
५—रामनगर	१,५००	५००	०	..	..	..	..		..	..		..		..	
कुल ..	१४,४४०	६,००३	१०	४,८९६	१,१५५	८,१४०	३,१३०	१० ६	२,३००	२,३०७	९–६	२०,७२०	१,६२८	११ ०	

* इसमें पूर्व वर्ष में स्वीकृत धन भी शामिल है ।

अनुवर्ती विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५८ पर)

नाम व पता	आर्थिक सहायता १९५४–५५ (तीन त्रैमासिकों) आवर्ती	अनावर्ती	१९५५–५६ आवर्ती	अनावर्ती
	रु०	रु०	रु०	रु०
छात्रावास				
१—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज, कानपुर ..	१,३२०	८०	९९०	..
२—हरिजन छात्रावास, पुखरायां, कानपुर ..	७११	..	७११	..
३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धिपुरी, कानपुर ..	६००	८०	४५०	..
पुस्तकालय				
१—हरिजन पुस्तकालय एवं वाचनालय रइस बाग, एलनगंज, कानपुर ..	३०६	..	३०६	..
२—अछूतानन्द पुस्तकालय, गांधीनगर चमनगंज, कानपुर	४८०	..	३६०	..
३—लोकनाथ ए० बी० पुस्तकालय, बुद्धनगर, कानपुर ..	३६०	..	२७०	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

अनुदान प्राप्त परिगणित जातीय संस्थाओं का वार्षिक विवरण-पत्र

परिगणित जातीय संस्थाओं के लिये सरकारी अनुदान के नियम

(१) संस्था को प्रबन्धक कमेटी ऐक्ट नं० २१, सन् १८६० ई० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये। यदि संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके समस्त आय-व्यय का प्रबन्ध उप-जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा होगा।

(२) स्कूलों में पाठ्य-क्रम शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य-क्रम के अनुसार होगा।

(३) शिक्षा विभाग के विद्यालय निरीक्षक, जिला नियोजन अधिकारी तथा हरिजन सहायक विभाग के अधिकारियों को संस्था के कार्य और हिसाब-किताब के निरीक्षण का अधिकार होगा। हिसाब-किताब का ब्योरा मांगने पर तुरन्त प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(४) पाठशालाओं में जहां तक संभव हो ट्रेन्ड अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाय।

(५) संस्था में परिगणित जातीय छात्रों की औसत उपस्थिति कम से कम २५ होना अनिवार्य है। परिगणित जातीय छात्रों की संस्था समस्त छात्रों की संख्या के ५० प्रतिशत से कम न हो।

(६) यदि प्रबन्धक समिति के समस्त सदस्य परिगणित जातीय हैं तथा समिति की कोई आय नहीं है तो स्वीकृत व्यय के बराबर अनुदान दिया जायगा। अन्य संस्थाओं का अनुदान स्वीकृत व्यय का आधा अथवा स्वीकृत व्यय और आय के अन्तर के बराबर होगा परन्तु इनमें जो धनराशि न्यूनतम होगी वही स्वीकृत की जायगी।

(७) यदि संस्था का व्यय स्वीकृत व्यय से अधिक है तो घाटा प्रबन्धक समिति को पूरा करना होगा।

(८) कोई भी व्यय जिसकी पूर्व स्वीकृति इस कार्यलय से नहीं ली जायगी, उसकी पूर्ति करने का उत्तरदायित्व संस्था के मैनेजर पर होगा।

(९) संस्था के प्रबन्धक को समस्त आय-व्ययक का लेखा नियमानुकूल रखना होगा। नवीन वर्ष के आरम्भ में अर्थात् अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही प्रबन्धक को चाहिये कि संलग्न फार्म की तीन प्रतियां भर कर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करें। जो संस्था इस अनुदान-पत्र को प्रेषित नहीं करेगी उनको अनुदान नहीं दिया जायगा।

(१०) अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तिमाही स्वीकृत होगा परन्तु यह स्वीकृति तिमाही के आरम्भ में ही दे दी जायगी।

(११) यदि किसी संस्था का कार्य असन्तोषजनक पाया जायगा तो अनुदान बन्द कर दिया जायगा।

(१२) संस्था का स्थान परिवर्तन जिला हरिजन सहायक अधिकारी की अनुमति के बिना न किया जायगा।

(१३) अनुदान जिन मदों के लिये स्वीकृत किया जाय उन्हीं में व्यय होना चाहिये और किसी विषय पर नहीं।

(१४) संस्था का संचालन उक्त नियमों के अतिरिक्त एजूकेशन कोड के अन्तर्गत नियमों के अनुसार होना चाहिये।

(१५) प्रबन्ध समिति के सदस्यों अथवा मैनेजर के कोई निकट सम्बन्धी संस्था के कर्मचारी नहीं नियुक्त किये जा सकते हैं।

(१६) रात्रि पाठशाला में प्रत्येक रात्रि का कार्य-काल कम से कम दो घंटा होना चाहिये।

(१७) रात्रि पाठशाला में प्रविष्ट छात्रों की संख्या कम से कम ३० होनी चाहिये जिनमें परिगणित जातीय छात्रों की संख्या ५० प्रतिशत से कम न हो।

(१८) रात्रि पाठशाला में केवल प्रौढ़ ही प्रविष्ट किये जायं। जो क्षात्र दिन में दूसरी संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हों वे रात्रि पाठशालाओं में प्रविष्ट न किये जायं।

(१९) रात्रि पाठशाला किसी भी स्थान पर छः मास से अधिक न रहेगी। यदि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर चाहें तो उसकी अवधि छः मास और बढ़ा सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त रात्रि पाठाशाला दूसरे स्थान पर खोली जाय।

(२०) पुस्तकालयों तथा वाचनालयों में पढ़ने वालों की प्रतिदिन की उपस्थिति कम से कम ३० होनी चाहिये।

(२१) पुस्तकालय में वे ही पुस्तकें तथा समाचार-पत्र आदि रक्खे जायं जिनकी स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदान करे।

(२२) पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षित व्यक्ति होना आवश्यक है।

(२३) पुस्तकालय में रोशनी का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये।

(२४) पुस्तकालय के खुलने और बन्द होने का समय निश्चित होना चाहिये और इसकी सूचना पुस्तकालय भवन के द्वार पर लिखी रहनी चाहिये।

(२५) पुस्तकालय प्रतिदिन कम से कम ६ घंटे खुला रहना चाहिये।

(२६) सहायता प्राप्त संस्था से प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेद-भाव के लाभ उठा सकने का अधिकारी होगा।

(२७) नयी संस्था को अनुदान की सिफारिश करते समय निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया जाय :—

(१) सम्बन्धित क्षेत्र में क्या इस संस्था को स्थापित करने की वास्तविक आवश्यकता है और क्या उक्त क्षेत्र में हरिजनों की जन-संख्या पर्याप्त है? यह ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा सिद्धांत के अनुसार परिगणित जातियों के लिये पृथक संख्या का स्थापित करना अनुचित है और केवल ऐसे ही स्थानों में संस्था के स्थापन की सिफारिश की जाय जहां पर कि शिक्षा के साधन वर्तमान नहीं हैं।

(२) जिस स्थान में संस्था स्थापित की गयी है उसके निकटतम अन्य संस्था की दूरी कितनी है?

(३) क्या प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड है? और क्या इसके पास संस्था के संचालक के लिये आय के पर्याप्त साधन हैं?

(४) क्या संस्था का संचालन ऊपर दिये हुये अन्य समस्त नियमों के अनुकूल है?

(५) ३ मील के घेरे में एक ही प्रकार की दो संस्थायें संचालित नहीं होगी। स्वीकृत वेतन-क्रम निम्न प्रकार है:

प्राइमरी स्कूलों में—

(१) प्रशिक्षित (ट्रेन्ड) प्रधानाध्यक्ष रु० ४०—१—४५—दक्षता रोक—१—५०—दक्षता रोक —१—५५।

(२) प्रशिक्षित सहायक अध्यापक रु० ३५–१–४०–दक्षता रोक—१–४५– दक्षता रोक–१—५५।

(३) (अप्रशिक्षित) अनट्रेन्ड प्रधा- रु० २०—१—२५
नाध्यापक

(४) अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक रु० २०—१—२५

पुस्तकालयों और रात्रि पाठशालाओं में—

(५) पुस्तकाध्यक्ष .. १२ रु० प्रतिमास।
अध्यापक निर्धारित भत्ता १२ रु० प्रतिमास।
मंहगाई .. १० रु० प्रतिमास।

हरिजन सहायक विभाग, उत्तर प्रदेश

राज्य अनुदान प्राप्त परिगणित जातीय संस्थाओं का वार्षिक विवरण-पत्र

वित्तीय वर्ष १९–१९

संस्था का नाम——

मैं प्रमाणित करता हूं कि—

१—(क) उपरोक्त संस्था, जहां तक मुझे ज्ञात है अनुदान के नियमों के अनूकूल संचालित है।

(ख) इस संस्था (पाठशाला /छात्रावास/ रात्रि पाठशाला/पुस्तकालय) के रजिस्टर तथा बहीखाते इस प्रकार रखे जाते हैं कि इस विवरण-पत्र में निर्देशित बातों की सत्यता पर संदेह किया जा सके। जहां तक विदित है लिखित समस्त विवरण अक्षरशः सत्य है।

(ग) इस संस्था (पाठशाला/ छात्रावास/ रात्रिपाठशाला/ पुस्तकालय) की प्रबन्ध-कारिणी समिति सन् १८६० के ऐक्ट २१ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है अथवा किसी सम्मानित समिति से सम्बद्ध है अथवा इस नियम से मुक्त है।

(घ) इस संस्था (पाठशाला /छात्रावास/ रात्रि पाठशाला/ पुस्तकालय) के अध्यापकों में अथवा प्रबन्धकों की योग्यता, अवस्था, जन्म-तिथि जो इस विवरण-पत्र में लिखित है, शुद्ध हैं।

२—प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरिजन सहायक विभाग द्वारा दिये गये आदेशों का सर्वदा पालन किया जायगा।

उत्तरदायी प्रबन्धक,

ता० .....

नोट—प्रबन्धक समिति केवल अपनी संस्था के विवरण को ही भरे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गतवर्ष तथा आगामी वर्ष की आय का विवरण (नं० १)

आय	वास्तविक आय १९–१९ (गत वर्ष)	अनुमानित आय १९–१९ (वर्तमान वर्ष)	विशेष कथन
१—धन (रोकड़) जो १ अप्रैल, १९ को शेष में था (यदि हो)			
२—अनुदान—			
(क) राज्य द्वारा			
(ख) म्युनिसिपल अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा			
३—सुरक्षित धन का व्याज			
४—अन्य प्रकार से प्राप्ति—			
विद्यार्थियों से:			
(अ) शिक्षा शुल्क			
(ब) अन्य शुल्कादि			
योग, कुल आय ..			

गत वर्ष तथा आगामी वर्ष के व्यय का विवरण (नं० २)

क्रम-संख्या	व्यय	वास्तविक व्यय १९–१९ (गत वर्ष)	अनुमानित व्यय १९–१९ (वर्तमान वर्ष)
१	कर्मचारिवर्ग का वेतन—		
	(क) अध्यापक		
	(ख) अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेंट)		
	(ग) लिपिक (क्लर्क)		
	(घ) पुस्तकाध्यक्ष		
	(च) निम्न कर्मचारी		
२	कार्यालय का अन्य फुटकर खर्च		
३	भवन का किराया (यदि किराये पर हो, यदि निजी हो, तो इसका उल्लेख कर दिया जाय)।		
४	पुरस्कार		
५	फर्नीचर (मेज, कुर्सी व टाट आदि की मरम्मत तथा खरीद)		
६	निम्नाकित के लिये सामान—		
	(क) विज्ञान		
	(ख) हस्तकला		
	(ग) वाणिज्य		
	(घ) अन्य विषय		
	योग ..		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छात्रों की कुल उपस्थिति (नं० ३) वर्ष १९-१९

कक्षा	मासिक शुल्क दर	छात्रों की संख्या			
		कुल संख्या		औसत उपस्थिति	
		परिगणित	अन्य	परिगणित	अन्य
योग . .					

नोट—छात्रावासों के लिये खाना नं० १ की कक्षायें लागू नहीं हैं। खाना नं० २ में मासिक शुल्क के स्थान पर आवश्यकतानुसार कक्षायें भर दी जायं।

अध्यापकों अथवा पुस्तकाध्यक्ष की योग्यता तथा वेतन आदि का विवरण (नं० ४)

क्रम-संख्या	नाम, पद, जाति एवं योग्यता	जन्म-तिथि	वेतन-क्रम	नियुक्ति तिथि	वेतन दर	कुल वेतन	
						गत वर्ष का वास्तविक व्यय	इस वर्ष का अनुमानित व्यय
समस्त योग							

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पाठशाला अथवा पुस्तकालय के खुलने और बन्द होने का समय (नं० ५)

ग्रीष्म—(१ अप्रैल से ३१ अक्तूबर)	जाड़ा—(१ नवम्बर से ३१ मार्च)
सुबह	सुबह
शाम	शाम

लिपिक वर्ग (Clerical staff) की योग्यता एवं वेतन आदि का विवरण (नं०६)

क्रम-संख्या	नाम या पद एवं योग्यता	जाति	वेतन-क्रम	नियुक्ति की तिथि	वेतन दर	कुल वेतन	
						गत वर्ष का वास्तविक	इस वर्ष का अनुमान
समस्त योग							

सदस्य प्रबंधक कमेटी (नं० ७)

क्रम-संख्या	नाम	जाति	योग्यता	पेशा	पूरा पता

उत्तर प्रदेश सरकार

निम्न कर्मचारिवर्ग का वेतन इत्यादि (नं० ८)

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	जाति	वेतन-क्रम	नियुक्त की तिथि	वेतन दर	कुल वेतन	
						गत वर्ष का वास्तविक	इस वर्ष का अनुमान
समस्त योग . .							

गत वर्ष संस्था के निरीक्षण का ब्योरा (नं० ९)

नाम अधिकारी	निरीक्षण तिथि
१	
२	
३	
४	
५	

केवल पुस्तकालयों के लिये (नं० ९)

(१) पुस्तकों का वितरण, जो गत ३१ मार्च को समाप्त हुये साल में प्राप्त हुआ

प्राप्त पुस्तकों की संख्या					कुल मूल्य	विशेष विवरण
हिन्दी	उर्दू	अंग्रेजी	अन्य	योग		

(२) गत २१ मार्च की पुस्तकों की संख्या

हिन्दी	उर्दू	अंग्रेजी	संस्कृत	फारसी तथा अरबी	अन्य	कुल योग

(३) पुस्तकों की संख्या जो गत ३१ मार्च तक पढ़ी गयी

हिन्दी	उर्दू	अंग्रेजी	अन्य	कुल योग

विधान सभा

(४) गत ३१ मार्च तक पुस्तक लेने वालों की संख्या

परिगणित	अन्य	कुल योग

विवरण नं० (१०) (चालू है)

(५) पाठक जो गत ३१ मार्च तक पुस्तकालय में पुस्तकें या समाचार-पत्र पढ़ने आये

कुल संख्या		दैनिक उपस्थिति	
परिगणित	अन्य	परिगणित	अन्य

(६) समाचार-पत्रों के नाम जो पुस्तकालय में आते हैं

	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक	शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त
हिन्दी				
उर्दू				
अंग्रेजी				

डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल की सम्मति तथा सिफारिश

पुस्तकालय का प्रबंध नियमानुकूल तथा सन्तोषजनक है/नहीं है	पुस्तकालय, आसपास के गांवों तथा इस गांव को लाभदायक है/नहीं है	अन्य विशेष विवरण

विधान सभा

जिला विद्यालय निरीक्षक की सिफारिश (नं० ११)

क्रम-संख्या	विवरण	जिला विद्यालय निरीक्षक की सिफारिश (मासिक दर से)	हरिजन सहायक विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान
१	१ आवर्तनीय—		
	वेतन		
	(क) प्रधान अध्यापक		
	दर		
	(ख) सहायक अध्यापक		
	(१) दर		
	(२) ,,		
	(३) ,,		
	(४) ,,		
	(५) ,,		
	(ग) भवन का किराया		
	वेतन :		
	(घ) नौकर/नौकरानी		
	(१) दर		
	(२) ,,		
	(३) ,,		
	(च) रोशनी का खर्च		
	(छ) समाचार—पत्र आदि		
	वेतन :		
	(ज) पुस्तकाध्यक्ष		
	(झ) सायर खर्च		

जिला विद्यालय निरीक्षक की सिफारिश (नं० १२)

क्रम-संख्या	विवरण	जिला विद्यालय निरीक्षक की सिफारिश	हरिजन सहायक विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान
२	अनावर्त्तीय—		
	(क) पुस्तक आदि		
	(ख) फर्नीचर इत्यादि		
	(ग) अन्य फुटकर		
३	मंहगाई (भत्ता)		
	योग ..		

जिला विद्यालय निरीक्षक,
जिला——————

ता०.....

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१८२ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

विधान सभा